अध्याय–15
सड़क एवं रेल
Road and Train

सड़क एवं रेल आबादी वाले क्षेत्रों में इसकी पैठ के स्तर को ध्यान में रखते हुए, माल और यात्रियों दोनों तरह के परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी और पंसदीदा साधन माना जाता है। इस प्रकार, यह देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

15.1 आसान उपलब्धता व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अनुकुलता व लागत बचत कुछ ऐसे कारक है जो सडक परिवहन के पक्ष में है।

जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2024 तक 33047 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही हैं। वर्ष 2024–25 हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में ₹ 2572.24 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2024–25 के भौतिक लक्ष्य एवं दिसम्बर 2024 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.1 में दर्शाया गया हैः–

सारणी 15.1

क्र0 सं0	मद	इकाई	लक्ष्य 2023–24	वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां (माह मार्च 2024 तक)	लक्ष्य 2024–25	31.12.2024 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2025 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	वाहन चलने योग्य सड़क	किमी0	269.01	316.02	187.32	152.83/187.32
	जल निकास	किमी0	269.01	316.02	187.32	152.83/187.32
	पक्की तथा विरालित सड़के	किमी0	724.08	992.78	853.16	693.81/853.16
	जीप चलने योग्य सड़क	किमी0	-	-	-	-
	पुल	सं0	28	28	41	15/41
	गॉव जुड़े	सं0	58	79	51	24/51

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.1 उत्तराखण्ड में दिसम्बर 2024 तक 13892 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा चार्ट संख्या 15.1 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 15.1

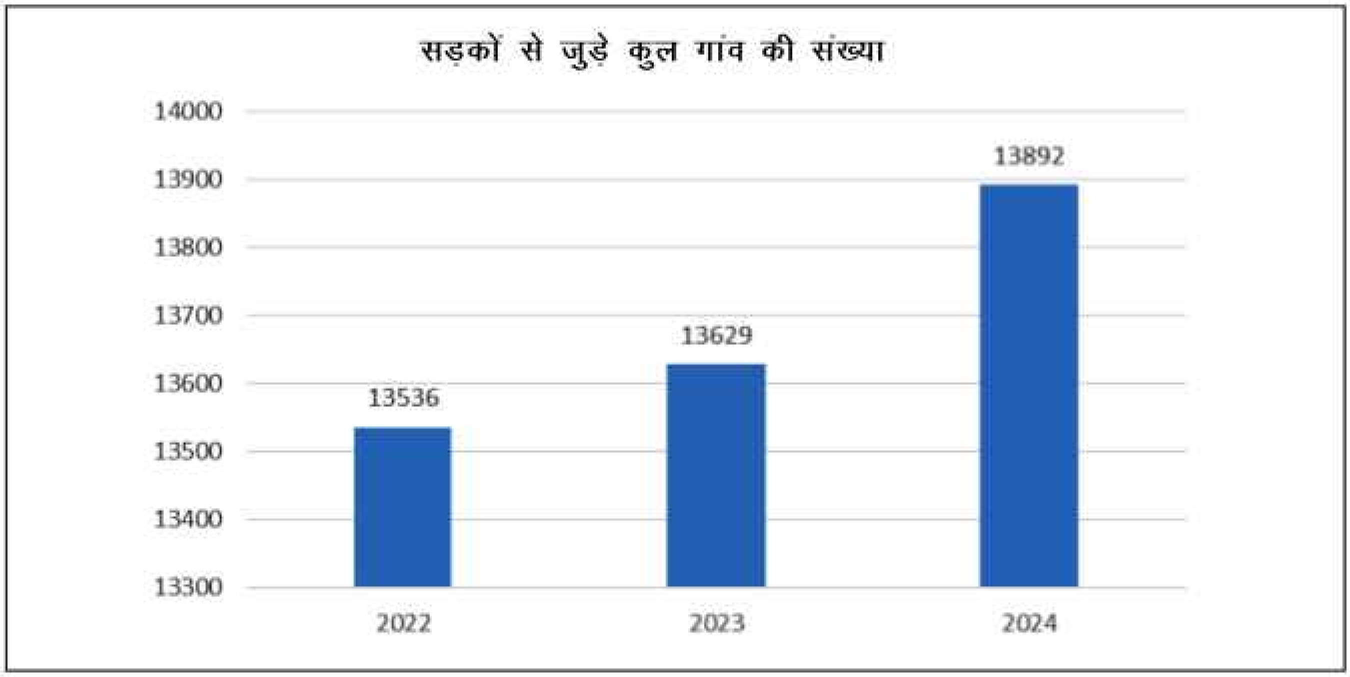

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.2

राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0 में)

क्र0 सं0	मार्ग का श्रेणी	2000	2010	31 मार्च 2024 तक	2024–25 के लक्ष्य	31.12.2024 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2025 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	526	1345	2033	-	-
2	प्रादेशिक राजमार्ग	1233	3665	5689	-	-
3	मुख्य जिला मार्ग	1270	3040	3535	-	-
4	ग्रामीण मार्ग	5051	8954	15005	853	694/853
5	हल्का वाहन मार्ग	-	96	93	-	-
कुल योग		**8080**	**17100**	**26355**	**853**	**694/853**

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

15.1.2 प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2024–25 में भी जारी रहे। दिसम्बर 2024 तक ₹ 322.46 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यो का विवरण निम्नवत है:–

1. ऑल वैदर रोड:– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 नं0 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹9917 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कार्यो का दायित्व निम्न विभागों के पास है:–

- लोक निर्माण विभाग
- पी.आई.यू.मोर्थ (Project Implementation Unit Ministry of Road Transport and Highway)
- बी.आर.ओ.(Border Road Organisation)
- एन.एच.आई.डी.सी.एल. (National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गो का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकें अन्तर्गत 15 नं0 दीर्घ सेतुओं, 02 नं0 सुरंग मार्गो (चम्बा एवं राडी टॉप) एवं 03 नं0 एलिवेटेड मार्ग (सोनप्रयाग– लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव– लम्बाई 575मी0 एवं मनेरी–लम्बाई 400मी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2024 तक 28 नं0 कार्य, लम्बाई 455 किमी0, लागत ₹ 4695 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं 13 नं0 कार्य, लम्बाई 216 किमी0, लागत ₹ 4090 करोड़ के प्रगति पर है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 737 किमी0 के सापेक्ष 597 किमी0 लम्बाई में 02 लेन चौड़ीकरण एवं 574 किमी0 लम्बाई में सतह लेपन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष ₹ 7487.93 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2. सेतु भारतम योजना:– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु आर.ओ.बी. (Road Over Bridge) के निर्माण का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में निम्न रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनकों माह मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है:–

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 पर काशीपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 76.52 करोड़।

3. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्वार कार्य:–

सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 नं0 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं,

जिसके सापेक्ष 14 नं0 कार्य, लागत ₹ 95.13 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। 09 नं0 कार्य, लागत ₹ 116.67 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें माह जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 24 नं0 कार्य, लागत ₹ 117.96 करोड़ में से 04 नं0 कार्यों पर कार्य प्रगति एवं 20 नं0 कार्यो पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

4. श्री बद्रीनाथ धाम के कार्य:– सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 41 नं0 कार्य, लागत ₹ 441.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 05 नं0 कार्य, लागत ₹ 70.75 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 30 नं0 कार्य, लागत ₹ 338.22 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्रातीशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 06 नं0 कार्य, लागत ₹ 32.33 करोड़ पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

5. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य:–

- प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गो एवं अन्य मार्गो पर दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण कर दुर्घटना से बचाव हेतु क्रैश बैरियर लगाये जा रहे हैं।
- राज्य मार्गो व अन्य मार्गो सहित 6534 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 2520 किमी0 लम्बाई में दिसम्बर 2024 तक क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं। अवशेष 4014 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष 1459 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, कार्य भौतिक रूप से 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 48.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्य को मार्च 2025 तक पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं।
- केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (सी.आर.आई. एफ.) योजना के अन्तर्गत आतिथि तक कुल 174 नं0 कार्य, लागत ₹ 2002 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान तक 152 नं0 कार्य, लागत ₹ 1459 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। अवशेष 22 नं0 कार्यो में से 18 नं0 कार्य, लागत ₹ 531 करोड़ के प्रगति पर है।
- केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि–सेतु बन्धन (सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत कुल 06 नं0 आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण के कार्य, लागत ₹ 193.92 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डी.पी.आर. गठन का कार्य गतिमान है।
- रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर 04 लेन एलीवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है, जिनकी कुल लागत ₹ 6264 करोड़ है उक्त परियोजना पर कन्सलटैन्सी एवं सर्वे कार्य गतिमान है। उक्त परियोजना पर आतिथि तक ₹ 3.28 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

15.2 रेल यातायात:– यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता सांस्कृतिक समृद्धि आध्यात्मिक महत्व, विरासत स्थलों और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के परिवहन हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कार्य बहुत तेजी से गतिमान है।

125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लिंक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परिचयः

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज (बीजी) रेलवे लाइन उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लिंक प्रदान करने का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में स्थित तीर्थस्थलों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना और पछड़े क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ नए व्यापार केंद्रों को जोड़ना और क्षेत्र में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। उम्मीद है कि इस तरह के लिंक से यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी। यह रेल लिंक क्षेत्र में औद्योगिक विकास, एवं कुटीर उद्योग के अवसर खोलेगा तथा राज्य में अर्थव्यवस्था और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देगा।

प्रस्तावित रेलवे लाइन 5 जिलों देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौडी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली के माध्यम से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी।

मुख्य विशेषताएं

1	परियोजना की कुल लंबाई	125.20 (Km)
2	मुख्य सुरंगों की संख्या	16 (Nos.)
3	पलायन सुरंगों की संख्या	12 (Nos.)
4	एडिट / शाफ्ट की संख्या	08 / 01 (Nos.)
5	मुख्य सुरंगों की कुल लंबाई	104.00 (Km)
6	पलायन सुरंगों की कुल लंबाई	97.72 (Km)
7	एडिट / शाफ़्ट की कुल लंबाई	4.82 (Km)
8	क्रॉस–पैसेज की कुल लंबाई	7.05 (Km)
9	सुरंग निर्माण की कुल लंबाई	213.57 (Km)
10	सुरंग की अधिकतम लंबाई	14.58 (Km)
11	मार्ग सुरंग की लंबाई का प्रतिशत	83.07%
12	महत्वपूर्ण / प्रमुख रेल पुलों की संख्या	05 / 14 (Nos.)
13	महत्वपूर्ण और प्रमुख रेल पुलों की कुल लंबाई	3076.025 (m)
14	महत्वपूर्ण / प्रमुख रेल पुल (गौचर बीआर–15) की अधिकतम ऊंचाई	46.99 (m)
15	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (श्रीनगर ठत–09)	489.00 (m)
16	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (देवप्रयाग बीआर–06)	125 (m)
17	महत्वपूर्ण प्रमुख रेल पुल की लंबाई का प्रतिशत	2.21%
18	सड़क पुलों की संख्या	06 (Nos.)
19	रोड ओवर पुलों / आर ओ बी की संख्या	02 (Nos.)
20	रोड अन्डर पुलों / एलएचएस की संख्या	03 / 01 (Nos.)
21	लघु पुल की संख्या	38 (Nos.)
22	नए स्टेशनों की कुल संख्या	12 (Nos.)
23	खुली कटिंग / तटबंध की लंबाई	18.43 (Km)

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को रेल मंत्रालय द्वारा सितंबर–2011 में इस प्रतिष्ठित परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया था। पहले के अध्ययनों के आधार पर, रेलवे मंत्रालय द्वारा 2010–11 में 4295.3 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लाइन को मंजूरी दी गई थी। विस्तृत आंकलन के अनुसार नवंबर–2016 में बोर्ड द्वारा 16216.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

सुरंगों और पुलों की योजना और डिजाइनिंग के साथ–साथ साइट तक पहुंच के लिए वास्तविक सुरंग निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निम्नलिखित निर्माण के लिए साइट को तैयार करने वाले कार्य शुरू किए गए और पूरे किए गए।

- संपूर्ण परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1:5000 स्केल) और भू–भौतिकीय अध्ययन (भूकंपीय और प्रतिरोधकता सर्वेक्षण) पूरा हो गया।
- पूरे प्रोजेक्ट के लिए भू–तकनीकी जांच (जीटीआई) पूरी की गई – 164 बोर होल और 15.6 किमी रॉक ड्रिलिंग (600 मीटर गहराई तक)।
- सभी प्रमुख पुलों के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन (राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान) और साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन और एमएएसडब्ल्यू अध्ययन (आईआईटी रूड़की) पूरे हो गए।
- विभिन्न कार्य स्थलों तक एप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश के बीच 5.7 किलोमीटर लंबाई का पहला ब्लॉक खंड चालू किया गया है, जिसमें वीरभद्र स्टेशन पर सुविधाओं का उन्नयन और ऋषिकेश में विश्व स्तरीय ग्रीन रेलवे स्टेशन का निर्माण शामिल है।
- मौजूदा वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (पीके–1ए) के बीच 5.7 किमी का पहला ब्लॉक खंड मार्च 2020 में चालू किया गया है। इसमें ऋषिकेश तक बाईपास रोड पर एक आरयूबी और देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क पर एक आरओबी का निर्माण भी शामिल था।
- योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर ट्रेन रखरखाव की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

सुरंग कार्य:–

- वीरभद्र स्टेशन से 6 किमी से आगे का संरेखण सुरंगों में है। सुरंग निर्माण कार्य में 46 ड्राइव, 8 एडिट के साथ 16 सुरंगें शामिल हैं और जंबो ड्रिल जैसी सबसे परिष्कृत आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके प्रति माह 05 किमी की औसत प्रगति पर सभी सुरंगों (77 फैस के साथ सुरंग ड्राइव) में प्राथमिक लाइनिंग के साथ भूमिगत खुदाई जारी है। तेज़ खुदाई के लिए कम स्पंदन तकनीक वाली शॉटक्रीट मशीनें और कन्टिन्यूअस लोडर को प्रयोग में लाया जा रहा है। कुल सुरंग खुदाई की प्रगति (मुख्य सुरंग, एस्केप सुरंग, एडिट और क्रॉस पैसेज सहित) 88.25þ है जो 213 किमी (एमटी–104 किमी, ईटी–97.7 किमी, एडिट–4.8 किमी और सीपी–7) के कुल लंबाई के मुकाबले 187.98 किमी पूरी हो चुकी है।
- 46 ड्राइव में से ब्रेकथ्रू (आर दृ पार) टी2, टी3, टी4, टी6, टी7, टी8, टी9, टी10, टी11, टी12, टी13, टी15 और टी16 पूरे हो चुके हैं, जिनकी कुल लंबाई 98.78 किमी है, जिससे अंतिम

लाइनिंग कार्य शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, ताकि बीएलटी कार्य शुरू किया जा सके । वर्तमान में, टीबीएम सुरंग सहित 70.34 किमी फाइनल लाइनिंग पूरी हो चुकी है।

सुरंग जो पूरी तरह आर –पार हो चुकी है –ET–2, MT–2, ET–3, MT–4, MT–6, MT–7, MT–9, MT–10, ET–10, ET–11, ET–12, ET–13, MT–13, ET–15 –ET–16 (MT-MainTunnel, ET-Escape Tunnel)

रेलवे पुलः

- चंद्रभागा सहित अलकनंदा नदी पर 19 में से 05 महत्वपूर्ण/प्रमुख पुल पूरे हो चुके हैं, जबकि 10 पुल इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है ।
- सुरंग कार्यों के साथ–साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
- श्रीनगर, गौचर और सिवाई में कार्य स्थलों तक पहुंच के लिए प्रमुख सड़क पुल पूरे हो गए हैं।
- सुरंग कार्यों के साथ–साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
- लंबी सुरंगों को जल्दी पूरा करने और इस प्रकार परियोजना को जल्दी पूरा करने की सुविधा के लिए सुरंग खुदाई के अतिरिक्त फैस बनाने के लिए जहां भी संभव हो, विभिन्न सुरंगों में आठ एडिट की पहचान की गई। 8 में से 8 एडिट (4.822 किमी) का काम पूरा हो चुका है। इससे मुख्य सुरंग निर्माण में तेजी आई है।

अध्याय–16
उद्योग
Industry

राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद औद्योगिक विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। राज्य के देश में सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक होने का श्रेय अनुकूल औद्योगिक नीति और उदार कर नीति को जाता है। इन लाभों से उत्पन्न पूंजी निवेश में भारी वृद्धि की है। विनिर्माण क्षेत्र में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 48 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद राज्य में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों की संख्या अत्यधिक न्यून है। राज्य में सीमेंट, खाद्य तेल, रसायन, वनस्पति, खनिज प्रसंस्करण, विद्युत इंजीनियरिंग, वस्त्र, फार्मा, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, बागवानी जैसे प्रौद्योगिकी, एफ0एम0सी0जी0 (FMCG) ओटोमोबाईल जैसे उद्योगों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है।

राज्य में नवीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान (SIDCUL), पंतनगर, देहरादून, हरिद्वार, सितारगंज में स्थापित किये गये हैं। यही नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 (MSME) नीति 2015, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008, लागू कर मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति सम्मेलन का आयोजन कर वृहत स्तर पर औद्योगिक समूहों को निवेश हेतु आमंत्रित किया गया।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, क्रय वरीयता नीति लागू की गई है। एक जनपद दो उत्पाद (One District Two Product) कार्यक्रम प्रारम्भ कर स्थानीय ऐसी वस्तुओं को उत्पादन प्रचार–प्रसार कर स्वरोजगार उत्पन्न करने के प्रयास किये गये है। इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक नीतियों को निवेशकों के अनुरूप बनाया गया है। सिंगल विंडों सुविधा के साथ ही सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को विशेष लाभ प्रदान किया गया है। युवाओं में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिये स्टार्ट–अप नीति लागू की गई है।

विगत 24 वर्षों में तेजी से औद्योगिक विकास मैदानी जनपदों तक ही सीमित होने के कारण राज्य के पर्वतीय जनपद लाभन्वित नहीं हो पाये है। पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक निवेश की सम्भावना वाले क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं पर्यटन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय जनपदों में उद्यान एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योगों को वरीयता प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

तीव्र औद्योगिक विकास हेतु एमएसएमई क्षेत्र की, कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित करने में, राष्ट्रीय आय और आय के अधिक समान वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में औद्योगिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। वर्तमान वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक) में कुल 88489 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं। गत 24 वर्षों में औद्योगिक इकाईयों में 6 गुणा से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 24 गुणा तथा रोजगार में 10 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है।

राज्य में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2, उद्योग आधार ज्ञापन तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों में ₹ 17057.74 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 442193 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

तालिका 16.1
उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार (संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2019–20	28	35	501	3595	4131	1731.15	28700
2020–21	2	29	250	3990	4271	909.48	22387
2021–22	0	106	252	4715	5073	871.50	35990
2022–23	0	1	32	5451	5484	646.13	22597
2023–24	0	0	26	5284	5310	665.87	23057
2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक)	0	1	14	3719	3734	411.18	14108

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका 16.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)		सृजित रोजगार	
	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत
08.11.2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां	14163	39	700.29	8369.78	38509	29197
09.11.2000 से माह नवम्बर, 2024 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	74326	290	16357.45	29588.16	403684	82254
योगः–	**88489**	**329**	**17057.74**	**37957.94**	**442193**	**111451**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–16.1

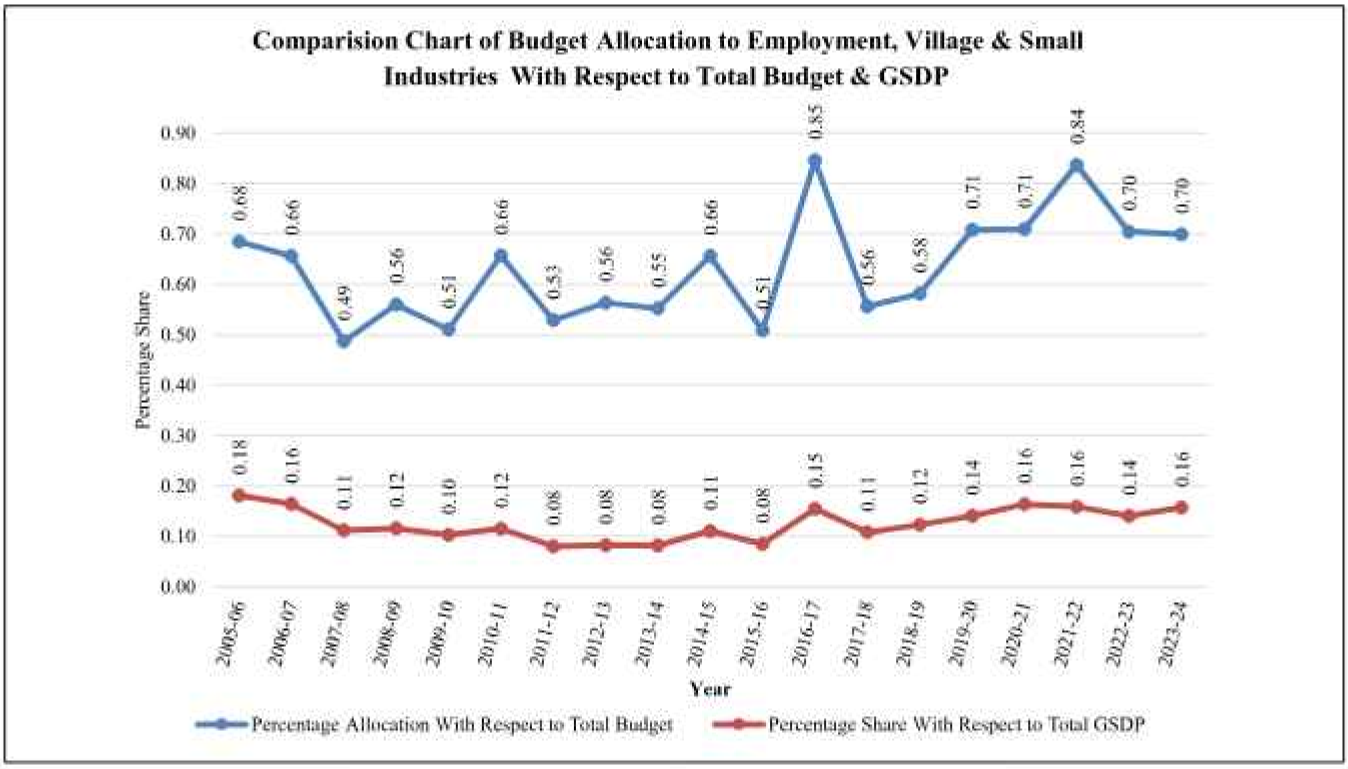

Source: (Directorate of economics and statistics)

16.1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः–विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा एवं स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता दी जाती है। यद्यपि सीधे कृषि कार्य (फसल उगाना) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है, परन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि जैसे मशरूम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, पॉली हाऊस में साग–सब्जियों, हर्बल और सगन्ध पौध की खेती, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, भेड–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं। योजना हेतु अभ्यर्थी द्वारा www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।

तालिका 16.3
वर्षवार लाभान्वितों एवं रोजगार की स्थिति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	सृजित रोजगार
2020–21	3136	9408
2021–22	4863	14589
2022–23	7407	22221
2023–24	9569	28707
2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	5661	16983

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यमः– अक्टूबर, 2021 से लागू योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) के अंतर्गत www.msy.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त सफल ऑनलाईन आवेदक को रू0 50 हजार तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान/ग्राण्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को विकसित पोर्टल द्वारा लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) किया जाता है। कुल परियोजना लागत पर 25–40 प्रतिशत उपादान (Subsidy) का भी प्राविधान है।

तालिका–16.4
वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
2021–22	902
2022–23	2351
2023–24	1135
2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	245

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):– अगस्त, 2008 से प्रारम्भ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जनपद के जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र के लिये 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिये 20 लाख तक ऋण सुविधा का प्राविधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15, 25 एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। अभ्यर्थी www.kviconline.gov.in ऑनलाईन आवेदन करते है।

तालिका–16.5
वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ रू0 में)	सृजित रोजगार
2019–20	1815	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17576
2021–22	1832	39.60	14656
2022–23	1803	46.32	14424
2023–24	1346	41.40	10768
2024–25 (माह दिसम्बर तक)	443	12.90	3544

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.4 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्थाः—"उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" हेतु संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) पर उद्यमी सभी सूचनायें निर्धारित समय—सीमा के अन्तर्गत "निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र" के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों / अनुमोदनों / अनुज्ञापनों / अनुज्ञप्तियों / अनुमतियों में शिथिलीकरण करते हुये सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त तीन वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक—2022 पारित किया गया है।

तालिका—16.5

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April-2016 To March-2017	MSME	468	631.95	5422
	LARGE	15	1639.64	3134
April-2017 To March-2018	MSME	549	1144.81	9195
	LARGE	17	1412.16	3809
April-2018 To March-2019	MSME	1075	3201.08	24354
	LARGE	48	5554.96	8823
April-2019 to March-2020	MSME	1560	4352.5	35725
	LARGE	56	7656.65	8448
April-2020 to March, 2021	MSME	1495	2768.73	26390
	LARGE	41	1888.46	4417
April-2021 to March, 2022	MSME	1791	4796.72	32903
	LARGE	63	4088.38	13911
April-2022 to March, 2023	MSME	2014	8220.47	38188
	LARGE	17	3172.5	3849
April-2023 to March, 2024	MSME	2062	10865.43	42708
	LARGE	21	1498081	6821
April-2024 to December, 2024	MSME	1628	10283.43	34390
	LARGE	9	1381.99	1872
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**12098**	**12642**	**46265.12**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**282**	**287**	**41775.55**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**12380**	**12929**	**88040.67**

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.5 ईज आफ डूईंग बिजनेसः— वर्ष 2021 में ईज आफ डूईंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों में उत्तराखण्ड अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। एमएसएमई नीति में इस क्षेत्र के विकास के लिये आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ—साथ समुचित इको सिस्टम विकसित करने पर सरकार का ध्यान, एक नागरिक अनुकूल और उत्तरदायी प्रशासन के प्रति केन्द्रित है। 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाकर तरह—तरह की मंजूरी के लिए समय—सीमा में कमी की है। राज्य में एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों के "वन स्टॉप शॉप" के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

16.6 जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) का संचालनः— भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरूआत की गई। जेड प्रमाणन के माध्यम से, एमएसएमई इकाईयां अपने नुकसान को काफी हद तक कम और उत्पादकता को बढा सकते हैं। इसके माध्यम से पर्यावरण, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं। जेड योजना में एमएसएमई को कार्य संस्कृति, उत्पादों के मानकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

तालिका 16.7

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024) तक राज्य की प्रगति

जेड प्रमाणन की श्रेणी	राज्य की एमएसएमई इकाईयां
गोल्ड	11
सिल्वर	8
ब्रॉज	723
योगः–	**742**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.7 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023ः–उत्तराखण्ड में खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्‌देश्य से, राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टप्स के लिये सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिये उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023 प्रख्यापित की गई है।

लक्ष्यः

- आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना।
- नवोन्मेशी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, स्थिरता वाले स्टार्टअप उद्यमों की जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- प्रदेश में अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की स्थापना करना।
- प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इन्क्यूबेशन सेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।
- स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूंजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना।
- अनुकूल वातावरण का सृजन कर उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

16.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहनः–

तालिका 16.8

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों की जनपदवार विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	पंजीकृत इकाईयॉ
1.	देहरादून	39
2.	हरिद्वार	5
3.	ऊधमसिंहनगर	6
4.	टिहरी	1
5.	नैनीताल	18
6.	अल्मोड़ा	4
7.	बागेश्वर	4
8.	पिथौरागढ़	1
9.	रूद्रप्रयाग	2
10.	पौडी गढवाल	1
योगः–		**81**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

• **वित्तीय प्रोत्साहनः**– स्टार्टअप आइडिया को उचित मूल्यांकन के बाद, स्टार्टअप की स्थापना, प्रगति तथा विभिन्न चरणों के वित्त पोषण की आवश्यकता के बाद स्वीकृत किये जाते है।

• **मासिक भत्ताः**– टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ₹ 15,000 प्रतिमाह मासिक भत्ता पाने के लिए अर्ह होंगे। महिला उद्यमियों के स्वामित्व में या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, जो ग्रासरूट पर नवाचारों की दिशा में काम कर रहा है या असंयत प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण प्रभाव वाले किसी भी नवोन्मेशी स्टार्टअप ₹ 20,000 प्रतिमाह/प्रति स्टार्टअप मासिक भत्ते के रूप में देय होगा।

• **सीड फण्डः**–एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो विचार अवस्था या प्रोटोटाइप चरण में है, ₹ 10 लाख तक की एकमुश्त सीड फंडिंग के लिए पात्र होगा। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, ट्रांसजेंडर या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के मामले में, ₹ 12.5 लाख तक सीड फंडिंग दी जायेगी। असंयत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को ₹ 2.5 लाख तक की अतिरिक्त सीड फंडिंग प्रदान की जाएगी।

पेटेंटः–भारतीय पेटेंट के लिए व्यय की गई राशि की शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम ₹ 1.0 लाख (प्रति पेटेंट) तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु ₹ 5.0 लाख (प्रति पेटेंट) पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद 75 प्रतिशत और पेटेंट के अनुदान के समय 25 प्रतिशत प्रत्येक स्टार्टअप को स्वीकृत किया जायेगा।

• **ट्रेडमार्कः**–ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने पर ₹ 10,000 रुपये (प्रति ट्रेडमार्क) तक की प्रतिपूर्ति। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अधिकतम दो ट्रेडमार्क हेतु प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

• **औद्योगिक डिज़ाइनः**–औद्योगिक डिज़ाइन आवेदन जमा करने के लिए ₹ 10,000 (प्रति औद्योगिक डिजाइन) तक की प्रतिपूर्ति। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के अधिकतम दो डिजाइन हेतु प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहनः–उत्तराखण्ड

एमएसएमई नीति या पात्र स्टार्टअप संबंधित नीतियों के तहत निर्दिष्ट मानदंड और उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।

प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट:–महत्त्वाकांक्षी उद्यमी या महिला/छात्र उद्यमी या ग्रास रूट प्रभाव वाले स्टार्टअप या नवप्रवर्तक/उद्यमी उत्पाद विकास हेतु मेंटरिंग तथा हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट पर एक बार निःशुल्क इनक्यूबेशन सहायता के लिए पात्र होंगे।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर:–मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एक्सपोजिशन, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सलरेशन कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

तालिका 16.9

सहायता की आवृत्ति	भागीदारी की श्रेणी	प्रतिपूर्ति सहायता
एक	अंतर्राष्ट्रीय	• इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना (एक संस्थापक/सह–संस्थापक के लिए) • बजट आवास (एक संस्थापक / सह–संस्थापक के लिए) • स्टाल स्थान भागीदारी शुल्क, यदि कोई हो
दो	राष्ट्रीय	

तालिका–16.10
इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदानः

विवरण	सहायता की मात्रा	सहायता की सीमा
नए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना	₹ 1 करोड़ तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर
मौजूदा इन्क्यूबेशन केंद्रों का विस्तार	₹ 50 लाख तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका–16.11
शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटरः

वित्तीय सहायता	विश्वविद्यालय	संस्थान और कॉलेज
नए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान	₹ 1 करोड़ तक	₹ 30 लाख तक
मौजूदा इनक्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान	₹ 50 लाख तक	₹ 20 लाख तक

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका—16.12

जनपदवार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप
1.	देहरादून	120
2.	हरिद्वार	22
3.	ऊधमसिंहनगर	14
4.	नैनीताल	15
5.	पौड़ी	9
6.	अल्मोड़ा	5
7.	चमोली	2
8.	टिहरी	2
9.	पिथौरागढ़	3
	योगः—	192

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

चार्ट—2

Startup Uttarakhand: Sector-wise Distribution

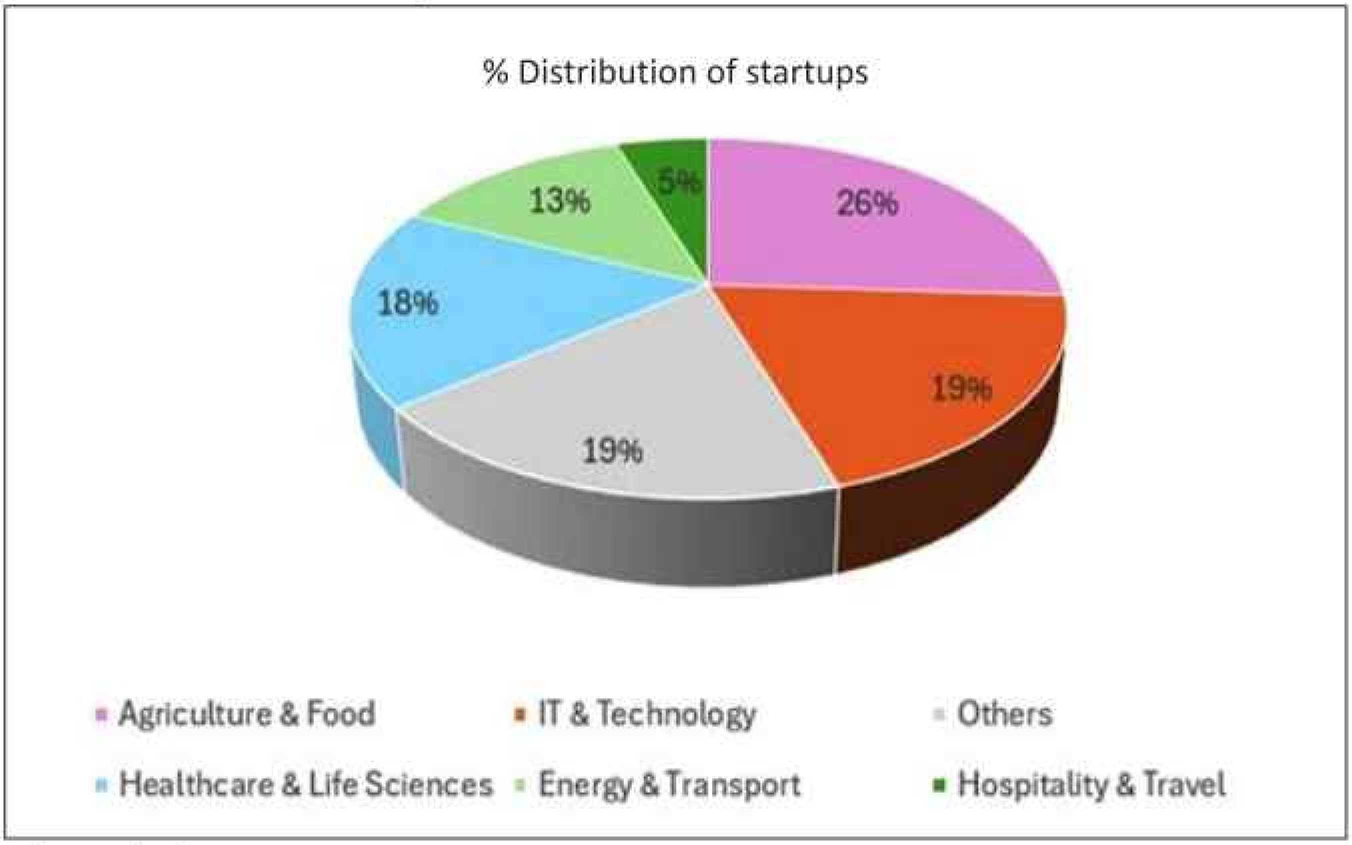

स्त्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखंड

चार्ट–3

No of Startups (Growth)

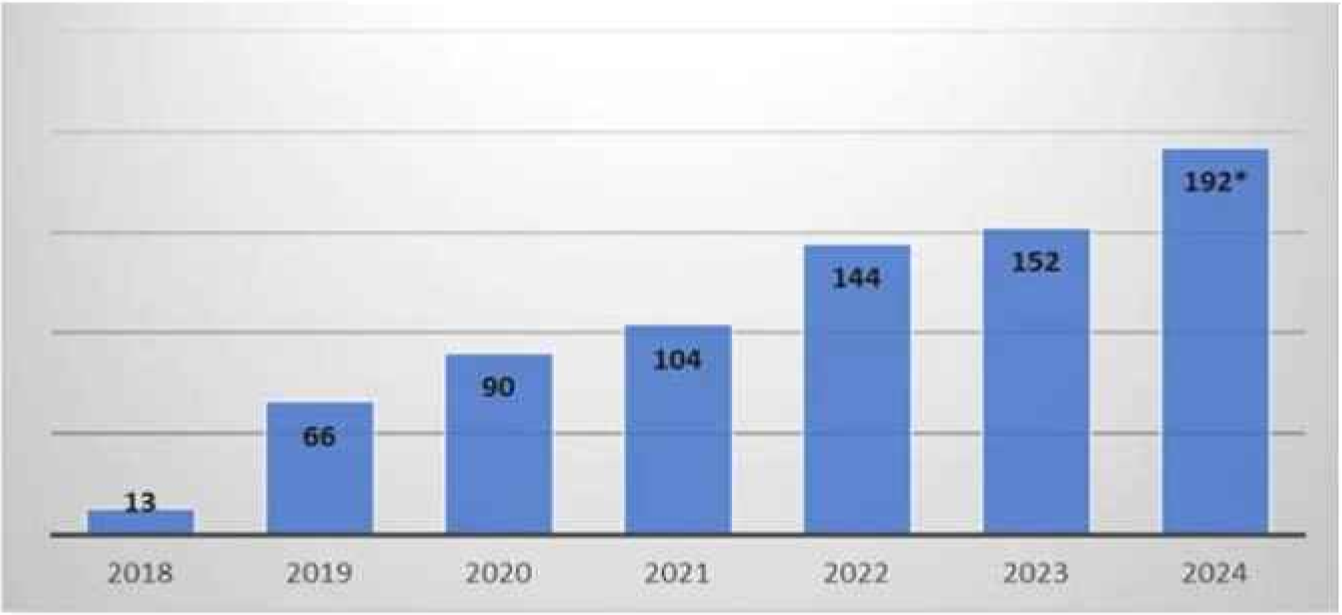

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.9 उत्तराखण्ड से निर्यात एवं आयात की स्थितिः– नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वर्ष 2022 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान और सम्पूर्ण देश में नौवें स्थान पर है। राज्य से निर्यात को बढावा देने के लिये 15 दिसम्बर, 2021 को नई निर्यात नीति लागू की गई है। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने की दिशा में पंतनगर और काशीपुर में 02 आईसीडी (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) तथा पंतनगर मे 01 मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक संपदा विकसित की है। बनबसा (चम्पावत) में 01 लैण्ड कस्टम स्टेशन को लैण्ड पोर्ट अथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा एक एकीकृत चैक पोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में इनलेण्ड कन्टेनर डिपो एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिये प्रयास किये जा रहे है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेटस रैकिंग में उत्तराखण्ड राज्य एचीवर्स श्रेणी में शामिल है।

उत्तराखण्ड ऑटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाये जाने की अपार सम्भावनायें हैं। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैव–प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2024–25 में माह अगस्त, 2024 तक का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–16.13

वर्ष	कुल निर्यात (करोड रूपये में)
2011–12	3530
2012–13	6071
2013–14	6782
2014–15	8509
2015–16	7350

2016–17	6011
2017–18	10837
2018–19	16285
2019–20	16971
2020–21	15915
2021–22	14414
2022–23	14311
2023–24	14928
2024–25 (माह अगस्त, 2024 तक)	34.80

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका–16.14
उत्तराखण्ड से निर्यात का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2024–25) (माह अगस्त, 2024 तक)

S.No	HS Codes	Commodity Section	Value In INR (In Crore)
1	01.05	पशु एवं पशु उत्पाद	0
2	06.14	सब्जी उत्पाद	0.42
3	15	पशु या वनस्पति वसा	0
4	16.24	तैयार खाद्य पदार्थ	1.86
5	25.27	खनिज उत्पाद	0.08
6	28.38	रासायनिक उत्पाद	6.24
7	39.40	प्लास्टिक और रबर	2.83
8	41.43	खाल और खाल उत्पाद	0
9	44.46	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	0.01
10	47.49	लकड़ी के गूदे के उत्पाद	0
11	50.63	कपड़ा एवं कपड़े की वस्तुयें	0.48
12	64.67	जूते, टोपी	0.01
13	68.70	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस की वस्तुयें	0.20
14	71	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर, धातुयें	12.81
15	72.83	आधारभूत धातुयें और उनसे बनी वस्तुयें	7.72
16	84.85	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण	0.39
17	86.89	परिवहन उपकरण	0.81
18	90.92	उपकरण–मापन, संगीत	0.06
19	93	हथियार और गोला बारूद	0
20	94.96	मिश्रित	0.88
21	97.98	कला के कार्य	0
22	99	अन्य	0
कुल योगः–			**34.80**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.10 उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023:–विभिन्न जनपदों को उनकी भौगोलिक परिस्थिति तथा उनके औद्योगिक विकास के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

श्रेणी	सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
	टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
	नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
	टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनि की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
श्रेणी–सी	देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
	नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

16.11 अनुमन्य गतिविधियां:–

• **वित्तीय प्रोत्साहन सहायता** – सूक्ष्म उद्यमों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, व्यय शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त देय होगी

• **स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति** – उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, श्रेणी–ए और बी हेतु 100 प्रतिशत, श्रेणी–सी हेतु 75 प्रतिशत, श्रेणी–डी हेतु 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात देय होगी।

• **पूंजीगत उपादान** – विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, नियमानुसार पूंजीगत उपादान

सहायता देय होगी।

• अतिरिक्त पूंजीगत उपादान – विशिष्ट श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नियमानुसार अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

• **टॉप–अप सहायता–** ऐसे उद्यम जिन्हें पीएमईजीपी / पीएमएफएमई / एमएसवाई योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता अनुमन्य है और उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 की चिन्हित गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, को पूंजीगत उपादान/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्यता अनुसार टॉप–अप के रूप में देय है। पूंजीगत उपादान सहायता/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दावा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

• **ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति** – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय है।

• **विद्युत ड्यूटी पर छूट** – ऐसे नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 तक हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट देय है।

• **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति** – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस. ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस. /पेटेंट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराईट/एफ.एस.एस.ए.आई. /प्रदूषण नियंत्रण/जेड– Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय है।

• **मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति** – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक देय है।

• **जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार** – गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र तथा निम्नवत् धनराशि प्रदान की जाती है–

तालिका–16.11

जेड प्रमाण पत्र श्रेणी	पुरस्कार धनराशि ₹ में
गोल्ड श्रेणी	75000 प्रति इकाई
सिल्वर श्रेणी	50000 प्रति इकाई
ब्रांज श्रेणी	25000 प्रति इकाई

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

• **क्लस्टर विकासः**— राज्य में विकसित 50 क्लस्टर को अधिकतम ₹ 05 करोड़ (प्रति क्लस्टर) तक की सहायता वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में देय है।

16.12 निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023:–

• राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने के लिए नई नीति प्रख्यापित की गयी है। नई नीति के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं–

• निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होनी आवश्यक है।

• निजी क्षेत्र में आईटी पार्क/बायोटैक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।

• इस नीति के तहत विनिर्माणक उद्योगों के साथ–साथ सैक्टर विशेष के उद्योगों, जैसे: परिधान/वस्त्र उद्योग पार्क, फूड पार्क, अरोमा पार्क, ऑटामोबाइल एंसिलरी उद्योग पार्क, आईटी/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क, नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी/क्षेत्र, मेडिसिटी, एजुसिटी आदि के विकास के लिए औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है।

• निवेशक/प्रवर्तक अपने स्रोतों से स्वयं भूमि की व्यवस्था करेगा। भूमि प्राप्त करने हेतु सिडकुल को प्रस्ताव देना होगा, ताकि सिडकुल बोर्ड प्रस्ताव पर नियम व शर्तों के साथ निर्णय ले सके।

• निजी क्षेत्र के आस्थानों को सीडा के मानदण्डों, यूनीफाइड बिल्डिंग बॉय–लॉज का पालन करना आवश्यक होगा।

• औद्योगिक आस्थनों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आन्तरिक सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सामान्य सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व आस्थान की प्रवर्तक संस्था/कम्पनी/स्वामी की होगी।

• मैदानी क्षेत्र के बृहत औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 10 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयां तथा पर्वतीय क्षेत्र के मिनी औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 05 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि दी जानी आवश्यक होगी।

• निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/विनियमन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा दूसरे चरण में आस्थान के लिए अर्जित भूमि पर सीडा द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

• निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के बाहर आवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये ₹ 100 करोड़ की निधि से आवस्थापना विकास कोष बनाया जायेगा, जिसका संचालन सिडकुल द्वारा किया जायेगा। कोष की उक्त निधि में से औद्योगिक आस्थान में किये जा रहे कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष 2 प्रतिशत धनराशि आस्थान के बाहर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु दिया जायेगा।

• निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए आवेदकों को औद्योगिक आस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹10 लाख प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत उपादान भी दिया जायेगा, जिसकी 10 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि के अर्जन, स्थल विकास/ले–आउट की

स्वीकृति का कार्य पूर्ण होने पर अवमुक्त की जाएगी। तत्पश्चात 25 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण होने पर, 40 प्रतिशत धनराशि कुल बिक्री योग्य भूखण्डों में से 60 प्रतिशत भूखण्डों की बिक्री होने तथा 25 प्रतिशत धनराशि औद्योगिक आस्थान के पूर्ण रूप से संचालन तथा 50 प्रतिशत उद्योगों की स्थापना होने पर देय होगी।

• निजी औद्योगिक आस्थानों में सीईटीपी की स्थापना पर भी किये गये अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 01 करोड़ तक का उपादान दिया जायेगा।

• स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों का संवितरण सिडकुल द्वारा बनाए गए एस्क्रो एकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

• प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

16.13 एक जनपद दो उत्पादः— प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना, सितम्बर, 2021 में लागू की गयी है।

• **मार्जिन मनी सहायताः** प्रत्येक जनपद में चिन्हित ओडीटीपी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए नयी एवं पूर्व से कार्यरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई नीति—2015, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आदि से डवटेलिंग की जायेगी।

• **सामान्य सुविधा केन्द्र सहायताः** सामूहिक सुविधा केन्द्रों का विकास भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, स्फूर्ति योजना, डीसी हैण्डलूम एवं डीसी हैण्डीक्राफ्ट की सामान्य सुविधा केन्द्र योजना/राज्य की ग्रोथ सेन्टर योजना से डवटेलिंग करते हुए किया जायेगा।

• **विपणन सहायताः** जनपद/राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला, प्रदर्शनी एवं सेमिनार/बायर—सेलर मीट में प्रतिभाग पर स्टाल किराया/आने जाने का व्यय प्रतिपूर्ति तथा आवास के लिए सामूहिक व्यवस्था आनलाइन मार्केटिंग/पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं/राज्य सरकार की मार्केटिंग योजना के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

ब्राण्डिंगः चिन्हित उत्पादों की ब्रान्डिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर विभाग द्वारा विपणन हेतु विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा भारत सरकार की योजनाओं से डवटेलिंग कर सहायता प्रदान की जायेगी।

पात्र गतिविधियांः पात्र गतिविधियों में एक जनपद दो उत्पाद योजना में जनपद हेतु चिन्हित दो उत्पादों के विर्निमाण/सेवा तथा राज्य के सभी 26 उत्पादों के व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधि शामिल है।

16.14 विश्व बैंक सहायतित रैम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Productivity Programme)

रैम्प योजना एमएसएमई के सुधार हेतु सेन्ट्रल सैक्टर योजना के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2022—23 में बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केन्द्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों, सम्बन्धों, साझेदारियों को बेहतर करने, एमएसएमई द्वारा विलंम्बित भुगतान और पर्यावरण अनुकुल उत्पाद एवं प्रकियाओं से सम्बन्धित मुद्दों को

सुलझाने के उद्देश्य से लागू की गयी है।

16.15 योजना के घटकः– RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan) तैयार कर सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु मंत्रालय को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निर्धारित समयावधि में दिया जाना होगा। भारत सरकार द्वारा SIP तैयार करने में ₹ 5. 00 करोड़ तक का अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान 20 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों में प्राप्त होगा।

SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर–कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है। RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित डैडम मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।

16.16 योजना के लाभः– RAMP कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा के मामले में मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि कर क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्द्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और मार्केटिंग प्रमोशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा।

उच्च उद्योग मानकों, उद्योग प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दे कर तथा MSME को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान कर 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' का पूरक होगा।

16.17 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टर– परंपरागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समूचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरष्कार प्रदान किये गये। बी0पी0एल0 श्रेणी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं को रोजगार से जोड़े जाने हेतु विभिन्न शिल्पों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें उन्हें दो माह का विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के साथ विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उत्कृष्ट उत्पादों को "हिमाद्रि" ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल अमेजन एवं फिलपकार्ट पर भी राज्य के शिल्प उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन, ऐंपण, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जी0आई0) प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में नेटल(बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैण्डल, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति को जी0आई0 प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतांक(जी0आई0) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।

16.18 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 – माह नवम्बर, 2024 में भारत मण्डपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 43वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 (IITF) आयोजित किया गया है जिसकी थीम इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा Viksit Bharat@2047 निधारित की गयी थी। उत्तराखण्ड राज्य से स्टार्टअप, हथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं लघु उद्यम उत्पादों के 34 स्टॉलों के अतिरिक्त हिमाद्रि इम्पोरियम, देहरादून उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून के 05 विभागीय स्टॉल सहित कुल 39 स्टॉल स्थापित किये गये। शिल्पियों / बुनकरों / उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की कुल बिक्री ₹ 1.49 करोड़ रही। भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से पुरस्कृत किया गया।

16.19 उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी का अर्थ है– कपास, रेशम या ऊन के हाथ से कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत मे हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है– ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूँजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी मैदानी क्षेत्र मे 3.00 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्रों मे 4.50 लाख से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

अगस्त, 2002 में गठित उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उददे्श्य खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा उनका संगठन करना है। बोर्ड द्वारा सम्पादित महत्तवपूर्ण कार्य निम्नानुसार है–

- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना, जो बोर्ड की राय मे उपयुक्त हो।

- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादन, प्रचार तथा क्रय–बिक्रय की व्यवस्था करना।

- खादी उत्पादन की विधियों मे अनुसंधान करना, स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण और अनुरक्षण में सहायता करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।

- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग मे लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी हैं, से समन्वय करना एवं खादी निर्माताओं द्वारा सहकारी प्रयास को बढावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों; जैसे– सर्वेक्षण, मार्केटिंग, पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजाईनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों / सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

16.20 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण :–

1. उत्तराखण्ड ऊन योजनाः– उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में ऊनी व्ययसाय की असीम संभावनाओं को देखते हुये पारम्परिक काश्तकारों के संरक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों (विशेषकर महिलाओं) को ऊनी कताई–बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024–25 में प्रदेश में 60 महिलाओं को कताई एवं 30 व्यक्तियों को बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

तालिका–16.16

वर्ष 2024–25 में उत्पादन एवं बिक्री की प्रगति (धनराशि लाख में)

क0 सं0	केन्द्र का नाम	तागा उत्पादन (किग्रा0)		वस्त्र उत्पादन		बिक्री	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति
1.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), अल्मोड़ा	5684.000	734.240	77.64	45.24	100.00	52.45
2.	लोक वस्त्र इकाई, जसपुर (ऊ0 सिं0 नगर)	7000.000	3525.150	72.00	37.72	72.00	35.65
3.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), चम्बा	5684.000	3327.700	77.64	59.68	100.00	26.75
4.	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन), श्रीनगर गढ़वाल	5684.000	216.000	77.64	22.51	100.00	26.27
	योग –	**24052.000**	**7798.090**	**304.92**	**165.15**	**372.00**	**141.12**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):– छोटे–छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र हेतु ₹ 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹ 50.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत मार्जिन मनी/सब्सिडी का स्तर निम्नवत है:–

पीएमईजीपी के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणियाँ	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)	(प्रतिशत में)	शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10	15	25
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाडी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिकृत) आदि सहित	5	25	35

तालिका–16.17
वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय (मा0म0)	रोजगार	इकाई संख्या	मार्जिन मनी (लाख में)	रोजगार संख्या
नैनीताल	38	104.10	418	9	17.86	167
ऊधम सिंह नगर	30	82.19	330	10	46.21	37
अल्मोड़ा	25	68.49	275	18	45.35	135
बागेश्वर	14	38.35	154	3	4.20	14
पिथौरागढ़	30	82.19	330	10	18.98	221
चम्पावत	27	73.97	297	9	49.09	91
चमोली	28	76.71	308	12	16.07	84
देहरादून	28	76.71	308	11	29.80	54
हरिद्वार	28	76.71	308	19	60.29	260
पौड़ी	20	54.79	220	7	17.84	46
रूद्रप्रयाग	17	46.57	187	11	24.42	74
टिहरी	27	73.97	297	8	18.93	86
उत्तरकाशी	17	46.57	187	7	15.36	92
योग–	**329**	**901.32**	**3619**	**134**	**332.49**	**1361**

स्त्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:– बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रेरित एवं प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹ 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत ₹ 10.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2024–25 में योजना की प्रगति निम्नवत् है–

तालिका–16.18
वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्यांक ईकाई संख्या	बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा स्वीकृत	बैंकों द्वारा वितरित	मार्जिन मनी दावा
नैनीताल	300	139	31	16	15
उधमसिंहनगर	200	83	12	12	12
अल्मोडा	240	23	14	6	6
बागेश्वर	270	38	20	15	15
पिथौरागढ	250	43	26	18	17
चम्पावत	250	88	43	43	43
चमोली	300	47	21	20	18
देहरादून	250	155	46	33	27
हरिद्वार	300	224	59	41	41

पौड़ी	270	79	43	37	36
रूद्रप्रयाग	250	225	70	30	30
टिहरी	200	83	50	47	46
उत्तरकाषी	270	142	40	32	32
योग–	**3350**	**1369**	**475**	**350**	**338**

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

4. खादी वस्त्रों की बिकी पर छूट :–प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर श्री गॉधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिकी पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत की छूट का लाभ अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा पंजीकृत 60 संस्थाओं के लगभग 200 बिकी केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचाई जाती है। योजना का उद्देश्य खादी की पहुँच आम जनमानस तक पहॅुचाना एवं पारम्परिक काश्तकारों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

कतकर–बुनकर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये) का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–16.19
कतकर–बुनकर (श्रेणीवार) का विवरण

कतकर	14842	पुरूष	2168	सामान्य	7385
बुनकर	1846	महिला	14954	अनु0जाति	1451
अन्य	434			अनु0जनजाति	768
				पिछड़ी जाति	7518
योग	**17122**		**17122**		**17122**

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.21 भूतत्व एवं खनिकर्मः– उत्तराखण्ड एक हिमालयी पर्वतीय राज्य है, जहाँ विद्यमान मुख्य खनिज के रूप में मैग्नेसाइट, लाईमस्टोन, बेसमेंटल (सोना, चांदी, लेड आदि) इत्यादि तथा उपखनिज में स्वस्थानें चट्टानें किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट आदि तथा नदी तल उपखनिज के रूप में बालू, बजरी, बोल्डर आदि उपलब्ध हैं। वन क्षेत्रान्तर्गत नदी तल, खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा तथा निजी नाप भूमि क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों द्वारा खनन कार्य किया जाता है।

राज्य में मैग्नेसाइट की 03 खदानें, लाईमस्टोन की 02 खदानें, खनिज सोपस्टोन की 179 खदानें, सिलिका सैण्ड की 01 खदान, उपखनिज आर०बी०एम० की 85 खदानें वर्तमान में स्वीकृत है।

उपखनिज आर०बी०एम० पर आधारित कुल 387 स्टोनक्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में खनिजों से कुल ₹ 875.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष कुल ₹ 645.00 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 875 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 699.42 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

16.22 विभाग के मुख्य कार्यः– खनिज अन्वेषण एवं भू–अभियांत्रिकी सम्बन्धी कार्य विभाग में कार्यरत भू–वैज्ञानिकों एवं खनन प्रशासन से सम्बन्धित खनन अभियंताओं के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। खनिज अन्वेषण से सम्बन्धित कार्य

प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, भारत सरकार में पंजीकृत है, के द्वारा भी किया जा रहा है। भारत सरकार में पंजीकृत एक प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, जियो वेल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा छः खनन ब्लॉकों में मुख्य खनिज बेसमेटल के अन्वेषण कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यवाही गतिमान है। राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु मुख्य खनिज के पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने का प्राविधान है, जिसमें माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त कोष में जमा ₹ 7.42 लाख की धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित खनिज अन्वेषण कार्यों में किया जायेगा।

प्रदेश में माह अक्टूबर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024, माह अक्टूबर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोनक्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोनक्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति, 2024 एवं माह सितम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 प्रख्यापित की गई है।

अवैध खनन एवं परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS), भारत सरकार के उपक्रम आ0टी0आई0 लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित है। सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 94.53 करोड अनुमोदित है। चार मैदानी जनपदों में अवैध खनिजों के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु 40 स्थानों में अत्याधुनिक तकनीकी युक्त 45 चैक गेट स्थापित किये जायेगें, जिस हेतु आ0टी0आई0 लि0 के साथ (Mou) कर प्रथम किस्त ₹ 25.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।

खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल का उच्चीकरण किया जाता है। खनन प्रशासन कार्य कलापों के अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं।

16.23 वर्ष 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 हेतु रणनीतिः–वर्ष 2027–28 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 3000 करोड़ होने का अनुमान है तथा खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यों एवं अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के लगभग 9000 तथा भू–अभियांत्रिकीय के लगभग 4000 प्रकरणों का निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक जनपद में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास द्वारा उपखनिजों की रॉयल्टी का 15 प्रतिशत, मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 30 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में जमा कराया जाता है, जो जनपदों मे खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में प्रयोग की जाती है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान के रूप में माह नवम्बर, 2024 तक ₹ 463.07 करोड़ जमा हुआ है। जनपदों में विकास से सम्बन्धित स्वीकृत कुल 2400 योजनाओं हेतु लगभग ₹ 153.99 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

स्टार्ट–अप

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 में राज्य में पंजीकृत 152 स्टार्ट–अप का सर्वेक्षण कराया गया। 21 स्टार्ट–अप असहयोगी / बन्द पाये गये, 30 स्टार्ट–अप निष्क्रिय पाये गये, इस प्रकार 101 क्रियाशील स्टार्ट–अप, जो कि पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी फर्म तथा अन्य के रूप मे स्थापित हैं, के द्वारा सर्वेक्षण में सहर्ष रूप से प्रतिभाग किया गया, जिनसे प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निर्ष्कष निम्न प्रकार हैः–

1. मात्र 39 फीसदी स्टार्ट–अप ही राजस्व अर्जित कर पाने की स्थिति में है। उनके द्वारा स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान कर राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान दर्ज किया गया हैं।

2. 14 प्रतिशत स्टार्ट–अप कृषि क्षेत्र, 8 प्रतिशत शिक्षा, 2–2 प्रतिशत मीडिया और मनोरंजन एवं वित्तीय सेवाएं, 5 प्रतिशत ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा, 3 प्रतिशत परिवहन और रसद, 6 प्रतिशत स्वास्थ्य, 2–2 प्रतिशत उद्यम एवं सामाजिक–उद्यम, 7 प्रतिशत खाद्य, 14 प्रतिशत विनिर्माण, 4 प्रतिशत उत्पाद विकास, 1 प्रतिशत हार्डवेयर विकास, 6 प्रतिशत जैव–प्रौद्योगिकी, 11 प्रतिशत आई0टी0 परामर्श / समाधान, 2 प्रतिशत सॉफ्टवेयर विकास, 6 प्रतिशत यात्रा एवं टूरिज्म, 8 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

3. 32 प्रतिशत स्टार्ट–अप बाज़ार में विद्यमान उत्पाद का नया संस्करण तैयार कर रहे है जबकि 40 प्रतिशत स्टार्ट–अप कोविड महामारी के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों का सामना करने के बाद अभिनव उत्पादों पर भी अत्यधिक कार्य कर रहे है।

4. वर्ष 2017 से अब तक स्थापित स्टार्ट–अप में से मात्र 45 प्रतिशत स्टार्ट–अप ही राजस्व अर्जन की स्थिति में पाये गये जबकि 18 प्रतिशत स्टार्ट–अप अपने उत्पाद हेतु नये बाजार भी तलाश रहे है। 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप अपने उत्पाद हेतु अनुमोदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया में हैं और 11 प्रतिशत स्टार्ट–अप विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कान्सेंप्ट लेवल पर ही काम कर रहे है।

5. स्टार्ट–अप स्थापित करने के सहायक कारकों में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तथा बाजार की मांग को 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रथम विकल्प, जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अनुभवी टीम, बाजार की मांग एवं ईज़ ऑफ डुईंग बिज़नेंस को द्वितीय विकल्प / वरीयता प्रदान की गयी है। अधिकतम 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बाजार की मांग तथा न्यूनतम 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा द्वारा कम अवरोध / प्रतिबंध को तृतीय विकल्प / वरीयता प्रदान की गयी है।

6. राज्य में स्थापित स्टार्ट–अप हेतु ग्राहकों के प्रकार में भिन्नता पाई गई हैं जिसके दृष्टिगत् अधिकतम 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बिज़नेंस टू बिज़नेंस तथा मात्र 2 प्रतिशत ने बिज़नेंस टू गर्वमेंट को प्रथम विकल्प के रूप में चयनित किया है।

7. स्टार्ट–अप के संचालन में संस्थापकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना निरन्तर करना पड़ रहा है। 71 प्रतिशत सर्वेक्षित स्टार्ट–अप के द्वारा प्रथम विकल्प के रूप में अत्यधिक वित्तीय चुनौती, 10

प्रतिशत ने नये बाजारों की खोज व शेष स्टार्ट–अप ने अन्य चुनौतियों का होना बताया। स्टार्ट–अप के संस्थापक अधिकतर युवा वर्ग (30 वर्ष से कम) के है, जो नवीन विचारों पर कार्य कर रहे है परन्तु स्टार्ट–अप स्थापित करने में अत्यंत कठिनाइयों जैसे कि (पर्याप्त स्थान, आधारभूत संरचना, वित्तीय संसाधनों का अभाव एवं विभिन्न नीतियों व योजनाओं का उचित लाभ न प्राप्त होना) आदि का भी सामना कर रहे है।

8. कुल संचालित एवं सर्वेक्षित 101 स्टार्ट–अप संस्थापकों में से 76 प्रतिशत पुरूष एवं 24 प्रतिशत महिला पाये गये। 30 वर्ष से कम आयु के संस्थापकों में 27 प्रतिशत पुरूष एवं 7 प्रतिशत महिलायें रही जबकि सर्वाधिक 14 प्रतिशत महिलायें 30–45 आयु वर्ग में संस्थापक के रूप में कार्यरत मिली। इसी आयु वर्ग में 36 प्रतिशत पुरूष संस्थापक कार्यरत मिलें।

9. सर्वाधिक 62 प्रतिशत संस्थापक स्नातकोत्तर व उच्च शैक्षिक योग्यता वाले प्राप्त पाये गये। स्टार्ट–अप स्थापित करने में स्नातकोत्तर व उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त पुरूषों का प्रतिशत, 19 प्रतिशत महिलाओं के सापेक्ष 43 प्रतिशत रहा। 27 प्रतिशत पुरूषों एवं 4 प्रतिशत महिला संस्थापकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक पाई गई।

10. सर्वाधिक 55 प्रतिशत स्टार्ट–अप ऐसे पाये गये, जिनमें संस्थापक के अतिरिक्त 2 पार्टनर हैं, 20 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 1 पार्टनर तथा 11 प्रतिशत स्टार्ट–अप में संस्थापक के अतिरिक्त 3 पार्टनर है, जबकि 5 प्रतिशत स्टार्ट–अप में संस्थापक के अतिरिक्त कोई पार्टनर नहीं है।

11. सर्वेक्षित 131 स्टार्ट–अप में से सर्वाधिक 85 प्रतिशत स्टार्ट–अप मैदानी क्षेत्र में व 15 प्रतिशत स्टार्ट–अप पर्वतीय क्षेत्र में पाये गये।

12. 18 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने, 24 प्रतिशत ने वित्तीय समस्याओं के चलते, 21 प्रतिशत ने निवेशकों की कमी के कारण संचालन स्थगित किया हुआ है।

13. प्रथम वरीयता के रूप में, सर्वाधिक 53 प्रतिशत निष्क्रिय स्टार्ट–अप द्वारा वित्तीय समस्याओं को, 23 प्रतिशत द्वारा सरकार से सहयोग प्राप्त न होने को तथा 23 प्रतिशत द्वारा निवेशको की कमी, अनुपयुक्त क्षेत्र में स्टार्ट–अप के होने आदि को, कारण बताया गया।

14. कुल 101 क्रियाशील स्टार्ट–अप में से सर्वाधिक 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 14 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में पाये गये है, जबकि शिक्षा एवं आई0टी0 परामर्श जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मात्र 8 व 9 प्रतिशत स्टार्ट–अप कार्य कर रहे है।

15. सर्वाधिक 40 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक प्रारम्भिक पूंजी निवेश किया गया, तदोपरान्त 30 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹1 लाख से कम तक का तथा 31 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹10 लाख व अधिक तक का प्रारम्भिक पूंजी निवेश किया गया। सर्वाधिक 62 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप जनपद–देहरादून में कार्यरत है।

16. 78 प्रतिशत स्टार्ट–अप के ऐंजल निवेशक वर्तमान में भी स्टार्ट–अप से जुड़े है तथा 22 प्रतिशत ऐंजल

निवेशक वर्तमान में स्टार्ट–अप से नहीं जुड़े है। सर्वाधिक 6 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्ट–अप ऐंजल निवेशक वर्तमान में भी स्टार्ट–अप से जुड़े हुए है।

17. 94 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक ने ₹50 लाख से कम धनराशि नियोजित की है तथा 6 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक द्वारा 50 लाख व अधिक की धनराशि नियोजित की है। सर्वाधिक 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 9 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में ऐंजल निवेशक द्वारा ₹50 लाख से कम धनराशि नियोजित की गई है। खाद्य, विनिर्माण व जैव प्रौद्योगिकी में से प्रत्येक क्षेत्र के 2–2 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक द्वारा ₹50 लाख व अधिक की धनराशि नियोजित की गई है।

18. मात्र 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है। सर्वाधिक 4 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्ट–अप को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है। 23 प्रतिशत स्टार्ट अप को ₹10 लाख से कम तथा 77 प्रतिशत को ₹10 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गयी है।

19. मात्र 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप हेतु संस्थापक के द्वारा ऋण लिया गया जबकि 87 प्रतिशत स्टार्ट–अप हेतु संस्थापक के द्वारा ऋण नहीं लिया गया। सर्वाधिक विनिर्माण एवं आई0टी0 परामर्श/समाधान क्षेत्रों में से प्रत्येक में ऋण लेने वाले स्टार्ट–अप 3–3 प्रतिशत रहे।

20. 56 प्रतिशत स्टार्ट–अप ने ₹10 लाख से कम तथा 44 प्रतिशत ने ₹10 लाख से अधिक का केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया है।

21. 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा राज्य सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया गया है जिसके 96 प्रतिशत को ₹10 लाख रूपये से भी कम का वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि 77 प्रतिशत स्टार्ट–अप को राज्य सरकार से अथक प्रयास के उपरान्त भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त नही हो सका है।

22. मात्र 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा ही बैकों आदि से ऋण प्राप्त किया गया, जबकि कुछ स्टार्ट–अप को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता नहीं थी तथा ज्यादातर स्टार्ट–अप अथक प्रयासों के बाद भी ऋण प्राप्त करने में असफल रहे।

23. 49 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में 5 से कम कर्मचारी हैं, 42 प्रतिशत में 5 से 20 तक कर्मचारी है जबकि 10 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 20 से अधिक कर्मचारी हैं। सर्वाधिक 15 प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र के क्रियाशील स्टार्ट–अप में कार्यरत हैं, जबकि 14 प्रतिशत कर्मचारी विनिर्माण क्षेत्र के क्रियाशील स्टार्ट–अप में कार्यरत हैं।

24. 19 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में महिला कर्मचारियों की संख्या शून्य हैं, 68 प्रतिशत स्टार्ट–अप में शून्य से 5 तक महिला कर्मचारी है जबकि 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 5 व अधिक महिला कर्मचारियों की संख्या हैं। सर्वाधिक 62 प्रतिशत महिला कर्मचारी जनपद देहरादून के स्टार्ट–अप में कार्यरत हैं।

25. सर्वाधिक 9 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में, शिक्षा, खाद्य, विनिर्माण में से प्रत्येक में 4–4 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 8 प्रतिशत स्टार्ट–अप पाये गये।

26. 71 प्रतिशत स्टार्ट–अप के स्वामी के मतानुसार उत्तराखण्ड में जी0एस0टी0, कर, भविष्य निधि आदि

की पंजीकरण प्रक्रिया सरल है, जबकि 29 प्रतिशत स्टार्ट–अप के स्वामी के अनुसार उत्तराखण्ड में जी0एस0टी0, कर, भविष्य निधि आदि की पंजीकरण प्रक्रिया सरल नही है।

27. स्टार्ट–अप की क्षेत्रवार उत्पादित सकल मूल्य वृद्धि की दर प्राप्त हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक सकल मूल्य वृद्धि कुल ₹ 81022277 रही है, जिसका प्रतिशत 116.99 रहा है। इस क्षेत्र में उद्योगों तथा उसे सम्बन्धित स्टार्ट–अप की अच्छी प्रगति प्रदर्शित हुई है। द्वितीय स्थान पर शिक्षा का क्षेत्र रहा है, जिसमें सकल मूल्य वृद्धि ₹ 22535816 तथा 32.54 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है। तृतीय स्थान पर कृषि क्षेत्र रहा है, जिसमें सकल मूल्य वृद्धि ₹ 21934309 तथा प्रतिशत 31.67 रहा है।

स्टार्ट–अप के स्वामी / साझेदार / संचालकों से प्राप्त सुझाव

• नये स्टार्ट–अप स्थापित करने में जनपद देहरादून व हरिद्वार अग्रणी रहे है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों (मानव संसाधन व अनुकूल परिस्थितियों) का उपयोग कर एक नई क्रांति का आगमन हुआ है। वही पर्वतीय जनपदों में कुशल श्रमिकों का अभाव व परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण स्टार्ट–अप की संख्या काफी कम है।

• कई पर्वतीय जनपदों (जैसे–बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व रूद्रप्रयाग आदि) में एक भी स्टार्ट–अप नहीं है, जो दर्शाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओ को असीम संभावनाओं वाले स्टार्ट–अप ईको सिस्टम की ओर आकर्षित करने के लिये वर्तमान नीति में इस विषयक समुचित प्रावधानों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है।

• सर्वेक्षण में स्टार्ट–अप संचालकों द्वारा सुझाव दिया गया कि स्टार्ट–अप प्रारम्भ करने तथा नवीन विचार को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिस हेतु उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्पस निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

• उत्तरदाताओं द्वारा स्टार्ट–अप नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता पर भी सुझाव दिया गया है। उद्योग विभाग को स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत समस्त स्टार्ट–अप संस्थापकों को समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं ऋण प्राप्ति के विभिन्न माध्यम से अवगत कराने हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार के आयोजन सम्पन्न कराने की भी नितांत आवश्यकता है।

• स्टार्ट–अप नीति को अद्यतन रखने हेतु स्टार्ट–अप संस्थापकों की राय / विचार प्राप्त किये जाने का सुझाव भी अनेक उत्तरदाताओं से प्राप्त हुआ है। उद्योग विभाग, इन्क्यूबेशन सेन्टर तथा स्टार्ट–अप संस्थापकों के मध्य आपसी सामंजस्य मजबूत करने के दृष्टिगत औद्योगिक ईकाईयों के साथ समय–समय पर इंडस्ट्रियल–मीट आयोजित किये जाने की नितांत आवश्यकता है

अध्याय–17
श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास
Labour-Employment and Skill Development

17.1 सतत् विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने, अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.1.1 श्रम में रोजगार की संरचनाः– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है, जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करना आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है, जिस हेतु विभागीय प्रयासों के सोपानों में महिलाओं की भागीदारी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

तालिका 17.1
राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	482.00
2		अर्द्धकुशल	511.00
3		कुशल	539.00
4		अतिकुशल	588.00
5	कृषि नियोजन	अकुशल	315.00
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	426.00
7		अर्द्धकुशल	468.00
8		कुशल	519.00
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	447.00
10		अर्द्धकुशल	492.00
11		कुशल	536.00

स्रोतः– श्रम विभाग, उत्तराखंड

17.1.2 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) :– दिनांक : 17.12.2024 तक PM-SYM में 39503 श्रमिकों द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

17.1.3 ई–श्रम योजनाः– दिनांक : 16.12.2024 तक कुल 30,55219 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है।

17.1.4 औद्योगिक सम्बन्ध :– औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रदेश में श्रम विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु कार्यरत है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून:– राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961,वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृका हितलाभ अधिनियम 1961तथा उ0प्र0. औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

NPS-Traders में दिनांक 17.12.2024 तक 912 लाभार्थियों का नामाकंन कराया गया है।

17.1.5 विभागीय उपलब्धियाँ:–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्य ऑनलाईन किये गए हैं।
- राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्य प्रत्येक माह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रेण्डम आधार पर किया जाता है। जिसकी रिपोर्ट 48 घण्टों के अन्तर्गत पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्राविधान है।
- कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस का नवीनीकरण 10 वर्ष तक

तालिका 17.2

जनपद	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन	ई–श्रम योजना में पंजीकृत कामगार
अल्मोड़ा	2198	198567
बागेश्वर	884	88290
चमोली	1907	125353
चम्पावत	2918	90412
देहरादून	6646	409102
हरिद्वार	6079	535429
नैनीताल	4563	282868
पौड़ी गढ़वाल	2714	176875
पिथौरागढ़	2949	131866
रूद्रप्रयाग	1072	79621
टिहरी गढ़वाल	2903	226980
ऊधमसिंह नगर	3572	588366
उत्तरकाशी	1098	121490
योग	**39503**	**3055219**

स्रोत:– श्रम विभाग, उत्तराखंड

किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे कारखानों को व्यापार की सुगमता हुई है।

• कारखाना अधिनियम–1948, ठेका श्रम, (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1979 तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस स्वतः नवीनीकरण किए जाने का प्राविधान है।

• दिनांक : 01–04–2024 से दिनांक : 31–12–2024 तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 697 निरीक्षण किये गये। उल्लंघनकर्ता सेवायोजकों के विरूद्ध 45 उपशमन/अभियोजन दायर किये गये। ग्रेच्युटी, एवार्ड, आदि के 34 दावों का निस्तारण करते हुए 18 श्रमिकों/मृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 57.19 लाख़ की धनराशि भुगतान कराई गई। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस के रूप में 34140 श्रमिकों को ₹ 7510.18 लाख की धनराशि भुगतान करायी गयी। विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क आदि के रूप में ₹ 19.99 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

• प्रदेश में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण दिनांक : 15–03–2024 को 57 अलग–अलग नियोजनों हेतु किया गया, जिसमें वर्ष 2019 में घोषित न्यूनतम वेतन के सापेक्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

• संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत स्थापनों/ठेकेदारों में 20 से अधिक कर्मकारों के नियोजित होने पर पंजीयन एवं लाईसेंस की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए, उक्त संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार वाले स्थापनों/ठेकेदारों हेतु पंजीयन एवं लाईसेंस की बाध्यता समाप्त हो गयी है, जिससे व्यापार में सुगमता आयी है।

• राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) में दिनांक : 17.12.2024 तक में 39,503 अंशदाताओं द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

• भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस (National Data Base for unorganized worker) (NDUW) तैयार कराये जाने हेतु ई–श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है। दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 तक कुल 30,55,219 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है।

• प्रदेश में 3915 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 7.06 लाख श्रमिक नियोजित है।

• ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों का 01 अप्रैल, 2019 से दिसम्बर 2024 तक 116 यूनियनों का पंजीकरण किया गया है।

• विभागीय वेबसाईट को "ईज ऑफ डूईग बिजनेस" के अन्तर्गत उद्योग विभाग के सिंगल विंडों पोर्टल तथा भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

बिजनेस रिर्फाम एक्शन प्लान/ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत किए गए कार्य–

1- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत उद्योगों/अधिष्ठानों के पंजीयन एवं लाईसेंसीकरण का कार्य ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है, जिससे नियोजकों/आस्थानों को व्यापार प्रारम्भ करने में सुगमता हुई है।

2. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त), अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निम्न कार्य :–

I. दुकानों/अधिष्ठानों को अनिवार्य साप्ताहिक बन्दी के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सतत व्यापार को बढ़ावा दिया गया है।

II. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट संबंधी संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त संशोधन से महिलाओं के नियोजन में वृद्धि होगी साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी प्राविधान रखे गये हैं ताकि उनके नियोजन में सुरक्षा संबंधित मानकों का अनुपालन नियोजक द्वारा किया जा सके।

III. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के नियम–11 उप नियम–4 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत दुकानों एवं स्थापनों, रेस्टोरेण्ट, मॉल, थिएटर इत्यादि जो दुकान एवं स्थापनों की परिभाषा से आच्छादित हैं, में नियोजक द्वारा सभी कार्यरत कर्मकारों को कार्य करते समय कार्यस्थल में बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे कर्मकारों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव होगा एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

IV. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त), अधिनियम, 2017 की धारा–21 में संशोधन प्रस्ताव ("इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन को दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गम्भीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाले कोई दुर्घटना हुई है, जुर्माने से , जो दो लाख रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रूपये तक हो सकेगा से, दंडनीय होगा।") पर सहमति प्रदान की गयी है।

3. Ease of Doing Business (व्यापार के सरलीकरण) हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में औचक निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाईन निरीक्षण व्यवस्था प्रचलित की गयी है, जिससे संबंधित प्रतिष्ठान को विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानित नियमानुसार अनुपालन करने में सुगमता हुई है।

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों में महिलाओं को राज्य में रात्रि पाली

(रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक) में कार्य करने की छूट दी गयी है, इसमें उनकी सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न संबंधी घटनांए रोकने हेतु प्रावधान किए गए हैं, साथ ही उन्हें आवागमन सुविधा, आवागमन हेतु पृथक से सुरक्षा गार्ड, महिलाओं के छोटे बच्चों हेतु क्रेच आदि की अनिवार्यता से महिला कामगारों के अनुकूल वातावरण बनाने में अत्यधिक बल मिला है।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाइसेंस नवीनीकरण 10 वर्ष तक की अवधि तक किये जाने का प्राविधान किया गया है।

6. Low risk वाले कारखानों के लिए स्व–प्रमाणीकरण योजना शुरू की गई है।

7. कारखाना अधिनियम, ब्वॉयलर अधिनियम तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत थर्ड पार्टी ऑडिट की योजना प्रचलित की गयी है।

8. विभागीय वेबसाईट को ''मेक इन इण्डिया'' के तहत उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

9. विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवर्त्त किया गया है तथा प्रत्येक कार्य हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

10. कारखाना अधिनियम, 1948, संविदा श्रम अधिनियम, 1970 तथा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले लाईसेंसों हेतु स्वतः नवीनीकरण (Deemed Renewal) का प्राविधान कर आस्थानों / प्रतिष्ठानों को व्यापार में सुगमता की व्यवस्था की गई है।

11. संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा–1 में संशोधन कर 20 कर्मकार के स्थान पर 50 कर्मकार किया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उक्त अधिनियम के प्राविधानों से छूट प्राप्त हुई है।

अतएव प्रदेश के श्रमिकों सेवायोजकों, हित धारकों के समावेशी विकास, व्यापार सुगमता, श्रमिक हितों को केन्द्र में रखते हुए विभाग द्वारा नवीन व्यवस्थाऐं, तकनीकी का अधिकतम उपयोग एवं सरलीकरण एवं समायोजन का कार्य किया जा रहा है।

12. भारत सरकार द्वारा जारी 04 श्रम संहिताओं के अन्तर्गत नियमावली प्रख्यापित कर राज्य में लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

17.2 सेवायोजन (Employment):–

सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों के सापेक्ष रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजागरों के प्रतिशत को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय स्थापित है जिसकी सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 784893 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक 56 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 7531 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा इन मेलों के माध्यम से 885 युवाओं को रोजगार / प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.2.1 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक 306 कैरियर वार्तायें आयोजित की गयी। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 22214 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

17.2.2 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):- वर्ष 2024–25 में राज्य के 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से 594 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

17.2.3 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services):- सेवायोजन विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं शैक्षिक योग्यता अपडेट किये जाने सम्बंधी सेवायें "अपणि सरकार" पोर्टल पर उपलब्ध है। इस आनलाइन पंजीयन कार्य से दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को Common Service Center से पंजीयन हेतु विभागीय सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध है।

17.2.4 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन / स्वतः नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment):- इसके अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के मद्देनजर उन्हें

बेहतर रोजगार चुनने हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है, तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है।

17.2.5 विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, सहसपुर :– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषण संख्या 1285/2021 दिनांक 09 नवम्बर 2021 के अनुपालन में राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़े जाने के उद्देश्य से ''विदेश रोजगार प्रकोष्ठ'' सहसपुर में संचालित है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोडे जाने हेतु **''भारत–जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम''** के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु प्रथम बैच के जापानी भाषा में 33 युवाओं को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब सहसपुर में एवं निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु पूरे प्रदेश से चयनित 01 अभ्यर्थी (बीपीएल धारक) Navis Hr Bangalore द्वारा Navis Hr के प्रशिक्षण केन्द्र Bangalore में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 24 युवाओं द्वारा जापानी भाषा (N4) दक्षत परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही समस्त प्रशिक्षणार्थियों का जापानी नियोजको द्वारा जापान में जॉब हेतु चयन कर लिया गया है, वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत नर्सिंग क्षेत्र में 26 अभ्यर्थियों को N.S.D.C. International द्वारा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब सहसपुर में, 26 अभ्यर्थियों को LEARNET Skills For Life Ltd, 14/C-1 Old Survey Road Dehradun द्वारा शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र देहरादून में जापानी भाषा का प्रशिक्षण एंव जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब हेतु 15 अभ्यर्थियों को महिला आई0टी0आई0 निकट सर्वे चौक देहरादून में जर्मनी भाषा B2 का प्रशिक्षण एवं यू0के0 में रजिस्टर्ड नर्स/असिस्टेंट नर्स के रूप में कार्य करने हेतु 09 अभ्यथियों को IELTS का ऑनलाइन प्रशिक्षण Envertiz Consultancy, 21, Twin Spires Business Park, Kerala के साथ ही Hospitality के क्षेत्र में 08 युवाओं को N.S.D.C. International द्वारा सहसपुर में जापानी भाषा का प्रशिक्षण गतिमान है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में नर्सिग क्षेत्र के साथ ही जर्मनी में Automotive 4- Wheeler Technician के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में विभाग द्वारा आतिथि तक पूरे प्रदेश के लगभग 25 नर्सिंग कालेजों के साथ ही 18 Hotel management के कालेजों से Mobilization किये जाने के साथ ही Facebook तथा Integram- के साथ ही दैनिक अखबारों पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में जनवरी प्रथम सप्ताह से N.S.D.C. International के साथ जापान में केयर गिबर , जर्मनी में नर्सिंग एवं के साथ जर्मनी में मैकेनिकल के क्षेत्र में रोजगार हेतु बैच बनाये जाने हेतु विभिन्न नर्सिंग कालेजों, पोलीटेक्निकल एवं आइ0टी0आइ0 में Mobilization का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

17.2.6 रोजगार प्रयाग पोर्टल :–''रोजगार प्रयाग पोर्टल'' में आतिथि तक कुल 50739 युवाओं द्वारा अपना पंजीकरण किया गया है। आतिथि तक उक्त पोर्टल के माध्यम से 367 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा चुका है, एवं 2384 पदों हेतु विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुयी है।

17.2.7 योजनाओं की वित्तीय स्थितिः–

1–रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):- वर्ष 2024–25 में सेवायोजन कार्यालयों हेतु ₹1460.25 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष

₹908.20 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

2–शिक्षण एवं मागदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):– समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति / जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 08 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है, जिसमें वर्ष 2024 में 338 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में स्वीकृत ₹118.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹73.03 लाख की धनराशि माह दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

3– कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों परामर्श कार्य:- उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड के समस्त 22 सेवायोजन कार्यालयों / विश्वविद्यालय एवं मंत्रणा केन्द्रों को रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से विकसित किया गया है तथा तब से लगातार दिशा केन्द्रों को सुदृढीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में ₹ 8.80 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹3.36 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

4– विदेश रोजगार प्रकोष्ठ– इस योजना के अन्तर्गत आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कैरियर सेन्टर (MCC) सहसपुर, देहरादून में स्थापना की गई है। इस मद में ₹69.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹10.70 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

5–जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालय कालसी:- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है, जिसमें दिसम्बर 2024 तक 22945 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वर्ष 2024–25 में ₹62.20 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹33.83 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की जा चुकी है।

17.3 कौशल विकास एवं सेवायोजन (प्रशिक्षण प्रखण्ड):–

17.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission)

पलायन को रोकने मे कौशल विकास की अति महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभागों को सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 2018 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन किया गया। युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में, स्वरोजगार के अवसर सृजित कर राज्य के आर्थिक सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

17.3.2 स्किल प्रतियोगिता:–

(अ) इंडिया स्किलस 2024 – युवाओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से इण्डिया स्किल्स 2024 के अन्तर्गत विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई 2024 से 19 मई 2024 के मध्य किया गया। जिसमें राज्य के 02 युवाओं को गोल्ड मेडल, 01 युवा को सिल्वर मेडल, 03 युवाओं को ब्रॉन्ज मेडल तथा 02 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्रदान किये गये। यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में जिला स्तर पर आयोजित की गई जिसके विजेताओं द्वारा देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जायेगा।

(ब) वर्ल्ड स्किलस 2024 – वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा

आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो हर दो साल में आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता के लिए समर्पित सबसे बड़ा वैश्विक मंच है, जो विभिन्न उद्योगों में अभ्यास के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करता है। यह युवा पेशेवरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और दुनिया भर के साथियों और उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्क बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 सितंबर से 15 सितंबर, 2024 तक फ्रांस के ल्योन में हुई। इस वर्ष, प्रतियोगिता में लगभग 70+ देशों के 1,400 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें भारत को 04 ब्रॉन्ज मेडल तथा 12 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्राप्त हुए। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य से एक युवा श्री प्रशान्त सैनी है।

17.3.5 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme) के अन्तर्गत राज्य में 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शैक्षणिक परिषद (National Council of Vocational & Education Training) से सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न 29 रोजगारपरक इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इन संस्थानों में 8883 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं। उक्त के अतिरिक्त 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य स्तरीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (State Council of Vocational Training) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें वर्तमान वर्तमान में 312 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं।

Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण तथा उनको उद्योगों की मांग के अनुरूप विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) योजना है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य से 08 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा बेतालघाट, टाण्डी, हरिद्वार, रामनगर, सल्डमहादेव, कालसी, दिनेशपुर एवं चम्बा का चयन किया गया है। स्ट्राईव योजनान्तर्गत सम्पादित की गयी मुख्य गतिविधियॉ निम्नानुसार हैः–

- विभागीय वैबसाईट आई0टी0डी0ए0 के सर्वर पर लॉच की गयी।
- राज्य के 21 संस्थानों में हाई स्पीड स्वान इन्टरनेट कनैक्टिविटी आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से करायी गयी।
- औद्योगिक आस्थानों के निकट देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर एवं दिनेशपुर संस्थानों में सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों के औद्योगिक भ्रमण (ओ0जे0टी0) हेतु हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून एंव दिनेशपुर संस्थान में स्थित छात्रावासों का जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य कराये जाने के साथ ही बैड, गद्दे, तकिया, कंबल, बैडशीट, वाशिंग मशीन, डाईनिंग टेबल विद चेयर एवं साफ पानी की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था ओ0जे0टी0 हेतु आने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु की गयी ।
- विभिन्न 10 संस्थानों एवं स्किल हब सहसपुर के कुल 20 कक्षा कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया ।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों एवं कार्यरत अनुदेशकों के कौशल में वृद्धि हेतु इण्डस्ट्री एक्सपर्ट एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं आवश्यकतानुसार लैक्चर रिकॉर्ड किये जाने हेतु अत्याधुनिक आई0टी0 इक्यूपमेंट से सुव्यवस्थित कक्ष तैयार किया गया।

➢ राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं विभागान्तर्गत संचालित अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणरत छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों के पर्सनल हाईजीन के दृष्टिगत महिला प्रशिक्षणार्थियों /स्टाफ हेतु सैनेटरी वैन्डिग मशीन एवं सैनेटरी इंसीनरेटर मशीने स्थापित की गयी।

➢ आच्छादित समस्त 8 संस्थानों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आई0एस0पी (Institute Strategic Plan) के अनुसार एनसीवीईटी मानकानुसार संचालित/प्रस्तावित नये व्यवसायों में उपकरण, साज–सज्जा की कमी की पूर्ति, फर्नीचर, लाईब्रेरी हेतु पुस्तकें, स्मार्ट क्लास रूम, आई0टी0 लैब, इन्टरनेट कनैक्टिविटी एवं मशीन अनुरक्षण करते हुये मशीनों को चलायमान बनाये जाने आदि कार्य किया गया है।

टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से उद्योग 4.0 की मॉग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण– उद्योग 4.0 की मॉग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा युवक देहरादून, हरिद्वार, पिरान कलियर, बड़कोट, चम्बा, गोपेश्वर, काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, कालाढूँगी, पिथौरागढ, चम्पावत व अल्मोड़ा का उन्नयन (Upgradation) सम्बन्धी कार्य विभिन्न शर्तो के अधीन टाटा टैक्नोलॉजी प्रा0लि0 के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा योजनान्तर्गत चिन्हित 13 राजकीय संस्थानों में कार्यशाला एवं टैक्नोलॉजी लैब के निर्माण कार्य हेतु ₹7909.55 लाख की धनराशि नाबार्ड से स्वीकृत हुयी है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹2135.5620 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इन संस्थानों के उच्चीकरण के उपरान्त इनमें इण्डस्ट्री 4.0 के अनुरूप 06 व्यवसाय यथा Mechanic electric vehicle, Advanced CNC Machining, Industrial Robotics & Digital manufacturing, Basics designer & virtual verifier, Manufacturing process control & Automation, Artisan using advanced tools में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा, जिससे राज्य के युवाओं को इन क्षेत्र की इण्डस्ट्री में रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नाबार्ड योजनान्तर्गत नये स्वीकृत कार्य– नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2024–25 में 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 निर्माण कार्यो हेतु नाबार्ड से ₹5349. 54 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसके क्रम में 19 निर्माण कार्यो हेतु ₹4481.123 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ किये गये एमओयू:–

➢ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Skill Development Network, Bengaluru के मध्य दिनांक 17.10.2023 को 03 वर्ष के लिये एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Wadhwani Operation Foundation का मुख्य उददेश्य अनुदेशको/प्रशिक्षणार्थियों को Employability Skills का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

➢ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Medha Learning Foundation के मध्य दिनांक 15.03.2024 को एक Memorandum of Understanding (MoU) किया गया है Medha Learning Foundation का मुख्य उददेश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक्सपोजर विजिट्सए इंडस्ट्री टॉक, OJT, प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप समर्थन के लिए उद्योग संघ के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

➢ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Naandi Foundation, Hyberabad (Mahindra

Pride Classroom Program) के मध्य दिनांक 30.04.2024 को एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Naandi Foundation, Hyberabad (Mahindra Pride Classroom Program) का मुख्य उददेश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेन्ट को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

➢ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Tata Community Initiatives Trust "BMS Project" (Bajaj Manufacturing Systems) के मध्य दिनांक 01.01.2025 को एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Tata Community Initiatives Trust "BMS Project" (Bajaj Manufacturing Systems) का मुख्य उददेश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बी0एम0एस0 प्रोग्राम के अन्तर्गत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एवं कौशल विकास को बढ़ावा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि एवं नये व्यवसायों को प्रारम्भ किया जानाः–

➢ उत्तराखण्ड राज्य में Uttarakhand Work Force Development Project (UKWDP) के अन्तर्गत 21 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) योजनान्तर्गत 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 01 अन्य संस्थान में प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार नई दिल्ली से विभिन्न व्यवसायों की 135 यूनिट (प्रवेश क्षमता 2804) हेतु National Council of Vocational Education and Training (NCVET) सम्बन्धन प्राप्त किया गया जिससे राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता 14228 से बढ़कर कुल प्रवेश क्षमता 16568 हो गयी है।

➢ उक्त संस्थानों में प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार से आधुनिकतम नये व्यवसायों यथा सोलर टेक्नीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मैकेनिक मशीन टूल मेंटीनेंस, टूल एण्ड डाई मेकर, मैकेनिक टू एंड थ्री व्हीलर, मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स एप्लाऐंन्स, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, वैल्डर (फैब्रिकेशन एण्ड फिटिंग) व कैटरिंग एण्ड हॉस्पिटल असिस्टेंट आदि जैसे नये व्यवसायों का खोला जाना है जिससे राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को व्यवसायों के अधिक से अधिक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे तथा प्रवेश की प्रतिशतता में भी वृद्धि हो सकेगी।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स– विभाग द्वारा आई0टी0आई काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा आई0टी0आई0, हरिद्वार में Philips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित किया गया है जिसमें आई0टी0आई उत्तीर्ण युवाओं को उच्च प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे विभिन्न प्रतिष्ठित उद्यागों में उच्च मानदेय पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तीन माह के Advance प्रशिक्षण के उपरान्त ब्वम् काशीपुर द्वारा 115 प्रशिक्षित युवाओं को 18–22000 के मासिक वेतन पर तथा CoE हरिद्वार द्वारा 96 प्रशिक्षित युवाओं को 16–24000 के मासिक वेतन पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं जो कि आई0टी0आई उत्तीर्ण युवाओं को मिलने वाले औसत वेतन से अधिक है। उक्त ब्वम् की सफलता के दृष्टिगत स्किल हब सहसपुर में Schneider के सहयोग से Advance Electrical esa, Festo के सहयोग से Mechatronics, Hydraulics, Pneumatic एवं Robotics तथा Philips के सहयोग से Precision Manufacturing, Industrial Maintenance से सम्बन्धित CoE स्थापित किये जा रहें हैं जो कि अन्तिम चरण में हैं। इसी प्रकार आई0टी0आई0 बाजपुर में भी Philips के सहयोग से Precision Manufacturing से सम्बन्धित CoE स्थापित किया जा रहा है।

आई0टी0आई0 उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा की 10 एवं 12वी

की समतुल्यता – उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे छात्र–छात्रायें जिन्होंने कक्षा–8 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) एवं इण्टरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा क्रमशः हाईस्कूल (कक्षा–10वीं) एवं इण्टरमीडिएट (12वीं) की समकक्षता प्रदान की जायेगी।

National Apprenticeship Promotion Scheme% आई0टी0आई0 उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों एवं नॉन आईटीआई आवेदकों हेतु भारत सरकार द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अप्रेन्टिस ट्रेनिंग के उन्नयन के लिए National Apprenticeship Promotion Scheme को राज्य में लागू किया गया। जिसके अर्न्तगत राज्य में स्थापित विभिन्न निजी अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपक्रमों में कुल कार्मिक क्षमता का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत तक के बैण्ड में शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम के अन्तर्गत Designated Trade एवं Optional Trade में 06 माह से लेकर 03 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों में अधिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आवेदक को न्यूनतम ₹5000/– से ₹9000/– तक योग्यतानुसार छात्रवृत्तिका प्रदान की जाती है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 1999 अधिष्ठानों में कुल 27719 शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

Periodic Labour Force Survey (PLFS)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मत्रालय द्वारा जून 2023 से जून, 2024 तक की अवधि के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी आयु समूहों में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गयी है। जो एक सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। 15–29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में बेरोजगारी दर विगत वर्षों के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई है।

15–59 आयु वर्ग में भी उत्तराखण्ड का औसत 64.4 प्रतिशत जो कि राष्ट्रीय औसत से (64.3 प्रतिशत) से अधिक रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य का औसत 60.7 प्रतिशत रहा जो राष्ट्रीय स्तर (60.1 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 2022–23 की तुलना में उत्तराखण्ड के सभी आयु समूहों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त सुधार आया है। 15–29 आयु वर्ग के श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37.5 प्रतिशत से बढकर 44.2 प्रतिशत हो गया है जो यह दर्शाता है कि अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढकर 61.2 प्रतिशत हो गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिये श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.5 प्रतिशत से बढकर 58.1 प्रतिशत हो गई है।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 15–29 आयु वर्ग के लिये बल भागेदारी दर 43.7 से बढकर 49.0 प्रतिशत हो गई है। 15–59 आयु वर्ग 60.1 प्रतिशत से बढकर 64.4 प्रतिशत तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के श्रम बल भागीदारी दर 56.0 प्रतिशत से बढकर 60.7 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट—17.1

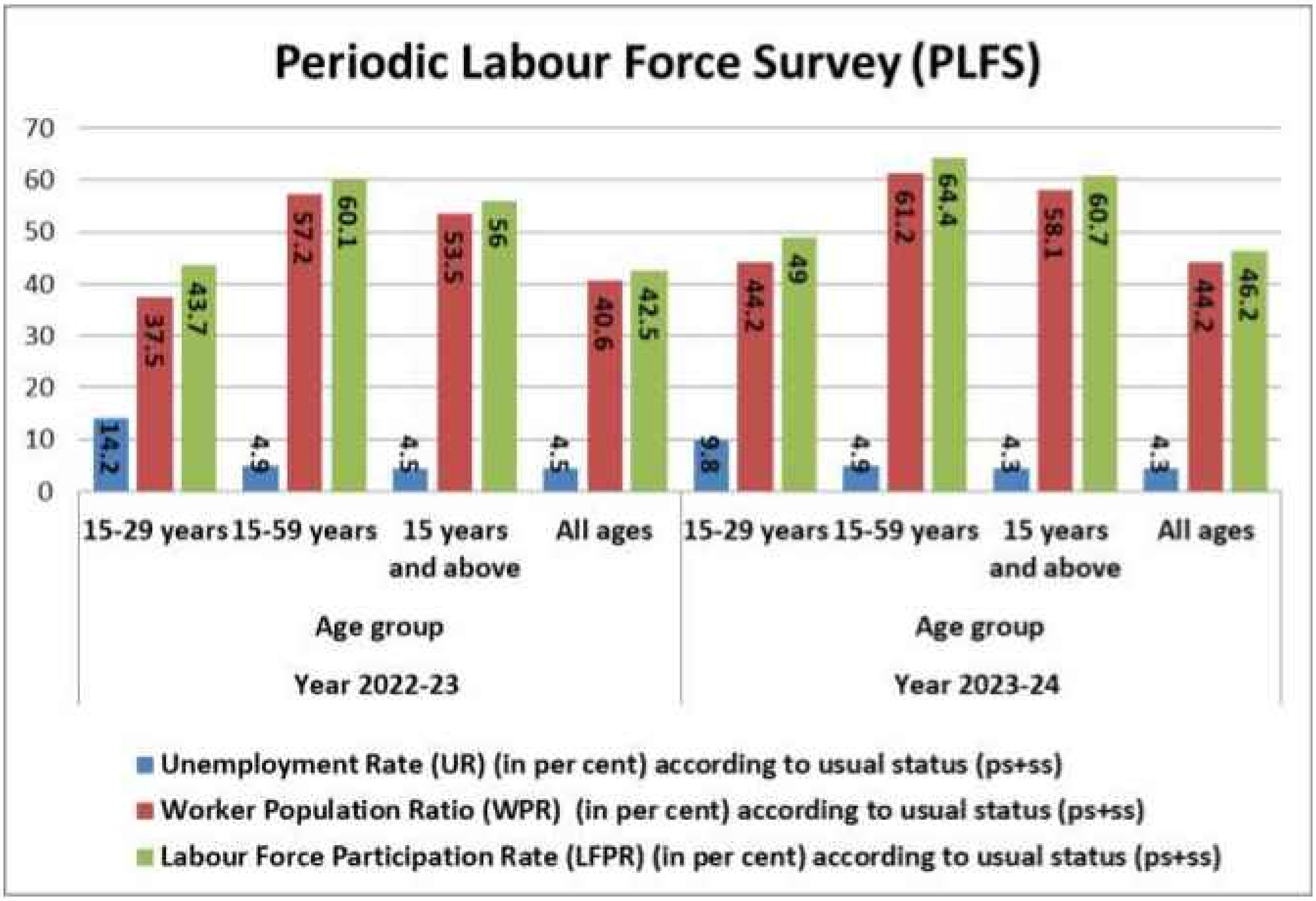

तालिका:—17.3

Periodic Labour Force Survey (PLFS)

Sl. No.	Item	Year 2022-23				Year 2023-24			
		Age group				Age group			
		15-29 years	15-59 years	15 years and above	All ages	15-29 years	15-59 years	15 years and above	All ages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	14.2	4.9	4.5	4.5	9.8	4.9	4.3	4.3
2	Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	37.5	57.2	53.5	40.6	44.2	61.2	58.1	44.2

3	Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	43.7	60.1	56.0	42.5	49.0	64.4	60.7	46.2

स्रोतः— PLFS Mospi (July23 to June 24)

तालिकाः—17.4

PLFS ((15 years and above))

Item	Year 2022 -23			Year 2023 -24		
	Age group (15 years and above)			Age group (15 years and above)		
	Male	Female	Person	Male	Female	Person
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	4.6	4.2	4.5	4.5	4.1	4.3
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according t o usual status (ps+ss)	70.1	37.00	53.5	73	43.7	58.1
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	73.5	38.7	56.00	76.4	45.6	60.7

स्रोतः— PLFS Mospi (July23 to June 24)

चार्ट—17.2

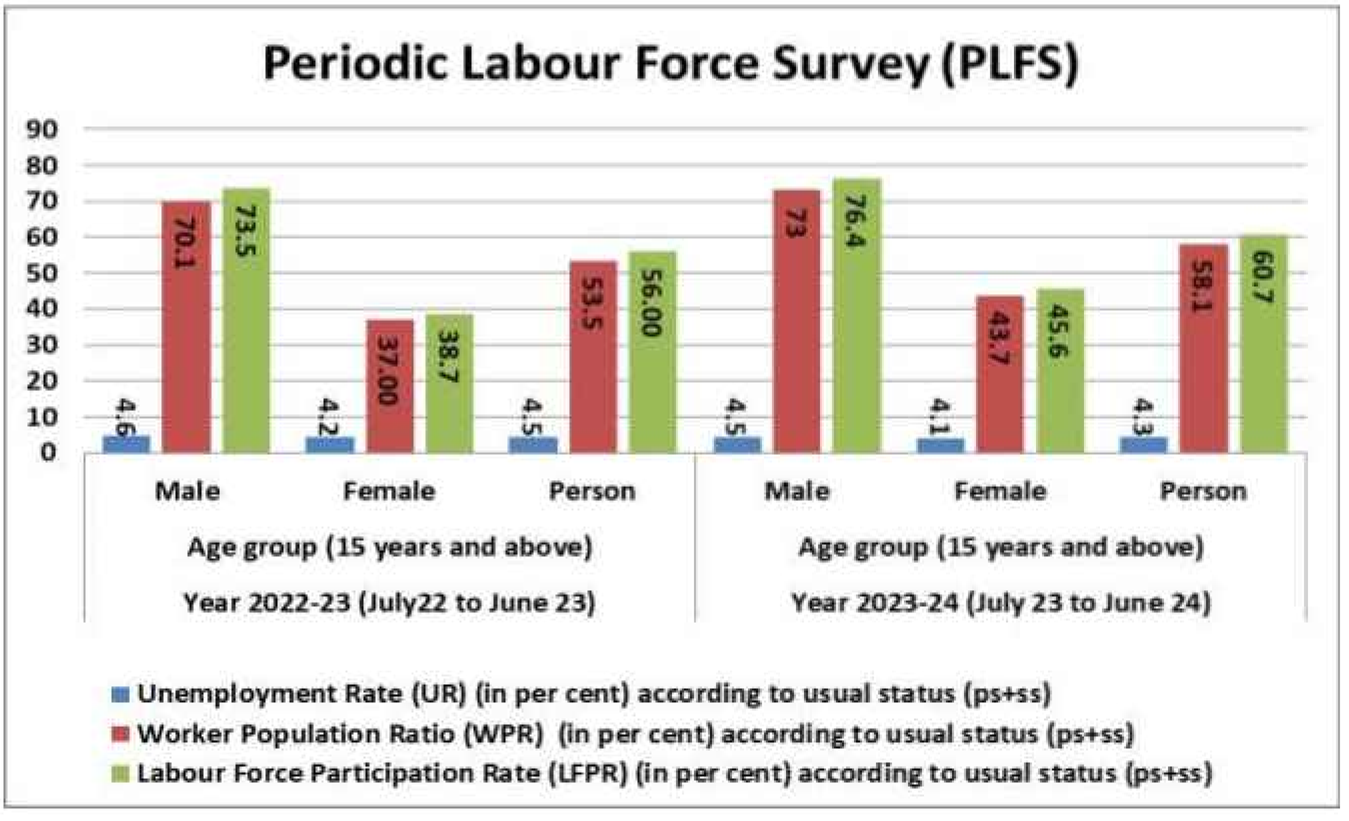

15 से अधिक आयु वर्ग में पुरूष समूह की बेरोजगारी दर 4.6 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो गयी है। जबकि की इस समूह की महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.2 से घटकर 4.1 हो गयी है, जो एक सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग के पुरूषों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 71.1 प्रतिशत से बढकर 73 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी वर्ग की महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37 प्रतिशत से बढकर 43.7 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरूष समूह में के लिये श्रम बल भागेदारी दर 73.5 से बढकर 76.4 प्रतिशत हो गई है। जबकि इसी वर्ग की महिलाओं में श्रम बल भागेदारी दर 38.7 प्रतिशत से बढकर 45.6 प्रतिशत हो गयी है।

तालिकाः–17.5

PLFS (Rural-Urban)

Item	Year 2022 -23 (July22 to June 23)			Year 2023 -24 (July 23 to June 24)		
	Age group (15 years and above)			Age group (15 years and above)		
	Rural	Urban	Rural + Urban	Rural	Urban	Rural + Urban
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	3.9	6.6	4.5	3.9	5.8	4.3
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	57.1	43.2	53.5	61.9	46.6	58.1
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	59.4	46.2	56.0	64.5	49.5	60.7

स्रोतः– PLFS Mospi (July23 to June 24)

ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरूष समूह की बेरोजगारी दर 3.9 प्रतिशत जब कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.6 से घटकर 5.8 हो गयी है, जो एक सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रो में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.1 प्रतिशत से बढकर 61.9 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी वर्ग में की शहरी क्षेत्र में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 43.2 प्रतिशत से बढकर 46.6 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में श्रम बल भागेदारी दर 59.4 से बढकर 64.5 प्रतिशत हो गई है। जबकि इसी वर्ग की शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागेदारी दर 46.2 प्रतिशत से बढकर 49.5 प्रतिशत हो गयी है।

चार्ट–17.3

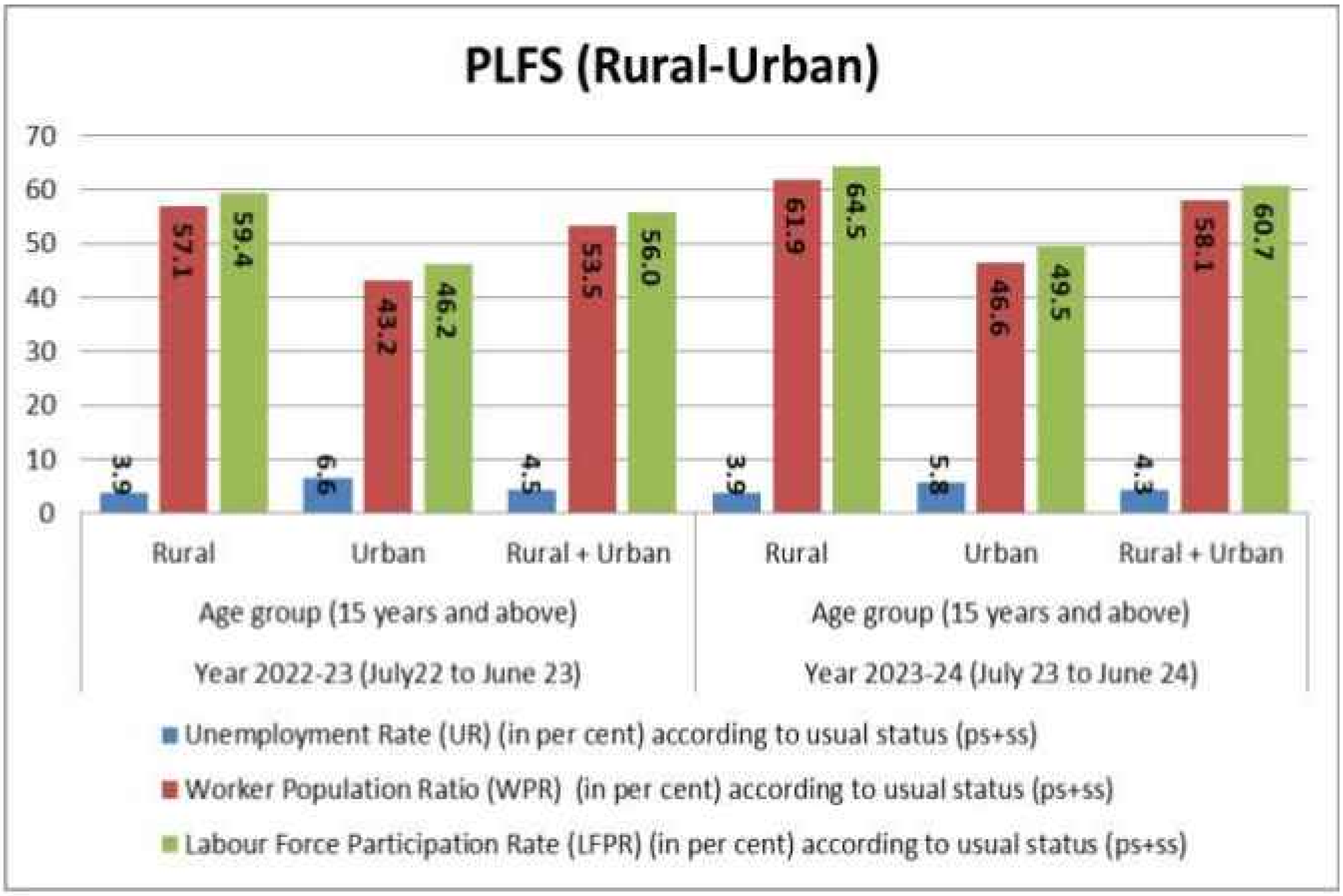
PLFS (Rural-Urban)
70
60
50
40
30
20
10
0
3.9
57.1
59.4
6.6
43.2
46.2
4.5
53.5
56.0
3.9
61.9
64.5
5.8
46.6
49.5
4.3
58.1
60.7
Rural
Urban
Rural + Urban
Rural
Urban
Rural + Urban
Age group (15 years and above)
Year 2022-23 (July22 to June 23)
Age group (15 years and above)
Year 2023-24 (July 23 to June 24)
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)

ग्रामीण एवं शहरीविकास

अध्याय–18
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामीण अवमूल्यन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, रिवर्स पलायन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। राज्य में राज्य तथा केन्द्र द्वारा विकासात्मक योजनायें /कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है। इनका विवरण निम्नलिखित है:–

18.1 केन्द्र पोषित योजनायें

18.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– यह योजना उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में चरणबद्व तरीके से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर उन्हें सत्त आजीविका संवर्द्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के बाजारीकरण हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेन्टरों को जनपद स्तर पर आउटलेट के रुप में तैयार किया जा रहा है।
- 1.53 लाख लखपति दीदी तैयार की गयी है।
- राज्य में 24 ग्रोथ सेन्टरों का संचालन कर समूहों एवं संगठनों द्वारा राज्य के विभिन्न उत्पादों का प्रोसेसिंग कर विपणन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 24 ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहें हैं।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 66637 स्वयं सहायता समूह की 4.90 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 7183 ग्राम संगठन तथा 490 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 53432 समूहों को अब तक कुल रू0 7482.32 लाख परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 127374 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 38547 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में रू0 26366.23 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए रू0 129.67 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 30000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल रू0 300 करोड ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक कुल 15877 स्वयं सहायता समूहों को कुल रू. 20195.14 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2024 तक जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

तालिका—18.1

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

श्जला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	2400	1,392	1940	1452.20
बागेश्वर	1100	661	1070	928.63
चमोली	2300	920	2560	955.68
चम्पावत	1600	300	1320	288.98
छेहरादून	2100	1,428	3490	2584.70
हरिद्वार	2700	892	2060	1424.66
नैनीताल	2400	1,934	3280	2743.51
पौड़ी	3700	1,712	3270	1939.36
पिथौरागढ़	2100	598	1640	732.14
रूद्रप्रयाग	1150	644	1390	764.97
टिहरी	2150	1,181	1360	1518.09
उधमसिंह नगर	4200	2,525	4930	2574.92
उत्तरकाशी	2100	1,690	1690	2287.30
कुल योग	**30000**	**15877**	**30000**	**20195.14**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रोसेसिगं एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17. सरस सेन्टर, 33 नैनो पैंकेजिंग यूनिट, 02 राज्य स्तरीय आउटलेट स्थापित किये गये हैं। प्रारम्भ से 2025 तक 1.50 लाख लखपति दीदी बनाये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 153529 लखपति दीदी तैयार की गयी हैं।

राज्य में डे0एन0आर0एल0एम0 योजना के अन्तर्गत 03 ड्रोन दीदी तैयार की गयी है।

18.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना— भारत सरकार की इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2024 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। दिसम्बर, 2024 तक 26032 अभ्यर्थी (Commenced) प्रशिक्षणरत हैं, 23367 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर 19318 अभ्यर्थियों को रोजगार में स्थापित किया गया तथा 14860 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह या उससे अधिक का रोजगार किया जा चुका है।

डी0डी0यू0—जी0के0वाई0 के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण उपरान्त बसन्ती वर्तमान में पिछले एक वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्य कर रही है

18.1.7 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–

देश की उत्तरी सीमा (भारत–चीन) में अवस्थित सीमावर्ती गावों को विकसित करने तथा इन गावों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती गांव शामिल किये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ के कुल 51 गावों का चयन किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है–

कम सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	वी0वी0पी0 गावों की संख्या
1	पिथौरागढ	मुन्स्यारी,	8
		धारचूला	17
		कनालीछीना	2
		पिथौरागढ – कुल गांव	**27**
2	चमोली	जोशीमठ	14
3	उत्तरकाशी	भटवाडी	10
कुल वी0वी0पी0 गांव			**51**

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार, जनपदों द्वारा आनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराये गयी कार्ययोजना को राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत एस0एल0एस0सी0 बैठक में अनुमोदन उपरांत कुल 523 योजनायें, रू0 520.13 करोड़ की गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 93 योजनायें वी0वी0मद के अंतर्गत रू0 16.99 करोड़ की एवं 47 योजनायें कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत रू0 175.25 करोड़ की स्वीकृत की गयी हैं। शेष पर भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

18.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक 56623 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं आवास प्लस सूची में 56014 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56014 आवासों को स्वीकृत करते हुए 55511 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची शत–प्रतिशत संप्तृतिकरण के फलस्वरूप आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2024–25 में आवास प्लस सूची के गत वर्षो के निर्माणाधीन 9010 आवासों के सापेक्ष 8508 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है, शेष निर्माणाधीन 503 आवासों को पूर्ण कराया जा रहा है, वर्ष 2024–25 में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 10789.93 लाख में से रू0 7063.13 लाख का व्यय माह दिसम्बर 2024 तक किया गया है।

अभिनव प्रयास

- पीएम–जनमन के तहत पात्र पाये गये पीवीटीजी (राजी एवं बुक्सा) को पीएमएवाई–जी के तहत बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।

- पीएम–जनमन अन्तर्गत 1751 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1557 आवासों को स्वीकृत करते हुए कुल 1317 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

- पीएम–जनमन अन्तर्गत प्राप्त कुल धनराशि रू. 1992.20 लाख के सापेक्ष रू. 2827.20 लाख का व्यय किया जा चुका है (आधिकक्य व्यय की धनराशि का वहन पीएमएवाई–जी से भारत

सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है)।

• मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत किचन सामग्री / बर्तन आदि की खरीद हेतु रू0 6000 / – की अतिरिक्त सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

तालिका 18.2
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण आवास	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2020–21	13197	13157	13102	131.99
2	2021–22	3007	2997	2991	13703.30
3	2022–23	17875	17820	17696	17630.34
4	2023–24	22544	22040	21722	36240.11
5	2024–25 दिसम्बर, 2024	0	0	0	7063.13
योग		56623	56014	55511	168148.00

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MGNREGA):–ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक भारत सरकार द्वारा रु0 57024.36 लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में रु0 4553.83 लाख अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 54163.16 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 11287 परिवारों को 100 दिन

का रोजगार उपलब्ध करवाकर 143.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 10.14 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 7.34 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2023–24 में माह मार्च, 2024 तक प्रति परिवार औसत लगभग 41.75 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उक्त तालिका 18.3 से ज्ञात होता है कि वर्ष

तालिका 18.3
मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस का विवरण

क्रं0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2017–18	735423	662630	22304235	12146439
2	2018–19	707138	639054	22182135	12232764
3	2019–20	734557	661269	20625216	11677147
4	2020–21	874484	791092	22067314	11997614
5	2021–22	864523	792160	24322052	13445270
6	2022–23	743485	682235	20672951	11709065
7	2023–24	691394	638301	19692289	11194745
8	2024–25 दिसम्बर, 2024	560849	559598	14357299	7958822

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24, 2024–25 माह दिसम्बर, 2024 तकं कुल 559598 व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया का प्रतिशत क्रमशः 90.10 प्रतिशत, 90.37 प्रतिशत, 90.02 प्रतिशत, 90.46 प्रतिशत, 91.63 प्रतिशत, 91.76 प्रतिशत, 92.32 प्रतिशत तथा 99.78 प्रतिशत रहा। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्ष 2017–18 से वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर, 2024 तक 54.45 प्रतिशत से अधिक रहा जो सराहनीय है।

तालिका 18.4
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	1531	1133.53	9987	11817.63	9424	11647.42	3325	4109.41
2	2018-19	1785	1215.59	7629	8300.05	10153	12209.92	3798	4791.96
3	2019-20	1524	1882.82	3808	6541.69	8725	17290.54	3694	6000.80
4	2020-21	1207	3030.59	2345	6445.65	7437	19193.56	3042	6174.70
5	2021-22	1907	2997.51	2490	5858.97	9003	20467.77	2844	6252.14
6	2022–23	4115	3311.49	6261	8675.02	25527	29398.22	8367	8071.02
7	2023–24	4285	2140.44	3687	3991.84	18685	14111.12	5951	5580.97
8	2024–25 दिसम्बर, 2024	4994	950.95	3088	1473.28	14380	4995.64	3637	1500.76

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतो का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय (रु0 लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2017-18	125	1129.56	10499	11931.6	34266	3824.38
2	2018-19	1146	921.14	6789	6787.08	8809	1005.87
3	2019-20	770	975.85	3280	6583.59	1899	619.46
4	2020-21	589	865.10	3336	8302.64	1049	360.34
5	2021-22	509	845.22	3755	8609.55	1130	289.95
6	2022–23	1306	1678.76	9277	13615.35	1472	248.45
7	2023–24	836	894.86	6476	6491.37	814	109.09
8	2024–25 दिसम्बर, 2024	603	235.55	5109	2726.72	725	21.45

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2017-18	6404	5163.33	30890	8772.72	1958	827.71
2	2018-19	5859	4693.31	34354	9008.25	534	182.95
3	2019-20	4534	7344.93	17263	5693.17	42	18.96
4	2020-21	4648	8837.79	8041	4597.48	11	7.83
5	2021-22	5709	8018.77	8698	7212.33	246	1539.67
6	2022—23	12422	13052.67	33897	11485.99	661	2427.19
7	2023—24	8181	5848.66	32221	9515.56	7	0
8	2024—25 दिसम्बर, 2024	6270	1584.83	34881	4567.57	10	0

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका—18.4 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2017—18, 2018—19, 2019—20, 2020—21, 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में क्रमशः 108409, 80856, 45539, 31705, 36291, 103305, 81143 एवं 73697 कार्य पूर्ण किये गये तथा 2017—18, 2018—19, 2019—20, 2020—21, 2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में क्रमशः रू0 60357.29 लाख, रू0 49116.12 लाख, रू0 52951.81 लाख, रू0 57815.68 लाख, रू0 62091.88 लाख, रू0 91964.16, रू0 48683.91 लाख एवं रू0 18056.75 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष

2024—25 दिसम्बर, 2024 तक 560945 कार्य पूर्ण किये गये तथा रू0 441037.60 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अभिनव प्रयोग

आजीविका पैकेज मॉडल : निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सत्त साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रुप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 37847 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 36605 कार्य प्रारम्भ एवं 32886 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अमृत सरोवर : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जल संरक्षण के साथ—साथ जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से पूरे देश में प्रत्येक जनपद हेतु 75 सरोवर के निर्माण / पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कुल लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1322 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं। इन सरोवरों में 413.22 करोड़ लीटर जल संग्रह किया जा रहा है। इन सरोवरों का निर्माण ग्राम्य विकास, वन विभाग और अन्य विभागों द्वारा

किया जा रहा है।

SARRA के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य: महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 4931 क्रिटिकल जल श्रोतो को चिह्नित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे है।

House of Himalayas Brand

राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग /पैकेजिंग/ब्राडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रान्ड के रूप में House of Himalayas का लोकापर्ण किया गया। लोकापर्ण के पष्चात् राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेषकों द्वारा House of Himalayas से जुडने हेतु उत्साह दिखाया है।

- प्रथम चरण में मिलेटस, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमेटिक एण्ड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपण, पिछौड़ा को shortlist किया गया है। राज्य के सभी जी0आई0 प्रोडेक्टस को हाउस ऑफ हिमालया ब्रान्ड में विषेष रूप से फोकस किया जा रहा है। Implementation & Marketing तथा Wordmark & Device Trademark पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।पूर्व में स्थापित प्रोसेसिंग/ग्रोथ सेन्टर का गुणवत्ता मूल्यांकन करने क उपरान्त प्रथम चरण में House of Himalayas के एक–एक प्रोसेसिंग /ग्रोथ सेन्टर गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही। House of Himalayas की बेवसाइट तैयार की गई है।

हाऊस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद निम्न माध्यमों से उपलब्ध है –

1. Official e-commerce website (houseofhimalyas.com)
2. Major e-commerce platforms like Amazon, DNDC and Jio Mart
3. Listing on Online commerce platforms such as Blink it Basket.
4. Product are available for punches from Modern trade online like Nature's

18.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंयोजित गांवों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 4433 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

तालिका–18.5
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

Financial Year	Financial Status (Rs. in Cr.)		Physical Progress					
			Works in Nos.		Length in Km.		Habitations in Nos. (250+)	
	Sanctioned Cost from GoI	Expn.	Sanctioned Works	Completed Works	Sanctioned Length	Constructed Length	Sanctioned	Connected
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	1070.08	607.33	218	135	1766.86	1839.11	242	207
2018-19	3665.71	698.43	857	130	6209.05	1756.29	330	202
2019-20	566.45	1080.48	112	148	905.83	2036.49	0	154
2020-21	0.00	1493.50	0	223	0.00	3365	0	144
2021-22	1077.81	1218.45	284	296	1156.77	2103	0	150
2022-23	856.84	1350	104	485	1090.74	905	0	28
2023-24	967.73	800	108	270	1197.21	608	0	06
2024-25 Dec., 2024	-	368	-	37	-	217	0	02
Total	**8204.62**	**7616.19**	**1683**	**1724**	**12326.46**	**12829.89**	**572**	**893**

नोट–व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है तथा पूर्ण कार्यों में बैकलॉग भी जुड़ा है।
स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना– ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण 1 से चरण 8 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया है, जिसका विवरण तालिका 18.6 में दिया गया है–

तालिका 18.6
माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं0	मा0 सांसद का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
			चरण– 1 (वर्ष 2014–16)		
1.	श्री भगत सिह कोश्यारी	नैनीताल	सरपुड़ा (सरपुड़ा बग्घा चौवन)	खटीमा	ऊधमसिंह नगर
2.	मे०जन० भुवन चन्द्र खण्डुड़ी	पौड़ी	देवली भणीग्राम	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
3.	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	गोरधनपुर	खानपुर	हरिद्वार
4.	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	बौन	डुण्डा	उत्तरकाशी
5.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सूपी	कपकोट	बागेश्वर
6.	श्री महेन्द्र माहरा	राज्य सभा	रौलमेल	पाटी	चम्पावत
7.	श्री राजबब्बर	राज्य सभा	लामबगड़	गैरसैंण	चमोली
			चरण– 2 (वर्ष 2017–18)		
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	जुम्मा	धारचूला	पिथौरागढ़
2.	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	जमालपुर कलान	हरिद्वार	हरिद्वार
3.	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	अटकफार्म	सहसपुर	देहरादून
4	श्री भगत सिह कोश्यारी	नैनीताल	लोहाली	बेतालघाट	नैनीताल

5	श्री तरुण विजय	राज्य सभा	तेवा	जौनपुर	टिहरी
6	श्री प्रदीप टम्टा (श्री तरुण विजय के स्थान पर)	राज्य सभा	वाछम	कपकोट	बागेश्वर
		चरण— 3 (वर्ष 2018—19)			
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सल्ली	चम्पावत	चम्पावत
2.	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खेडीशिकोहपुर	रूड़की	हरिद्वार
3	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	भरवा काटल	जौनपुर	टिहरी
		चरण— 4 (वर्ष 2019—20)			
1.	श्री अजय भट्ट	नैनीताल—ऊधमसिंह नगर	जंगलियागॉव	भीमताल	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	सिरतोली	थलीसैंण	पौड़ी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सुनौली	ताकुला	अल्मोड़ा
4	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	क्यारा	रायपुर	देहरादून
5	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	औरंगाबाद	हरिद्वार	हरिद्वार
		चरण— 5 (वर्ष 2020—21)			
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल—ऊधमसिंह नगर	देवीधुरा	भीमताल	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बेराई	फकोट	टिहरी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोशनी	पाटी	चम्पावत
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	दौलतपुर	रूड़की	हरिद्वार
		चरण— 6 (वर्ष 2021—22)			
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल—ऊधमसिंह नगर	विजयपुर(देवलामल्ल ा)	हल्द्वानी	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	स्यूर बांगर	जखोली	रूद्रप्रयाग
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोगना	विण	पिथौरागढ़
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खदरीखडकमाफ	डोईवाला	देहरादून
		चरण— 7 (वर्ष 2022—23)			
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बडागांव	जोशीमठ	चमोली
2	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	मजकोट	गरूड़	बागेश्वर
3	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	मारखमग्रान्ट	डोईवाला	देहरादून
4	श्री अजय भट्ट	नैनीताल—ऊधमसिंह नगर	विजयनगर	गदरपुर	ऊधमसिंह नगर
5	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	जीवनवाला	डोईवाला	देहरादून
6	डॉ0 कल्पना सैनी	राज्य सभा	दल्लावाला	खानपुर	हरिद्वार
		चरण— 8 (वर्ष 2023—24)			
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	मल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	तल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
3	श्री अजय भट्ट	नैनीताल—ऊधमसिंह नगर	पटेरी	रूद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
4	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	हरिपुरकला	डोईवाला	देहरादून

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.2 राज्य पोषित योजनायें

18.2.1 मेरा गांव मेरी सड़क योजना –

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 6478.278 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 4653.473 लाख व्यय किया गया तथा ₹ 471.733 लाख की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास को वापिस कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में गत अवशेष सहित कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1792.69 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक गत अवशेष के सापेक्ष ₹ 339. 75 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 38 सड़कों लम्बाई 32.39 कि.मी. के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 1.39 कि.मी. सडक निर्मित तथा 5 पर कार्य प्रगति पर है।

18.2.2 इन्दिरा अम्मा भोजनालय–राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल उपलब्ध धनराशि॰ 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 62.00 लाख व्यय किया गया तथा 612947 थालियॉं वितरित की गयी।

18.2.3 आइफैड द्वारा वित्त पोषित "ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना–"ग्रामोत्थान" ;Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)" का शुभारम्भ करते हुये राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकास खण्डों में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के अन्तर्गत 50,000 SHGs तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) अन्तर्गत गठित 10,000 उत्पादक समूहों, कुल 60,000 समूहों तथा 601 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्धि करना।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

- आइफैड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हेतु आगामी सात सालों के लिए परियोजना लागत के अंतर्गत ₹ 771.00 करोड़ का ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांक 2 जून 2022 को हस्ताक्षर हो गया है।
- परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को किया गया।
- REAP हेतु 13 जनपदों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित कर Human Resource Agency के माध्यम से 350 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विकासखंड एवं जिलास्तर पर नियुक्त किया जा चुका है एवं परियोजना क्रियान्वयन कार्य गतिमान है।
- REAP परियोजना के संचालन हेतु Management Consulting Firm (MCF) का चयन कर लिया गया है।
- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत गठित 184 आजीविका संघ को बिजनेस सहयोग हेतु ₹ 9.20 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।
- कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबोझ कम करने हेतु आधुनिक कृषि उपकरण (फार्म मशीनरी बैक) 67 CLF स्तर पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत दिलाये गये जिसमें ₹ 5.36 करोड़ भारत सरकार से अनुदान तथा ₹ 1.34 करोड़ की धनराशि रीप परियोजना अंतर्गत प्रदान की गई।
- 10370 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 10319 परिवारों के एकीकृत आजिविका सुधार योजना तैयार करवाकर रू॰ 35,000.00 प्रति परिवार की दर से बिना ब्याज के ऋण के रूप में ₹ 36.11 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

• परियोजना क्षेत्र हेतु 25 Value Chains को चिन्हित किया गया है। जिसमें से 6 Value Chains (1. मिलेट वैल्यू चैन 2. अदरक वैल्यू चैन 3. आलू वैल्यू चैन 4. मटर वैल्यू चैन 5. दालों की वैल्यू चैन 6. Red Rice Value Chain) का Detailed Survey एवं Analysis किया जा चुका है। उक्त 6 Value Chains के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार स्तर से शासनादेश निर्गत किए गए हैं।

• परियोजना अंतर्गत 1,45,375 परिवारों को चिन्हित कर शेयरधन राशि ₹ 500 प्रति परिवार की दर शेयर अंश के रूप में ₹ 11.59 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

• परियोजना अन्तर्गत 2788 व्यक्तिगत उद्यम एवं 45 सामुदायिक उद्यम स्थापित किये जा चुके है।

• समूहों द्वारा आधुनिक एवं कलाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक, फोडर एवं साइलेज निर्माण हेतु कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 परियोजना स्टाफ को मास्टर ट्रेनर के रूप में गाविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

• 423 क्लस्टर लेवर फेडरेशन के 8880 किसानों को आधुनिक एवं कलाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

• परियोजना अतर्गत प्रत्येक जनपद में यात्रा मार्गों पर जहां पर्यटक अधिकांश संख्या में भ्रमण करते है उस स्थानों का चयनित किया जा रहा है और Way-side Aminity बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

• परियोजना क्रियान्वयन की तिथि– परियोजना का क्रियान्वयन 2 जून 2022 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु रु0 150.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 75.00 करोड़ की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 65.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, अवशेष धनराशि शीध्र ही व्यय की जायेगी।

मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना(RBI) योजना का क्रियान्वयन राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 से किया जा रहा है। राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करने तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना साथ ही राज्य के निवासियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भ से अंत तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत अब तक कुल 4653 एन्टरप्राइस को इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान करते हुये, 1300 से अधिक उद्यमों को ऑनलाइन व ऑफलाइन मार्केट से जोड़ा गया, 1400 से अधिक नये उद्यम स्थापित किये गये एवं एन0आर0एल0एम0 के अंतर्गत चयनित एस0एच0जी0 की 1200 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने हेतु इन्क्यूबेशन सहयोग सहयोग प्रदान किया गया ।

18.2.4 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है।

योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से

किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 हेतु स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष जनपदों को क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ रू0 20.07 करोड़ एवं ₹ 20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ रू0 18.74 करोड़ एवं ₹ 18.76 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये 116, 85 एवं 158 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपदों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह, दिसम्बर, 2024 तक ₹ 9.81 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 33 कार्य पूर्ण किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 20.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

18.2.5 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थय, बाल विकास, तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारपरक/कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना का क्रियान्वयन 2020–21 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपदों हेतु ₹ 18.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा शतप्रतिशत उपयोग कर कुल 364 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपदों हेतु ₹ 18.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा ₹ 18.00 करोड़ का व्यय कर कुल 347 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदों हेतु ₹ 25.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष ₹ 21.86 करोड़ व्यय कर कुल 762 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 25.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान के सापेक्ष ₹ 25 करोड़ जनपदों को अवमुक्त की गयी जनपदों द्वारा ₹ 12.85 करोड व्यय कर 182 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

ग्रामीण उधम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)

ग्रामीण उधम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) ग्रामीण उधमों की स्थापना के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के वित्त पोषण से बाह्य सहायतित परियोजना 2 जून 2022 को 7 वर्षो हेतु स्वीकृत हुई है। परियोजना का कार्यकाल 31 मार्च 2029 तक है।

परियोजना राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकासखण्डों में कार्य कर रही है परियोजना का लक्ष्य समूह उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) अन्तर्गत गठित 60,000 स्वयं सहायता समूह तथा 601 कलस्टर लेवल फैडरेशन है। इनके माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की ग्रामीण उद्यम आधारित आजीविका में वृद्दि करना REAP परियोजना का लक्ष्य है।

परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2029 तक निम्न गतिविधियों को संपादित किया जायेगा :

- 601 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्दि।

• परियोजना क्षेत्र के उद्यमी परिवारों को बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ₹ 1365.38 करोड़ की ऋण के रुप में वित्तीय सहयोग (Financing) उपलब्ध कराना तथा विभिन्न मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 30,000 उद्यमों की स्थापना करायी जायेगी।

• बेस लाइन में प्राप्त आँकड़ों के सापेक्ष परियोजना के प्रयासों से प्रत्येक लाभार्थी परिवार की आय में 70 प्रतिशत की वृद्धि करना।

• 30 प्रतिशत पलायन वापसी (Returnee Migrant) परिवारों के विभिन्न मूल्य आधारित श्रृंखलाओं से जोड़कर उद्यम स्थापित करना।

• 50 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा Environmentally Sustainable and Climate Resilient Practices/Technology अभिकरण पर कार्य करना।

• 70 प्रतिशत ग्रामीण उद्यमियों की आय में वृद्धि कराना।

• 26 किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन कर ग्रामीण उत्पादों के विक्रय के चैनल स्थापित करना।

• 10,000 अति गरीब परिवारों को आय अर्जक गतिविधियों Ultra poor package से लाभान्वित करना।

• 80 प्रतिशत ग्रामीण उत्पादक संगठनों का– कलस्टर लेवल फेडरेशन/किसान उत्पादक संगठनों (CLF/FPOs) को आर्थिक रूप से लाभ प्रदान कर सशक्त होने में सहयोग करना।

तालिका 18.7
परियोजना अंतर्गत वर्तमान तक गतिमान कार्य

क0सं0	गतिविधि	लक्ष्य	वर्तमान तक उपलब्धि
1.	परिवारों का अच्छादन	560000	292041
2.	स्वयं सहायता समूहों का अच्छादन	60000	30094
3.	CLF का आच्छादन	440	269
4.	किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का अच्छादन	29	7
5.	शेयर पूंजी CLFको देना (प्रथम बार)	460000	138930
6.	शेयर पूंजी CLF को देना (द्वितीय बार)	460000	47357
7.	व्यापार प्लान सहयोग	440	105
8.	FPO को रिवॉल्विंग फण्ड	30	7
9.	Ultra Poor Package	10000	8633
10.	व्यक्तिगत उद्यम	6506	2047
11.	सामूहिक उद्यम	215	34

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

1. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी (Innovative) योजना का विवरण :–

• **अमृत सरोवर** : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य द्वारा लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1322 सरोवर स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर 1322 सरोवरों को पूर्ण किया जा चुका है। कार्य

पूर्ण किये जाने के मानक में राज्य प्रारम्भ से ही अग्रणी राज्यों में सम्मिलित रहा है। राज्य द्वारा अभिनव पहल करते हुए जल संरक्षण के साथ इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने हेतु 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन से जोड़ने हेतु मत्स्य पालक ग्रुप बनाये गए हैं।

2. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरणः–

- प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में ₹ 150.00 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 143.57 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं जो कि 95.72 % है।

- अप्रत्यक्ष रोजगार (स्वरोजगार) हेतु कुल कार्य के 38.13 % कार्य व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कराये गये हैं।

3. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन से आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरणः–

- योजनान्तर्गत श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण न ही अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है और न ही कार्मिकों को समय पर मानदेय दिया जा रहा है और न ही सामग्री मद का भुगतान समय पर हो रहा है जिस कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- योजनान्तर्गत अधिकांश क्रियाकलाप यथा– मस्टररोल जारी करना, National Mobile Monitoring System, जियोटैगिंग आदि नेटवर्क आधारित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत कार्मिक ही शासकीय एवं आउटसोर्स संस्था के माध्यम से योजनान्तर्गत तैनात हैं। कार्मिकों की कमी के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

4. वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investments, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–

5. विगत 06 वर्षों (2017 से 2024) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण।

तालिका 18.8
वर्षवार प्रगति (लाख में)

वित्तीय वर्ष	भौतिक प्रगति (मानव दिवस सृजन)		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	सृजित मानव दिवस	लक्ष्य	व्यय
2017-18	182.00	223.02	56268.94	69225.98
2018-19	200.00	221.67	61834.00	63320.16
2019-20	215.00	206.20	69129.66	55608.23
2020-21	299.00	303.71	100165.00	85383.60
2021-22	240.00	243.22	81600.00	62819.91
2022-23	200.00	206.73	71000.00	90735.16
2023-24	190.00	196.91	72833.33	72314.13

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम— आंकाक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार (नीति आयोग) राज्य के 06 जनपदों के 06 विकासखण्डों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 09 जनपदों के 09 विकासखण्डों का चयन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा चयनित विकासखण्ड

S.No.	District	Block
1	Almora	Syaldey
2	Bageshwar	Kapkote
3	Haridwar	Bahadrabad
4	Pauri Garhwal	Duggada
5	Udam Singh Nagar	Gadarpur
6	Uttar Kashi	Mori

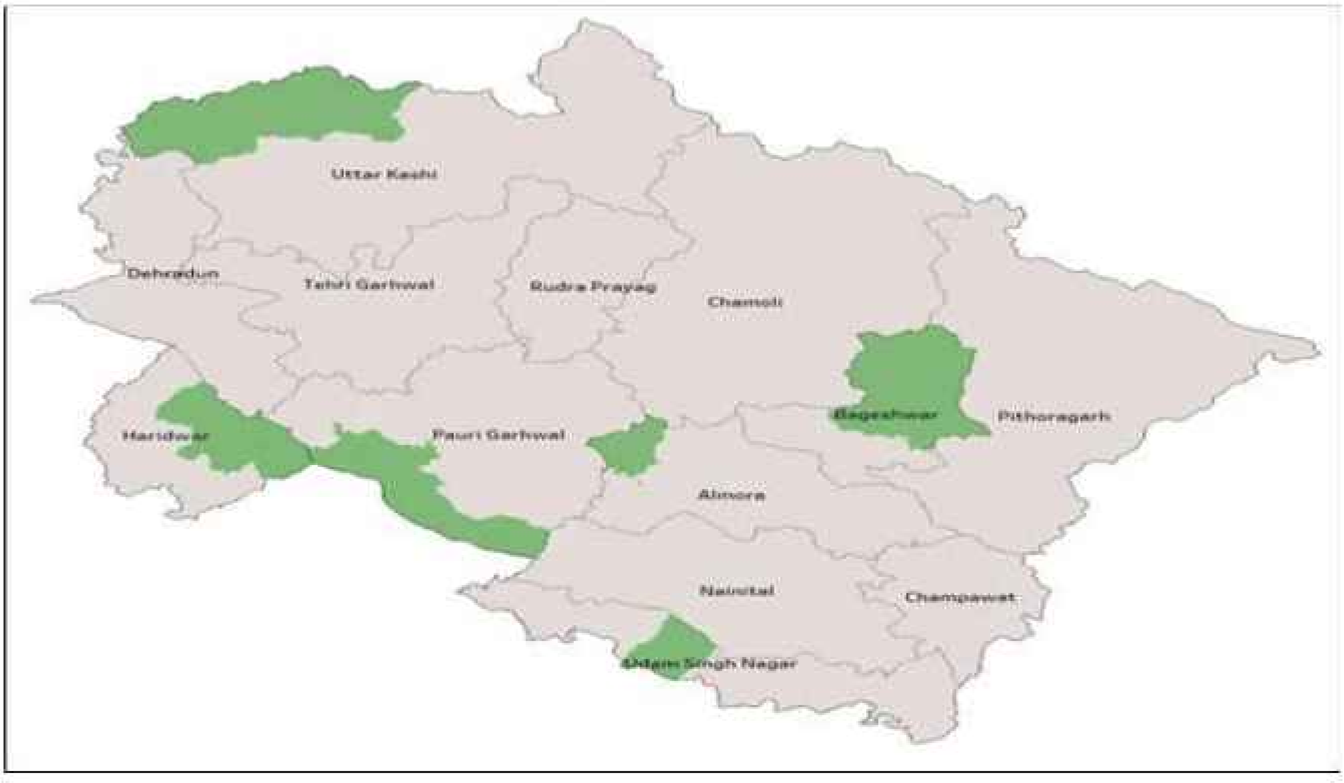

राज्य सरकार द्वारा चयनित विकासखण्ड

S.No.	District	Block
1	Almora	Dhola devi
2	Champawat	Champawat
3	Nainital	Okhalkanda

4	Tehri Garhwal	Jakhanidhar
5	Rudrapryag	Agastmuni
6	Chamoli	Joshimath
7	Dehradun	Kalsi
8	Pauri Garhwal	Veerokhal
9	Pithoragrah	Dharchula

भारत सरकार (नीति आयोग) द्वारा आंकाक्षी विकासखण्डों का चयन 39 Key Performance Indicators (KPIs) के आधार पर 05 मुख्य थीम Health & Nutrition, Education, Agriculture and Allied Services, Basic Infrastructure, and Social Development पर किया गया।

S. No.	Theme	No. of KPI	Weightage (%)
1	Health & Nutrition	14	30%
2	Education	11	30%
3	Agriculture and Allied Services	5	20%
4	Basic Infrastructure	5	15%
5	Social Development	4	5%
TOTAL		39	100%

18.3 पंचायती राज

पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

18.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान– इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। वर्ष 2023–24 में शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित इस योजना को रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में पुनर्गठित करते हुए प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित मदों को 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायतीराज से सम्बन्धित योजनाओं को शत–प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

- योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ऑनलाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यमों से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, पंचायतों में लागू योजनाओं, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सतत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत रू0 190.40 करोड़ (रूपये एक सौ नब्बे करोड़ चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) आवंटित हुआ है। राज्यांश के रूप में रू. 2.78 करोड़ (रू. दो करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) का आवंटन हुआ है। इस प्रकार कुल आवंटन रू. 27.78 करोड़ (रू. सत्ताईस करोड अठहत्तर

तालिका 18.9

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत मदवार आवंटित धनराशि (रु0 करोड़ में) का विवरण

(Rs. in crore)

Component	Amount approved by CEC
Capacity Building and Training(CB&T)	
General Orientation(66166 participants)	28.46
Refresher Training (4450 participants)	0.9
Training on Panchayat Development Plan(71167participants)	15.69
Thematic Training -(71167 participants)	23.46
Speciali zed Trainings(4916 participants)	1.19
Any other Training(CBT on Mahila& Bal Sabha - 12795 participants; 30 days' General orientation of newly appointed field functionaries - 232 participants)	6.84
Total of CB&T	**76.54**
Other Activities under CB&T	
Hand h olding support for GPDP(238)	0.48
Development of Training module	0.1
Training Material Development	0.2
Exposure visits within State(5000 for 3 days)	5.25
Exposure visits outside State(10,000 for 5 days @ 5000)	25
Development of Panchayat Learning Cen tre(13)	0.91
Leadership/Management Development Program (100 participant)	0.5
Total of other activities under CB&T	**32.44**
Institutional Infrastructure (recurring cost)	
SPRC Recurring Cost	0.84
DPRC Recurring Cost (20lakh/DPRC/annum) for13DPRCs	2.58
Hir ing of Training infrastructure & equipments at District Level	0.12
BPRCs in rented Building for 19 BPRCs	0.68
BPRC Recurring Cost for 48 BPRCs	2.02
Hiring of Training infrastructure & equipments at Block Level	1.25
Total of Institutional Infrastructure (Recurring cost)	**7.49**
Programme Management Unit	
State Programme Management Unit(SPMU)	0.26
District Programme Management Unit(for 13 DPMU)	1.4
Block Programme Management Unit(for 95 BPMU)	4.56
Total of PMU	**6.22**
Support for Panchayat Bhawan	
Construc tion of new 112 PB (100 PBs + 12 PBs)	22.4
Construction of 72 PB (carry over from 2023 -24)	15.5
Co-location of new CSC (100) with Panchayat Bhawan	5
Co-location of CSC (56) (Carry over from 2023 -24)	3.65
Total of Panchayat Infrastructure	**46.55**

e-Enab lement of Panchayats	
Computer and Accessories (2745 GPs)	13.72
Total of e -Enablement	**13.72**
Innovative Activity (Carry over)	1
Total of Innovative Activity	**1**
Sub Total (S. No 1 to 7)	**183.96**

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

लाख मात्र) के सापेक्ष कुल रू0 16.00 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ मात्र) का व्यय/उपभोग किया गया है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायतों के लगभग 23000 प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को बाल सभा तथा महिला सभा हेतु क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण दिया जाना है।

• राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC)– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित हो चुका है, जिसमें प्रषिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

• आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से विकास खण्डों में ब्लॉक कॉडिनेटर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की गयी है।

• ठोस अपषिट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से राज्य के 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है, वर्तमान में कुल 88 कॉम्पैक्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

• राज्य के अन्दर एवं राज्यों का अध्ययन भ्रमण गतिमान है। अतिथि तक 1727 पंचायत प्रतिनिधियों का भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है।

• 240 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का 30 दिवसीय मूलभूत आवासीय प्रशिक्षण प्रसार प्रषिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी/देहरादून में गतिमान है।

• धनराशि ₹ 4.55 करोड़ (₹ चार करोड़ पचपन लाख मात्र) से 13 जनपदों हेतु 13 Portable Vacuum Based Garbage Suction Machine (Litter Picker Machine) क्रय कर जनपदों को उपलब्ध कराई गई है, जिला पंचायतों द्वारा उक्त मशीनों का संचालन किया जा रहा है।

18.3.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पचांयतों हेतु 35

तालिका 18.10
वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु आवंटित धनराशि

(रू.लाख में)

क्रमांक	पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि (रू. लाख में)
1	जिला पंचायत	22550.00
2	क्षेत्र पंचायत	14100.00
3	ग्राम पंचायत	36400'00
	योग	73050.00

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी है:–

18.3.3 15वॉ वित्त आयोग:– (वर्ष 2020–21 से 2025–26)

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 15वे वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए रू0 471.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के सापेक्ष कोई धनराशि जारी नही की गयी है।

15वे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (40 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान (टाईड फण्ड) (60 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मूल अनुदान (Untied Fund)– मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।

आबद्ध अनुदान (Tied Fund)– टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने तथा (2) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेगे।

18.3.4 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाएँ प्लान प्लस पर अपलोड़ कर दी गयी है।

18.3.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यो में पारदर्शिता, तकनीकी का उपयोग एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं।

18.3.6 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

संविधान का अनुच्छेद 243 जी में राज्यों को अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि कि वे ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्वसंस्थानों के रूप में कार्य कर सकें।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 9 विषयों (पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित) के तहत ब्लॉक, जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बहु–स्तरीय पिरामिड प्रतियोगिता होगी। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी गांव। इन विषयों के तहत पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके कार्य–निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्रोथ सेन्टर

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु राज्य में स्थापित 110 ग्रोथ सेन्टर का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान 79 ग्रोथ सेन्टर कार्यरत पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः—

- 79 चालू ग्रोथ सेंटर में 72 ग्रोथ सेन्टर ग्रामीण क्षेत्र में, 07 ग्रोथ सेन्टर शहरी क्षेत्र में कार्यरत है। 09 ग्रोथ सेन्टर निजी भवनों में, 56 सरकारी भवनों में, 04 किराये के भवनों में, 06 स्वयं सहायता समुह के भवनों में तथा 04 अन्य भवनों में कार्यरत है।

- कुल 79 ग्रोथ सेन्टर मे से 58 ग्रोथ सेंटर विनिर्माण सम्बन्धी कार्य, 10 ग्रोथ सेन्टर ट्रेडिंग गतिविधि में, 06 ग्रोथ सेंटर सेवा क्षेत्र में तथा शेष 05 ग्रोथ सेंटर अन्य क्षेत्र में कार्यरत है।

- सेवा क्षेत्र में देहरादून में कार्यरत एक ग्रोथ सेन्टर जो कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कार्य में संलग्न है, जिसका मूल्यवर्द्धन अत्याधिक होने के कारण सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र में कार्यरत ग्रोथ सेन्टर के संकेताक सकारात्मक अनुमानित है।

- विनिर्माण कार्य में लगे 58 ग्रोथ सेंटर में 99 पुरूष श्रमिक, 381 महिला श्रमिक कार्यरत है तथा कुल 4928 सदस्य सम्बद्ध है। सेवा क्षेत्र के ग्रोथ सेन्टर में 08 पुरूष श्रमिक, 12 महिला श्रमिक तथा कुल 744 सदस्य सम्बद्ध है। अन्य प्रकार के ग्रोथ सेन्टर 16 पुरूष श्रमिक, 22 महिला श्रमिक तथा कुल 55 सदस्य सम्बद्ध है।

- वर्तमान में कार्यशील ग्रोथ सेन्टरों में से 60% ग्रोथ सेन्टरों का स्वामित्व व संचालन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। 32.5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, सहकारिता द्वारा किया जा रहा है, 5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, साझेदारी के माध्यम से किया जा रहा है तथा शेष 2.5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, निजी सम्पत्ति के रूप में किया जा रहा है।

- सर्वेक्षण में पाया कि अधिकाशं ग्रोथ सेन्टरों को वित्तीय, विपरण, उद्यमशीलता का अभाव आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकाशं ग्रोथ सेन्टर द्वारा दो या दो से अधिक समस्याओं से ग्रसित होने से अवगत कराया गया।

- लगभग 41% ग्रोथ सेन्टरों का संचालन स्नातक व स्नातकोत्तर प्राप्त अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के परिपेक्ष्य में यह पाया गया कि लगभग 75% अध्यक्षों को कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त नही है।

- ग्रोथ सेन्टरों द्वारा स्थानीय उत्पाद न मिल पाने अथवा उनकी प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त साधन प्राप्त न हो पाने के कारण अपनी आर्थिक गतिविधियों में बदलाव किया गया है। गतिविधि में बदलाव के कारणों के रूप में वित्तीय, विपरण, मानव संसाधन की कमी आदि का उल्लेख किया गया है।

- सर्वेक्षण में पाया गया कि मात्र 6% ग्रोथ सेन्टर ने कोई बैंक अकॉउन्ट नही खोला है तथा लगभग 35% ग्रोथ सेन्टर द्वारा अपने दैनादिन कार्यो में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है।

- सर्वेक्षण के माध्यम से पाया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर व अल्मोड़ा द्वारा पूर्ण रूप से स्थानीय उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है। शेष जनपदों में स्थापित ग्रोथ सेन्टरों द्वारा अन्य स्थानों से कच्चा माल क्रय कर अथवा मात्र वस्तुओं का व्यापार कर ग्रोथ सेन्टरों का संचालन किया जा रहा है।

- **ग्रोथ सेन्टर संचालन के दृष्टिगत चुनौतिया व अवसर का निम्न प्रकार अभिज्ञान हो सका है:—**

✓ अधिकाशं ग्रोथ सेन्टर रीप (REAP), हिलांस, आजीविका आदि बड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे है, जिस कारण ग्रोथ सेन्टर बड़ी संस्थाओं की एक इकाई के रूप में कार्यरत है। सेवा क्षेत्र में कार्यरत निजी स्वामित्व में कार्यरत ग्रोथ सेन्टर आत्मनिर्भता की ओर अग्रसर है।

✓ कतिपय ग्रोथ सेन्टर में यह देखा गया कि स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरण/मशनरी उपलब्ध है परन्तु श्रमिकों व ग्रोथ सेन्टर संचालकों को उक्त उपकरणों/मशनरी के संचालन का प्रशिक्षण नही दिया गया है, पर अभी उपलब्ध उपकरणों/मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

✓ कतिपय ग्रोथ सेन्टर के संचालन हेतु गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अक्रियाशील है और उनमें तकनीकी ज्ञान की अनुभवहीनता होने के कारण, ग्रोथ सेन्टर में कोई आर्थिक गतिविधि का संचालन नही किया जा रहा है। ऐसे ग्रोथ–सेन्टर मात्र उच्च संस्थाओं से प्राप्त सामाग्री को विक्रय करने हेतु कार्मिक लगाकर संचालित हो रहे हैं।

✓ ग्रोथ सेन्टर के स्थापना से सर्वेक्षण तक भी ऐसे ग्रोथ सेन्टर कार्यरत है, जो माल उत्पादित करने हेतु आवश्यक मशनिरी, ट्रैनिंग, उन्नत किस्म का कच्चा माल, उत्पादित वस्तुओं को बेचने हेतु बाजार का आभाव, वित्तीय संसाधनो की कमी, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता का आभाव जैसी समस्याओं के कारण स्वावलंबी नही हो सके हैं इससे अन्य संस्थाओं पर निर्भरता बनी हुयी है।

✓ सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जहॉ ग्रोथ सेन्टर अपने उद्योग को संचालित करने में वांछित सफलता प्राप्त नही कर सके हैं वही उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे निजी स्वामित्व के उद्यमी भी हैं जो स्वयं के संसाधनो से अपने उसी उद्योग को लाभदायक बनाने की ओर अग्रसारित हैं।

✓ कतिपय ग्रोथ सेंटर में संचालन व उद्यमशीलता कौशल विद्यमान होने के कारण, सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे है।

✓ समग्र रूप में यह कहना उचित होगा कि ग्रोथ–सेन्टर क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार सृजन और सदस्यों की आर्थिकी के सुधार में सक्षम तो हैं परन्तु इनके पदाधिकारियों और सदस्यों को क्रमशः प्रबन्धन और सुनियोजित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय–19
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

19.1 सामान्य विवरण : आर्थिक विकास के अनेक मापदण्डों में बढ़ता शहरीकरण एक महत्वपूर्ण सूचक है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य में नये नगरों का गठन समय–समय पर किया जाता रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार, शिक्षा एवं बेहतर सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या का पलायन होता रहा है। बढ़ती जनंसख्या के कारण पूर्व के शहरों में आधारभूत सुविधायें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं तथा नव गठित शहरों में आधारभूत अधोसंरचना की आवश्यकता प्रबलता से महसूस होती रही है। बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर बढ़ता ट्रैफ्रिक, सीवरेज, स्वास्थ्य सुविधायें तथा रोजगार के विकल्पों/अवसरों की कमी जैसी समस्यायें भी सामने आयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य 2030"** के अर्न्तगत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्को की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

तालिका 19.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2024/ वर्तमान स्थिति
1	शहरी स्थानीय निकाय	63	72	105
1.1	नगर निगम	01	06	09
1.2	नगर पालिका परिषद	31	28	47
1.3	नगर पंचायत	31	38	49
1.4	छावनी परिषद	09	09	09
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	36.77
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	अन्य आवास एवं विकास परिषद् आदि की संख्या	01	01	01

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दो नगर निकायों–अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़, तीन नगरों पंचायतों को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद– पुरोला, कालाढूंगी तथा भीमताल तथा दो नगर पंचायतों–गढ़ीनेगी तथा पाटी का गठन किया गया।

तालिका 19.2
स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	**जनसंख्या**	**स्थानीय निकाय तथा सेसंस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)**
(जनगणना 2001 के अनुसार)	21.79 लाख (25.70%)	91
(जनगणना 2011 के अनुसार)	36.30 लाख (34.19%)	105

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रूझान है।

वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 47 नगर पालिका परिषद और 49 नगर पंचायतों सहित कुल 105 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 19.3
स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्त्रोत से	राज्य/ केन्द्र से प्राप्त	
1	2020-21	13,600.00	1,31,785.10	73,802.40
2	2021-22	13,165.64	1,11,593.79	1,26,612.35
3	2022-23	16,717.98	1,12,601.99	1,10,192.01
4	2023-24	25,800.00	1,41,092.61	1,13,141.08
5	2024-25 (प्रस्तावित)	28,000.00	1,07,577.44	93,155.03

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 19.1
स्थानीय निकायों का आय का वर्गीकरण

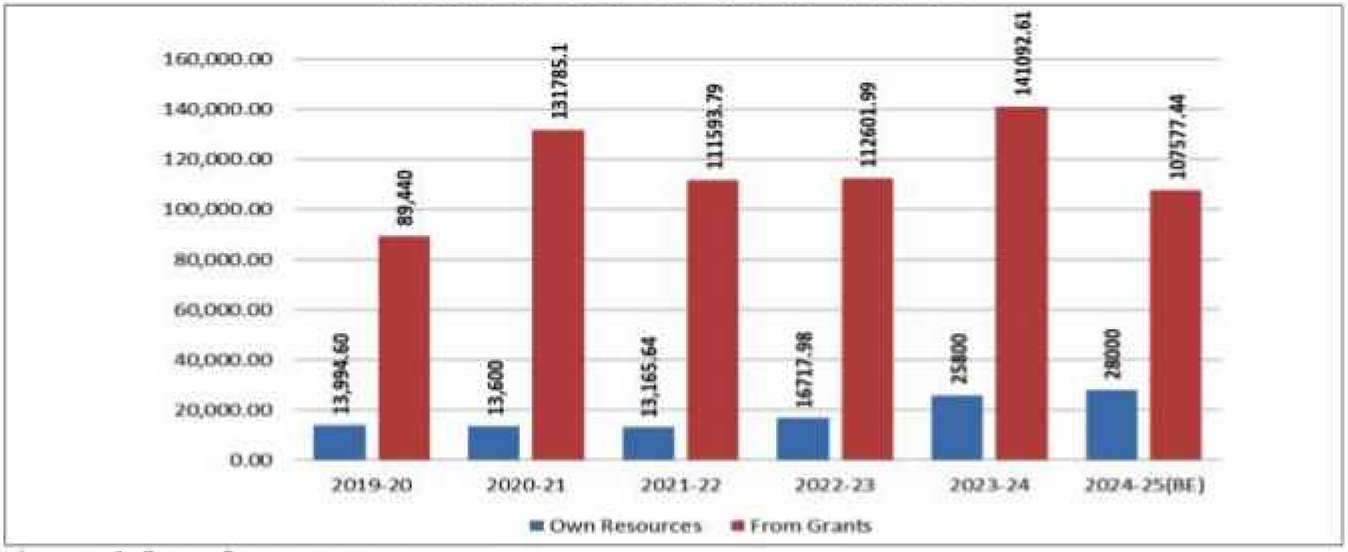

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 19.3 एवं चार्ट 19.1 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय (वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 हेतु क्रमशः 15%, 22.8% एवं 30% (प्रस्तावित)) है ।

- वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 (प्रस्तावित) तक स्वयं के स्रोतों से आय में गत वर्षों से अपेक्षाकृत वृद्वि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के कारण निकायो की स्वयं के श्रोतों की आय में कमी दर्ज की गयी है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2022–23 में कुल आय (राजस्व एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मलित) के सापेक्ष कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय सम्मलित) का प्रतिशत 82.53 है। चार्ट 19.2 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

चार्ट 19.2
वर्ष 2022–23 में नगरीय निकायों का कुल प्राप्ति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

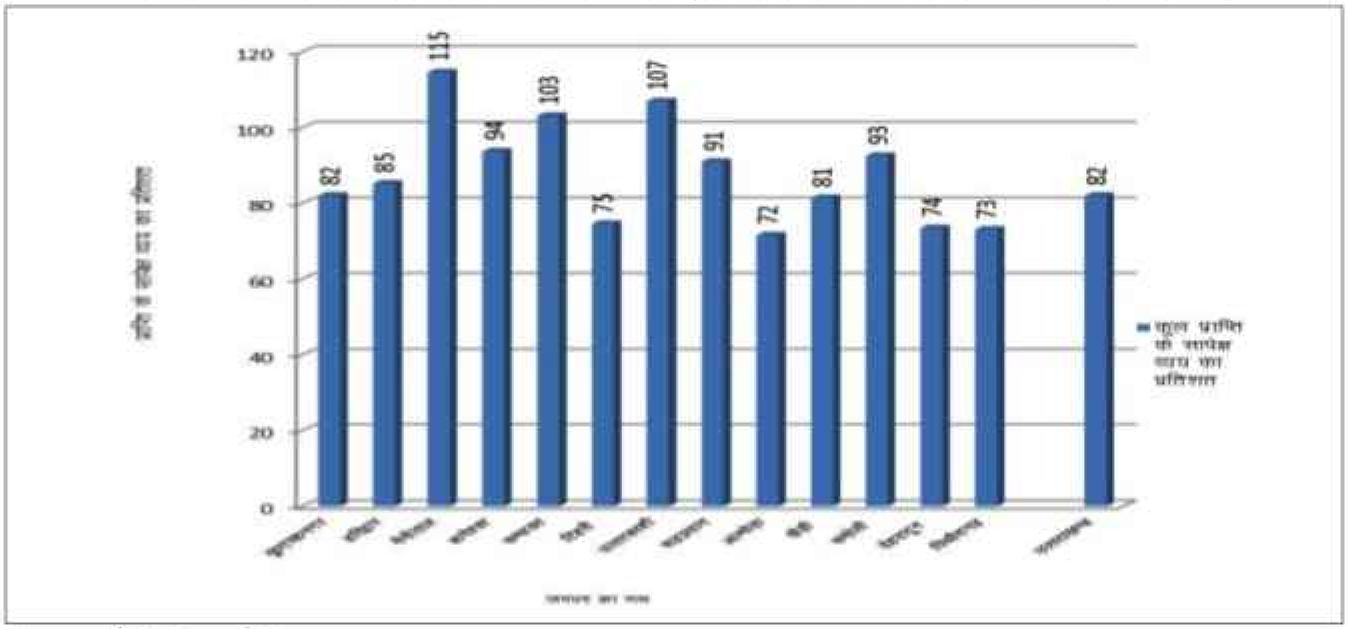

स्रोत : अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

चार्ट 19.2 के माध्यम से स्पष्ट है कि जनपद नैनीताल मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 114.61 है जो कि सबसे अधिकतम है तथा जनपद अल्मोड़ा मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 72 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। व्यय में पूंजीगत व्यय सम्मलित होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत है।

चार्ट 19.3 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2022–23 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूँजी निर्माण पर ₹46043.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

चार्ट 19.3
नगरीय स्थानीय निकायों पर वर्ष 2022–23 में सकल पूंजी निर्माण पर व्यय

(लाख रू0 में)

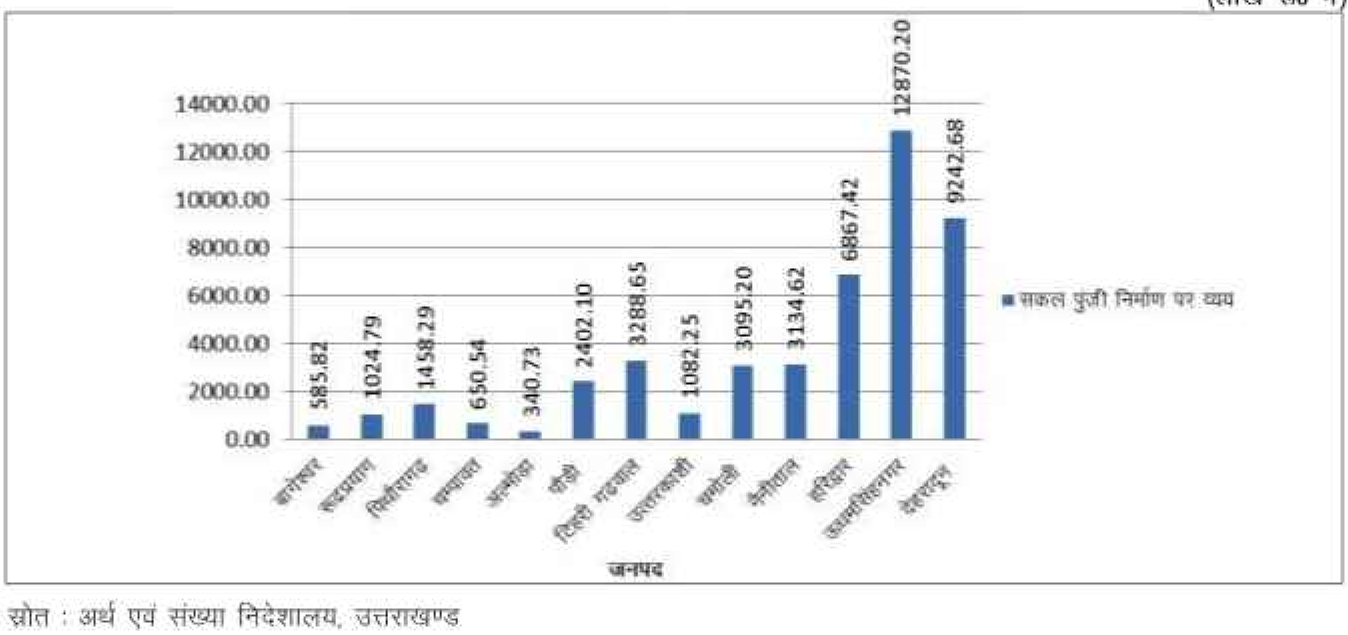

स्रोत : अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद अल्मोड़ा में पूँजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक है।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 42043.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2024 तक ₹ 5609.00 लाख़ की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसमें से ₹ 9170.00 लाख (प्रारम्भिक अवशेष सहित) का उपयोग माह दिसम्बर, 2024 तक कर लिया गया है।

केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

19.2– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM) योजना का उद्देश्य :–

- शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एंव आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।
- शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 225 लक्ष्य के सापेक्ष 441 महिला स्वयं सहायता समूहों व 29 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 53.50 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी तथा 4325 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन किया गया।

- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** के अन्तर्गत 410 लक्ष्य के सापेक्ष 515 लाभार्थियों को ₹ 643.75 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।
- **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित कर पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रोजगार संवर्द्धन किया गया है।
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 56250 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैकों द्वारा 43302 आवेदकों को ₹ 67.35 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है।
- कौशल विकास एवं प्लेसमेंट द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 500.00 लाख की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष ₹ 278.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

19.3–स्वच्छ भारत मिशनः–स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित हैः–

- "खुले में शौच" की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैः–

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता।
- निकायों का क्षमता सम्वर्द्धन।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशिः– भारत सरकार द्वारा ₹ 10,800.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39,200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58,800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान दिया जाता है।

1–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 27640 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

2–सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2798 के सापेक्ष 2553 सीट के सामुदायिक /सार्वजनिक शौचालय पूर्ण हो चुके हैं।

3–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 1269 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा 1188 वार्डो में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 33,222.74 लाख की डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 90 निकायों हेतु गठित 62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी0पी0आर0 भारत सरकार से स्वीकृत व धनराशि प्राप्त।
- नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रूड़की क्लस्टर जिस में मंगलौर, भगवानपुर, झबरेडा, पिरान कलियर निकाय सम्मिलित है के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत ₹ 5,121.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष दिसम्बर 2024 तक ₹ 1,343.31 लाख अवमुक्त हुआ हैं, जिसका व्यय कर लिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0– स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत 5440 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय हेतु प्रति इकाई ₹ 10800.00 की दर से केन्द्रांश हेतु ₹ 583.20 लाख की धनराशि प्रथम किश्त तथा 218 सीटों के सार्वजनिक शौचालयों हेतु ₹ 1.35 लाख प्रति सीट की दर से 294.30 लाख एवं 105 सीटों के सार्वजनिक मूत्रालय हेतु ₹ 28800.00 प्रति सीट की दर से ₹ 30.24 लाख, इस प्रकार केन्द्र सरकार से ₹ 324.54 लाख की प्रथम किश्त अपेक्षित है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (लीगेसी वेस्ट)– स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत 14 निकायों की 15 परियोजनाओं में लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 17.51 लाख मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु ₹ 86.78 करोड़ की डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार के द्वारा प्रथम चरण में नगर निगम देहरादून को ₹ 27.45 करोड,

हरिद्वार को ₹ 22.44 करोड, काशीपुर को ₹ 3.41 करोड, हल्द्वानी को ₹ 11.39 करोड, रूड़की को ₹ 7.17 करोड़, ऋषिकेश को ₹ 6.46 करोड़, कोटद्वार को ₹ 0.92 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत की गयी। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 7 निकायों हेतु ₹ 24.38 करोड़ अवमुक्त किये गये तथा ₹ 14.31 करोड़ माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय किये जा चुके हैं।

19.4–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Reduvenation and Urban Transformation, AMRUT 1.0):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर पालिका परिषद् (नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित जल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- अमृत योजना 1.0 की कुल लागत ₹ 593.02 करोड़ के सापेक्ष कुल 151 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 591.02 करोड़ केद्रांश व राज्यांश अवमुक्त किया जा चुका है तथा वर्तमान तक कुल 143 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक ₹ 5,2330.00 लाख की धनराशि व्यय कर लिया गया है।योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 44 पूर्ण एवं 03 योजनायें पर कार्य प्रगति पर है। सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 42 योजनायें पूर्ण एवं 2 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 15 योजनायें पूर्ण एवं 1 योजना पर कार्य प्रगति पर है।
- अमृत उपयोजना 7 अमृत नगरों का जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.58 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.87 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0.71 करोड धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

अमृत 2.0 – योजनान्तर्गत कुल ₹ 650.00 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की धनराशि प्राविधानित है। ट्रेन्च–1 के अन्तर्गत 19 योजनाओं की स्वीकृत धनराशि ₹ 233.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 42.07 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश तथा ₹ 4.68 करोड़ राज्यांश इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 46.75 करोड़ की प्रथम किस्त (20 प्रतिशत) अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 42.34 करोड़ तक व्यय कर दिया गया है।

ट्रेन्च–2 के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु शेष धनराशि ₹ 341 करोड़ के सापेक्ष एच0एच0पी0 एच0सी0 8 योजना से जिनकी लागत ₹ 406.12 करोड़ को स्वीकृत कर भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अमृत 2.0 योजना के अमृत मित्र उपयोजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, रूड़की की 6 पार्को (लाला लाजपत राय पार्क, इन्दिरानगर कालोनी देहरादून, दून विहार कालोनी, तिलक पार्क जाखन, गोविन्दपुरी पार्क हरिद्वार, मीना एनक्लेव

पार्क हरिद्वार, केशव एवं मालवीय पार्क रूड़की) के रखरखाव हेतु ₹ 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 26.00 लाख के सापेक्ष ₹ 14.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के अन्तर्गत श्रेणी–2 के 10 शहर तथा श्रेणी 03 के 13 शहर चयनित किये गये है। जिसके क्रम में केन्द्र को ₹ 1656.00 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 331.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

19.5– प्रधानमंत्री आवास योजनाः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष दिसम्बर 2024 तक आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

विकास विभाग की उपलब्धियॉ–

1– प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा आवास विभाग के Online Application System eASE APP को State Based Service Delivery Platform के लिए Best Practice श्रेणी में नामित किया गया है।

2– राज्य में मानचित्र स्वीकृत प्रकिया को पारदर्शी व समयबद्ध किया गया है समस्त राज्य में एकल आवासीय मानचित्र 15 दिनों में तथा गैर आवासीय मानचित्र 30 दिवसों में स्वीकृत किये जाते हैं।

3– मानचित्रों में बार–बार आपत्ति लगाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है तथा प्रत्येक मानचित्र में प्राधिकरणों द्वारा एक बार ही आपत्ति लगायी जा सकती है।

4– मानचित्र की स्वीकृति के लिए विभिन्न विभागों से ली जाने वाली प्रक्रिया को सरल किया गया है जिसमें एकल आवासीय मानचित्रों हेतु 7 दिन तथा गैर आवासीय मानचित्रों हेतु 15 दिवस अनापत्ति प्राप्त होने के लिए निर्धारित किया गया है। इससे अधिक दिवस होने पर आवेदकों के मानचित्र स्वतः स्वीकृत मान लिये जायेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है–

- निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन–सिटू पुनर्विकास– प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।

- निजी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership)- प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहॉ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो। **भागीदारी में किफायती आवास घटक** अन्तर्गत 20 परियोजनाओं हेतु 15960 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जिनमें से 1866 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं व शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

- योजना अन्तर्गत **लाभार्थी आधारित निर्माण घटक** अन्तर्गत EWS श्रेणी के लाभार्थियों को ₹ 1.50 लाख केन्द्रांश तथा ₹ 0.50 लाख राज्यांश के रूप में आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में घटक अन्तर्गत 332 परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिसमें में 25760 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 13088

आवास पूर्ण कर लिये गये हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2024–25 में ₹ 21100.00 लाख का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2024 तक ₹ 4407.13 लाख का व्यय किया गया है।

19.6–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अर्न्तगत देहरादून नगर के चयनित वार्डो के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1,000.00 करोड़ प्राविधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान मे परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्मार्ट स्कूल, वाटर ए0टी0एम0, स्मार्ट टायलेट, पेयजल आपूर्ति संवर्धन, परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्वार, पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट पोल, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, इलैक्ट्रिक बस, क्रैच बिल्डिंग कार्य पूर्ण कर लिए गए है। इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम, इंटीग्रेटेड सीवेरज, स्मार्ट रोड़ के कार्य संचालन गतिमान है जो कि अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगें तथा ग्रीन बिल्डिंग का कार्य प्रस्तावित हैं जिसके अन्तर्गत 73 सरकारी विभागों को स्थान्तरित किया जा रहा है एंव आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजना प्रारम्भ से जून 2024 तक कुल ₹ 1,000.00 करोड़ का बजट में प्रावधान है, जो कि स्मार्ट सीटी को अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 750.65 करोड़ (84.68 %) की धनराशि स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में खर्च कर दी गयी है।

स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अर्न्तगत फुटपाथों का निर्माण, रेलिंग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। CITIIS परियोजना का कार्य का 2 फेज में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्यालयों की संख्या 34 है एवं फेज–2 के अन्तर्गत 72 विद्यालयों को चयनित किया गया है। फेज–1 तथा फेज–2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 58.00 करोड़ अवमुक्त जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 54.88 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

बाह्य सहायतित योजना

19.7– नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) का गठन वर्ष 2008 में शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया। संस्था के अन्तर्गत विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय अवस्थापना विकास कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विगत एक वर्ष में UUSDA द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत कुल ₹ 897981.00 लाख की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

Uttarakhand Integrated & Resilient Urban Development Project (UIRUDP) एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित परियोजना के माध्यम से देहरादून तथा नैनीताल नगरों में ₹ 118481.00 लाख की लागत से पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। परियोजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 26700.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 17060.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा

चुकी है एवं स्वीकृति के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 12140.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। परियोजना में ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना अन्तर्गत ए0डी0बी0 ऋण 4148-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 45734.00 लाख के प्रतिपूर्ति दावे ए0डी0बी0 को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसमें से ₹ 42508.20 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष ₹ 3225.80 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।

UIRUDP परियोजना के द्वितीय चरण (UIRUDP-Additional Financing ऋण 4407-IND हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग ₹ 203200.00 लाख की लागत से हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित है। DEA भारत सरकार, ए0डी0बी0 एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध नवम्बर, 2024 में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में परियोजना हेतु कार्य आवंटित किया जा चुका है एवं हल्द्वानी में सब प्रौजेक्ट हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 16900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 16657.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष ₹ 7782.00 लाख माह दिसम्बर 2024 तक व्यय किया जा चुका है। परियोजना में ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना के अन्तर्गत ए0डी0बी0 ऋण 4407-IND हेतु प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 19058.77 लाख के प्रतिपूर्ति दावें ए0डी0बी0 को प्रेषित किये जा चुके हैं। जिसमें से ₹ 17643.42 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष ₹ 1415.35 लाख दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

Uttarakhand Liveability Improvement Project- (ULIP–EIB) परियोजना हेतु यूरोपियन निवेश बैंक सहायतित लगभग ₹ 229600.00 लाख की लागत से हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में पेयजल व सीवरेज सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एशियन विकास बैंक (ADB) एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा चुका है तथा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 10000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 5500.00 अवमुक्त किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 5293.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

Integrated Urban Infrastructure Development in Rishikesh (IUIDH) परियोजना हेतु लगभग ₹ 1,70,000.00 लाख (फेज–1 ₹ 70000 लाख एवं फेज–2 ₹ 1,00,000 लाख) की लागत के अन्तर्गत यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफार्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ऋषिकेश नगर परिक्षेत्र में उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एवं KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) के मध्य फेज–1 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2022 एवं फेज–2 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2023 में किया गया है। उक्त परियोजना हेतु कंसल्टेंसी सर्विसेज (PMDSC) की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में ₹ 2700.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

परियोजना के उद्देश्य व लाभ

आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई इन परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत अच्छे आमजन के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार, उचित कार्यों की स्थापना व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने, लैंगिक समानता को लागू करने, सतत शहरों और समुदायों को संगठित करने, व्यवस्थित जलवायु कार्यों, जल जैविकी को विकसित करने, भूमि पर जीवन विकास, गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 8588.40 लाख ₹ धनराशि प्राविधानित की गई है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 495.20 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरणः–

19.8–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 लाख का बजट के प्राविधान गया है।

19.9–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development) - इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय नकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2024–25 में ₹ 5000.00 लाख का बजट में प्रावधान है, उक्त के क्रम में दिसम्बर, 2024 तक 15 नगर निकायों को ₹ 1429.98 लाख के प्रस्ताव स्वीकृति कर शासन को प्रेषित किये गये है तथा 05 नगर निकायों को ₹ 211.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

19.10–श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस चार नगर निकायों देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित है तथा काशीपुर, रुड़की, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2024–25 में ₹ 300.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 73.73 लाख नगर निगम देहरादून, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार, को अवमुक्त किया जा चुका है। योजनान्तर्गत आतिथि तक कुल 81934 श्वान पशुओं का बध्याकरण कर लिया गया है।

19.11–रैन बसेरों का निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2023–24 में ₹ 50.00 लाख का बजट में प्रावधान है।

19.12–निराश्रित गोवंशों के लिए गौशाला निर्माण योजना अन्तर्गत नगर निकायों में निराश्रित पशुओं से जनता व फसलों का हानि से सुरक्षा एवं सड़कों पर सुलभ आवगमन हेतु शहरी क्षेत्रों में निराश्रित गोवंशों के रख रखाव एवं पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई।

19.13–हाईटेक शौचालयों का निर्माण– यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 49.53 लाख की धनराशि नगर पंचायत, कालाढुगी को अवमुक्त की गयी है।

19.14–सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जाचं आदि कराना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

19.15–सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोच्च योगदान देने पर पुरस्कृत किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे ₹ 20.00 लाख का बजट प्राविधान है।

19.16–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवासहीन परिवारों को आवास :

- उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 20 आवासीय परियोजनाओं में 15960 आवासों का निर्माण गतिमान है।
- वर्तमान में 1760 (EWS) आवासों का निर्माण किया चुका है तथा 1482 लाभार्थियों को कब्जा प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 14637 EWS आवासों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है।
- नये शहरों की स्थापना के अन्तर्गत राज्यस्तर से 10 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें पौड़ी जनपद के श्रीनगर के समीप बेल केदार से बेल कण्डी स्थान पर टाउनशीप विकासित किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

19.17– वाहन पार्किंग परियोजनायें :–

राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु आवास विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण गतिमान है। राज्य के 171 स्थानों में पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसमें सरफेस पार्किंग की 56, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 96, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिसमें 100 परियोजनाओं में ₹ 5096.20 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मेट्रो रेल परियोजनाः–

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने निवासियों को विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक आवागमन सुविधाएं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और एकीकृत टाउनशिप की पेशकश करने की एक पहल और उत्तराखंड के नागरिकों की जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार

करने की दृष्टि से, कंपनी का गठन किया गया था। देहरादून में विकसित किये जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जायेगा। यह टीयर 2/3 के शहरों के लिए उपयुक्त होता है। दून मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे जिसमें पहला आई0एस0बी0टी0 से गाँधी पार्क तथा दूसरा कॉरिडोर एफ0आर0आई0 से रायपुर तक होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 22.42 किमी0 होगी तथा 25 स्टेशन होंगे परियोजना की कुल लागत ₹ 2303 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान में परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड सरकार को भेजा जाना है जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 02 विकल्पों का प्रस्ताव दिया जा रहा है:–

1– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 40 प्रतिशत वित्त पोषण और उत्तराखण्ड सरकार की सार्वभौमी गारंटी की साथ यूकेएमआरसी द्वारा घरेलू उधार के माध्यम से 60 प्रतिशत वित्त पोषण ।

2– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण।

यह प्रस्ताव तकनीकी लेखा परीक्षा समिति के जॉच के उपरान्त वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है।

सैधान्तिक रूप से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है:–

1–हरिद्वार में पी0आर0टी0 (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) इस परियोजना को **"हरिद्वार दर्शन"** के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में सीतापुर से भारत माता मंदिर तथा सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक के कॉरिडोर हैं जिनकी कुल लम्बाई 21 किमी0 तथा इसमें 21 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत ₹ 1664 करोड़ की लागत प्रस्तावित है।

2– हर–की–पैडी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना पी0पी0पी0 मोड पर तैयार की जाने वाली यह परियोजना की कुल लंम्बाई 2.3 किमी एवं कुल लागत ₹ 150 करोड़ है जिसमे कुल 02 स्टेशन एवं 13 टावर है।

3–ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

यह परियोजना की कुल लम्बाई 6.5 किमी0 तथा 4 स्टेशन एवं 36 टावर पर तैयार की जायेगी। परियोजना का संचालन पी0पी0पी0 मोड पर किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो परियोजना की संचालन हेतु वर्ष 2024–25 के बजट में ₹ 2150.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 1050.00 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 602.87 लाख व्यय किया जा चुका है।

अध्याय–20
शिक्षा
Education

शिक्षा के मूल्यांकन एवं संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा निदेशालय कार्य कर रहे है, जिसके फलस्वरूप गुणवत्तायुक्त सुधार के साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। राज्य विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।

20.1 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा एक बुनियादी अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा–1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क विद्यालयी शिक्षा प्रदान किया जाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाते है।

तालिका 20.1

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय विद्यालय	13743	216032	223761	439793	15918	14081	29999
निजी / प्राइवेट विद्यालय	3985	241541	193606	435147	7324	23415	30739

स्रोतः UDISE 2023 & 24

20.1.1 खेल प्रतियोगिताएंः— प्रारम्भिक शिक्षा की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर से प्रारम्भ कर चयनित छात्र–छात्राओं को विकासखण्ड स्तर पर एवं चयनित टीम द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है। तदपश्चात विभिन्न जनपदों से चयनित लगभग 2700 प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तर विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया जाता है। राज्य स्तर से चयनित छात्र–छात्राओं द्वारा (विद्यालयी) 68वें राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग किया जा रहा है। जिसमें छात्र–छात्राओं द्वारा आतिथि तक 12 मेडल प्राप्त किये गये हैं।

20.1.2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माणः— पी0एम0 पोषण केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से इस ध्वजवाहक कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों / मकतब / मदरसों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बच्चों के पोषण में सुधार करना है। निर्धन एवं अपवंचित वर्गो के छात्रों को विद्यालय में नियमित रूप से विद्यालय आने तथा शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रत्येक विद्यालय को खाद्यान्न के रूप में मानकानुसार चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 164432 विद्यालयों में 618420 छात्र–छात्राएं नामांकित है। विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु वर्तमान में कुल 23869 भोजन माताएं कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कुल 15089.14 मी0टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित कुल ₹ 24932.88 लाख में केन्द्रांश ₹ 14116.70 लाख एवं राज्यांश ₹ 10816.17 लाख सम्मिलित है।

20.1.3 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक 2024–25:– शैक्षिक वर्ष 2024–25 में सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण तथा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते है, के कुल 661135 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु ₹ 9.00 (नौ करोड़) की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.4 निःशुल्क जूता एवं बैग 2024–25:– वर्ष 2024–25 हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से कुल 580443 छात्र–छात्राओं को ₹ बाइस करोड पांच लाख बाइस हजार चार सौ दस मात्र, की धनराशि हस्तान्तरित कर लाभान्वित किया गया है।

20.1.5 आदर्श विद्यालय:– वर्ष 2024–25 हेतु 285 राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं हेतु ₹ उनहत्तर लाख छप्पन हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र एवं विद्यालय भवनों की मरम्मत कार्य हेतु ₹ उन्नीस लाख उन्नसठ हजार मात्र की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.6 फर्नीचर:– वर्ष 2024–25 में अध्ययनरत् कुल 18079 छात्र–छात्राओं हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत. ₹ तीन करोड़ इकसठ लाख अठावन हजार मात्र की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

20.1.7 अनुरक्षण/रूपान्तरण/वृहद् निर्माण कार्य:– वर्ष 2024–25 में राज्य के 32 विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु ₹ दो करोड अठहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र, जनपद चम्पावत के 31 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य हेतु ₹ एक करोड तीन लाख साठ हजार एवं वृहद् निर्माण मद के अन्तर्गत 44 विद्यालयों हेतु ₹ बारह करोड छः लाख चौदह हजार चार सौ की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.8 समग्र शिक्षा योजना:– सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक–शिक्षा का एकीकरण करते हुये वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा योजना कक्षा 12वीं तक के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में निर्धारित की गयी है।

20.1.9 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्य:– विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु नवीन विद्यालय, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बालक/बालिका शौचालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चाहरदीवारी, रैम्प–रैलिंग, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, किचनगार्डन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, विद्युतीकरण, वृहदमरम्मत, आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में

माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त निर्माण कार्यों के कुल लक्ष्य 937 के सापेक्ष कुल निर्माणाधीन 459 तथा कुल अनारम्भ निर्माण कार्य 478 है।

20.1.10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1)(C)– इसके अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्गो के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। निजी विद्यालयों में लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि निम्नवत् है–

चार्ट–20.1

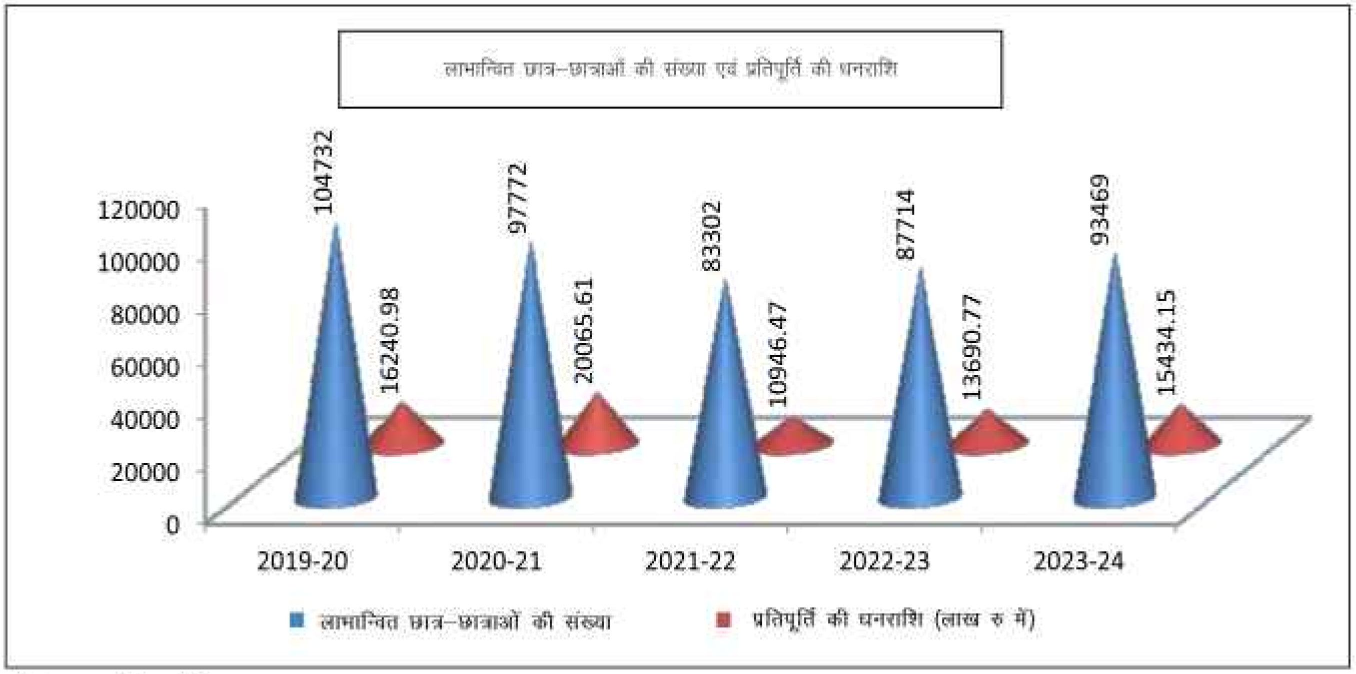

स्रोतः प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.1.11 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya) / **छात्रावासः**– 39 के0जी0बी0वी0 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2024–25 में के0जी0बी0वी0 में 3993 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है।

वर्ष 2024–25 में जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेन्सी के द्वारा संचालित जापान साइन्स हाईस्कूल प्रोग्राम (सकुरा साइंस प्रोग्राम) में के0जी0बी0वी0 में निवासरत 03 साइंस स्ट्रीम की छात्राएं, जिन्होंने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा–2023 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये, को जापान जाकर वहॉ की उन्नत वैज्ञानिक तकनीक देखने एवं वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।

20.1.12 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमः– विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 1803 बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

20.1.13 एस्कॉर्ट सुविधा–जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 7073 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.1.14 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावासः– अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1500 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती हैं।

वर्तमान में कुल 14947 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 5975 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। सपोर्ट टू प्री–प्राइमरी के अन्तर्गत चिन्हित को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों को चाइल्ड फ्रेण्डली फर्नीचर, आउटडोर प्ले मैटिरियल एवं बाल फीचर्स से आच्छादित किया जा रहा है। बालवाटिका संचालन से सम्बन्धित शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों के लिए तीन गतिविधि पुस्तिकाएँ– स्वास्थ्य, सृजन एवं संवाद विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। बालवाटिका से सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकत्री का अभिमुखीकरण किया गया है।

20.1.15 व्यावसायिक शिक्षाः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और कौशल विकास आधारित बनाना है, जिससे छात्रों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके। वर्तमान में चयनित 559 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 08 व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर्स के अन्तर्गत 586 व्यावसायिक शिक्षा लैब्स कार्यरत हैं, जिनमें कक्षा 9–12 के 42000 से अधिक छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् हैं।

National Skill Qualification Framework (NSQF) से मान्यता प्राप्त 08 सेक्टर्स (IT/ITeS, Tourism & Hospitality, Beauty & Wellness ,Automotive, Agriculture, Retail, Electronics & Hardware, Plumbing) के अन्तर्गत Job Roles संचालित हैं।

सत्र 2023–24 में कुल 26409 छात्र–छात्राएं, जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं हैं, सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित हुए है। सत्र 2023–24 में प्रथम बार NSQF से मान्यता प्राप्त 08 सेक्टरों के अन्तर्गत कक्षा–11 में NSQF level-4 के अन्तर्गत 188 विद्यालयों में कक्षा–11 में 238 व्यावसायिक शिक्षा लैब्स का संचालन किया गया।

1. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक प्रसार के लिए 27 विद्यालयों को Hub School के रूप में विकसित कर प्रत्येक Hub School को एक निकटवर्ती माध्यमिक विद्यालय से Hub & Spoke Model के अन्तर्गत संयोजित किया गया। इससे सत्र 2023–24 में 27 Spoke Schools के 326 छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुए।

2. 140 राजकीय जूनियर हाई स्कूल के कक्षा–6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिमुखीकरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये।

20.1.16 वर्चुअल / स्मार्ट कक्षाः– वर्ष 2024–25

में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टी0सी0आई0एल0 (Telecommunications Consultants India Limited) के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में 04 केन्द्रीय स्टूडियो कार्यरत हैं। Two way Seamless प्रसारण के लिए विद्यालयों को Satellite से द्वारा जोड़ा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 709 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित की गयी हैं इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सी0एस0आर0, (Corporate Social Responsibility) जनपद स्तर पर खनन न्यास, जिलाधिकारियों के निवर्तन पर उपलब्ध धनराशि आदि से Digital Learning को प्रोत्साहित किये जाने के लिए स्मार्ट क्लास स्थापित की गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड मे वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षायें संचालित हैं तथा 1124 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.1.17 पी.एम. श्री योजनाः– 5 सितम्बर, 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों को मूर्त रूप में लागू करने हेतु प्रधान मंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PRADHAN MANTRI SCHOOLS FOR RISING INDIA) की स्थापना की घोषणा की गयी। इन विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्किल डेवलपमेंन्ट, स्मार्ट कक्षाओं, योग शिक्षा, डिजिटल लाईब्रेरी आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है।

राज्य में पी.एम. श्री योजना का क्रियान्वयन 2022–23 से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 141 (28 प्राथमिक, 11 हाईस्कूल एवं 102 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों तथा द्वितीय चरण में 84 (06 प्राथमिक एवं 78 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों का चयन किया गया। वर्तमान में कुल 225 पी.एम. श्री विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदण्डों के अन्तर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण के 141 पी0एम0 श्री विद्यालयों हेतु ₹ 55.93 करोड़ की बजट स्वीकृति प्रदान की गई है, साथ ही द्वितीय चरण में चयनित 84 पी0एम0 श्री विद्यालयों हेतु ₹ 68.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत बजट के अन्तर्गत पी0एम0 श्री विद्यालयों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, आई.सी.टी. लैब एवं स्मार्ट क्लास/डिजिटल बोर्ड/डिजिटल टी.वी., ऑडियो–विजुअल सिस्टम, बैण्ड सेट, संगीत वाद्ययंत्र, गणित किट, विज्ञान किट, सामाजिक विज्ञान किट, साइंस सर्कल, गणित सर्कल आदि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, विद्युतीकरण, बालिका शौचालय, वाचनालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सोलर पैनल, लघु एवं वृहद मरम्मत आदि की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है। विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के अन्तर्गत बैगलेस डे, विद्यालय वार्षिकोत्सव, समर कैम्प, एक्सपोजर विजिट (बाहरी राज्य), जैव विविधता पार्क, टी0एल0एम0 पार्क आदि की स्वीकृति प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रदान की गयी है। ग्रीन स्कूल के अन्तर्गत

डस्टबिन, एल0ई0डी0 लाइट, फील्ड विजिट, एक्सपर्ट टॉक, स्वच्छता पखवाड़ा, यूथ एण्ड ईको क्लब हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

20.1.18 विद्या समीक्षा केन्द्रः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 सितम्बर 2023 को उत्तराखण्ड में स्थापित विद्या समीक्षा केन्द्र को NDEAR Compliant (National Digital Education Architecture) बनाया गया है तथा राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केन्द्र से जोड़ा गया है जिससे राज्य के आंकड़े रियल टाइम आधार पर भारत सरकार को मिल रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य पहले 4 राज्यों में है जिनके विद्या समीक्षा केन्द्र को सीधे राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केन्द्र से जोड़ा गया है।

20.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था, संचालन, छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का मूल्यांकन कर उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है।

तालिका–20.2
माध्यमिक शिक्षाः शैक्षिक सूचकांक

सूचकांक	माध्यमिक स्तर	उच्च माध्यमिक स्तर
सकल नामांकन दर(GER) (माध्यमिक)	95.29	75.38
शुद्ध नामांकन दर(NER) (माध्यमिक)	48.54	37.37
एडजेस्टेड शुद्ध नामांकन दर(ANER) (माध्यमिक)	56.04	42.97
पुनरावृत्ति दर (Repetition Rate)(माध्यमिक)	4.01	2.55
शालात्यागी दर (Dropout Rate) (माध्यमिक)	8.44	1.76
स्तरोन्यन दर (Transition Rate)	91.03	79.76
पदोन्नति दर (Promotion Rate)	87.55	96.89
छात्र–शिक्षक अनुपात (PTR) (राजकीय माध्यमिक विद्यालय)	12	16
ठहराव दर (Retention Rate) (Secondary)	95.33	96.89
(GPI) (Secondary)	0.99	1.06
(Gender Gap) (Secondary)	5.52	3.05

(स्रोत – यू–डायस 2022–23)

तालिका–20.3
राज्य में स्थित विद्यालयों का विवरणः–

क्र.सं.	विद्यालय का स्तर	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त एवं अन्य	योग
1	हाईस्कूल	906	65	431	1402
2	इण्टर कालेज	1406	342	912	2660
	योग	2312	407	1343	4062

(स्रोत 2023–24 यू0डाइस)

तालिका–20.4
माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

स्तर	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त एवं अन्य	योग
माध्यमिक	371630	134223	719946	1225799

(स्रोत 2023–24 यू0डाइस)

20.2.1 राजीव गॉधी नवोदय विद्यालयः– वर्तमान में प्रत्येक जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 3510.20 लाख की स्वीकृत के सापेक्ष ₹ 1938.61 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.2 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयः– प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वागीण विकास हेतु 04 जनपदों (नैनीताल के बेतालघाट, पिथौरागढ़ के बेरीनाग, चमोली के जोशीमठ, पौड़ी के जयहरीखाल) में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु ₹ 76. 40 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 30.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.3 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापनाः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत कुल 559 उत्कृष्ट विद्यालयों (Centre For Excellence) की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण हेतु में ₹ 150.56 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 150.56 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.4 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः– माध्यमिक स्तर पर राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त (अशासकीय) विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अध्ययनरत् सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–20.5

वर्ग	छात्र संख्या	पाठ्य–पुस्तकों की संख्या	व्यय धनराशि
सामान्य	233577	2300439	347985488
अनु0 जाति	106266	1083335	163299329
अनु0 जनजाति	11229	134546	20347650
कुल योग	**351072**	**3518320**	**531632467**

स्रोतः माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.2.5 साईकिल योजनाः– कक्षा–08 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 09 में प्रवेशित छात्राओं को साईकिल का क्रय करने हेतु अधिकतम ₹ 2850 की धनराशि प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि जमा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कक्षा–9 में अध्ययनरत् 49130 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

20.2.6 पं0 दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारः– छात्र–छात्राओं में पठन–पाठन की रूचि बढ़ाने एवं प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण विकसित किये जाने हेतु प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा घोषित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में टॉप–10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाईस्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः 15000, 11000, 8000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक ₹ 5100 की धनराशि का नकद पुरस्कार तथा इसी प्रकार इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः 21000, 15000, 11000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक ₹ 5100 की धनराशि का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत 71 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

20.2.7 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई भौतिक सुविधायें:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को निम्न भौतिक सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं:–

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 12393 विद्यार्थियों के लिये फर्नीचर क्रय हेतु ₹ 2.4786 करोड (दो करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 40 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों निर्माण किये जाने हेतु ₹ 1.94 करोड (एक करोड़ चौरानब्बे लाख) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 24 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 160 कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 0.72 करोड़ (बहत्तर लाख) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 66 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत/भवन निर्माण/प्रयोगशाला निर्माण हेतु ₹ 4955.27 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।

20.2.8 मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6–12):– राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) के छात्र–छात्राओं को क्रमोत्तर विद्यालयों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने एवं छात्र ड्राप आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत हैं:–

तालिका–20.6

कक्षा	छात्रवृत्ति	अवधि
कक्षा–06	₹ 600 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–07	₹ 700 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–08	₹ 800 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–09 व 10	₹ 900 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–11	₹ 1200 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–12	₹ 1200 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)

स्रोतः माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.2.9 शैक्षिक भ्रमण योजनाः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डवार 02–02 छात्र–छात्राओं को भ्रमण कराये जाने हेतु ₹ 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को भारत दर्शन–शैक्षिक भ्रमण करवाया जायेगा, जिससे एक ओर जहां छात्र–छात्राओं के बौद्विक स्तर का विकास होगा वहीं दूसरी ओर छात्र–छात्राओं का व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा।

20.2.10 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहें है। वर्ष 2024–25 में ₹ 105.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 34.37 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.11 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः– छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से "अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना" संचालित की गयी है। 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है। वर्ष 2024–25 में ₹ 611.13 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

20.3 उच्च शिक्षा (Higher Education)

माध्यमिक शिक्षा के बाद दी जाने वाली शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय, और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, और प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान, कौशल, और योग्यता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और योग्यता को विकसित समाज के सक्रिय सदस्य बनने में सक्षम बना सकते हैं।

तालिका 20.7

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2024 तक प्राप्त उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण

क्र0सं0	उच्च शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धिया	वर्ष 2000	वर्ष 2024
1	उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना	संयुक्त निदेशक कार्यालय हल्द्वानी	1. उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)। 2. क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून।
2	उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों का विवरण	17 पद	65 पद
3	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत महाविद्यालयों की संख्या	34	117
4	महाविद्यालय के भवनों की स्थिति	30 महाविद्यालयो के अपने भवनों में संचालित	82 महाविद्यालयो के अपने भवनों में संचालित
5	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	08	36
6	शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विवरण	1105	2208
7	शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का विवरण	1065	2176
8	राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या	02	05
9	नैक प्रत्यायन महाविद्यालयों की संख्या	0	39
10	संचालित छात्रवृत्तियों का विवरण	0	1. प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु विशेष आर्थिक सहायता। 2. एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।
			3. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। 4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियॉं। 5. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति।
11	शोध प्रोत्साहन योजना	0	1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन। 2. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना। 3. राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोधार्थियो को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।
12	उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना	0	1. उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजना। 2. देवभूमि उद्यमिता योजना

तालिका 20.8

वर्ष 2024–25 में उच्च शिक्षा विभाग से संचालित विभिन्न विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाऐं

क0सं0	जनकल्याणकारी, स्वरोजगारपरक, एवं विकासपरक योजनाओं का नाम	योजना का लाभ	वर्ष					
			2023–24			2024–25		
1	2	3	स्वीकृत बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
1	राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	राज्य लोक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण को रु0 50,000/– तथा संघ लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण को रु0 100000/–	56.50 लाख	56.50 लाख	113	150.00 लाख	73.50 लाख	74
2	एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000/– प्रति अभ्यर्थी	70.50 लाख	70.50 लाख	141	75.00 लाख	64.50 लाख	129
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	**NIRF** (National Institutional Ranking Framework) **रैकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालय/संस्थान** में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 100 छात्रों हेतु योजना।	**वर्ष** 2024–25 से लागू कुल बजट 50 लाख (**NIRF रैकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालय/संस्थान)**					
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	स्नातक प्रथम– 3000/– द्वितीय–2000/– तृतीय–1500/– स्नातकोत्तर प्रथम –5000/– द्वतीय–3000/– तृतीय–2000/–	842.70 लाख	773.76 लाख	2610	10 करोड़	8.70 करोड़	2200
5	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा **रु0 15 लाख** तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढाते हुए कुल रु0 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।	200 लाख	200 लाख	44 प्राध्यापक	200 लाख	–	–

6	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण योजना	राज्य के प्रत्येक जनपद के महाविद्यालय को अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	28.50 लाख	28.50 लाख	–	30.90 लाख	30.90 लाख	–
7	देवभूमि उद्यमिता योजना	ई0डी0आ0ई0आई0 अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना।	711.95 लाख	711.95 लाख	12500 छात्रों द्वारा पंजीकरण। 92 फैकल्टी मेंटर प्रशिक्षित किये गये 10 महाविद्यालयों में सैन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना।	711.95 लाख	–	–
8	नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन योजना। The National Assessment and Accreditation Council (NAAC)	राज्य के विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों को नैक में उच्च रैकिंग हेतु प्रोत्साहित करना।	01 करोड़ 02 लाख	01 करोड़ 02 लाख	19 राजकीय महाविद्यालय को नैक की ग्रेडिंग के अनुसार	244.54 लाख	–	–
9	मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना।	राज्य में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उदेद्श्य से संचालित।	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 10 लाख**					
10	उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजना।	प्राध्यापकों को प्रतिष्ठित संस्थानों में शैक्षिक भ्रमण हेतु योजना।	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 10 लाख**					
11	विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना।	महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण योजना।	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 20 लाख**					
12	मुख्यमंत्री शेविंनिग उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियॉं।	राज्य के मेधावी छात्रों को यू0के0 के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन हेतु योजना।	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 200 लाख**					

13	राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों में पी0एच0डी0 में पंजीकृत शोद्यार्थियो को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना ।	₹ 5000/– प्रति माह ।	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान**

20.3.1 वर्ष 2024–25 में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरणः– प्रदेश के 69 राजकीय महाविद्यालयों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को बेहतर रोजगार देने के उदेश्य से मूल्य सर्वद्धन रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को उद्यमिता गुणों के विकास, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्राध्यापकों (वर्तमान तक 92 प्राध्यापकों) को उद्यमिता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत् 12500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रति वर्ष 20 छात्रों को अपने स्टार्टअप हेतु ₹ 75000.00 प्रति छात्र का सीड फंड वितरित किया गया है।

व्यवसायिक संचालित पाठ्क्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2019 से वर्तमान तक उपलब्ध कराये गये स्वरोजगार का विवरणः–

चार्ट 20.2

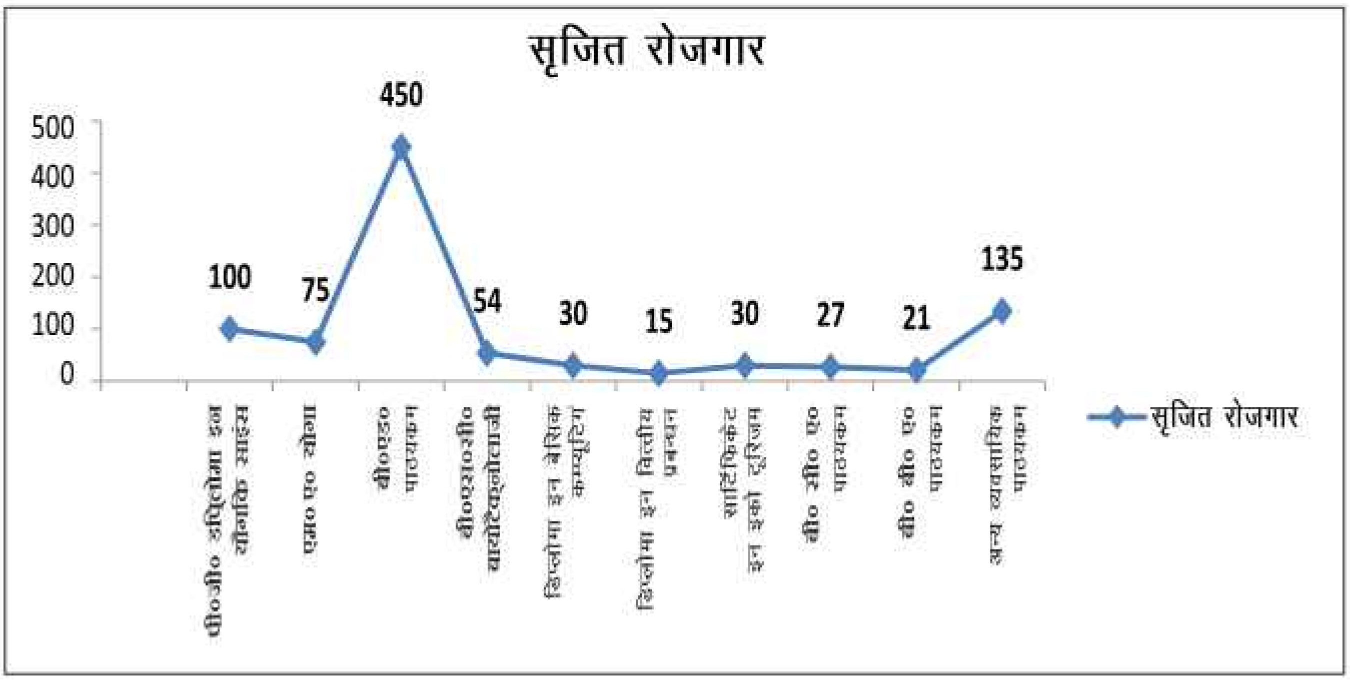

स्रोतः उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में किए जा रहे प्रमुख कार्य

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों सहित समस्त हित धारकों को समयबद्ध रूप से वांछित सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल प्रयास किए जा रहे हैं।

- समर्थ पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार पर उच्च शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों का पंजीकरण।
- समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही शासकीय महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत व्यक्तिगत प्रोन्नति प्रक्रिया ऑनलाइन।
- उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट का नवीकरण, (Learning Management System) का निर्माण।
- एन0आई0सी0 भारत सरकार के सहयोग से राज्य में ई–ग्रंथालय के अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालय पंजीकृत, समस्त विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान, 16 लाख से अधिक की पुस्तकें सूचीबद्ध, कॉपीराइट मुक्त पाठ्य सामग्री सुलभ करवाना।
- समस्त महाविद्यालयों का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर पंजीकरण करवाना।
- समस्त शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं एवं प्राध्यापकों हेतु अमृता विश्वविद्यालय केरल के सहयोग से वर्चुअल लैब की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- वर्ष 2024–25 में दो राजकीय महाविद्यालय, जनपद हरिद्वार के बहादुरपुर जट क्षेत्र में स्वीकृत 21 पदों के साथ एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत तगड़ (लोस्तु बडियार) में 10 पदों के नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2024–25 में राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी, यमकेश्वर में विज्ञान संकाय के संचालनार्थ 14 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग में बी0एस0सी0 जीव विज्ञान की कक्षाओं के संचालन हेतु राजकीय महाविद्यालय जैती से 07 पदों को हस्तांतरित किया गया है।
- वर्ष 2024–25 में नवीन राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट, हरिद्वार के संचालनार्थ 1.3010 हैक्ट0 भूमि प्राप्त कर भवन निर्माण हेतु ₹ 998.24 लाख का आंगणन एस0ए0एस0सी0आई0 (Scheme for Special Asistance to State for Capital Investment) योजना के अन्तर्गत है।
- वर्ष 2024–25 में राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता हेतु 2.156 हैक्ट0 भूमि प्राप्त की गयी एवं राजकीय महाविद्यालय गदपुर, उधमसिंह नगर हेतु 1.7710 हैक्ट0 भूमि प्राप्त की गयी है।
- वर्ष 2024–25 में नवीन राजकीय महाविद्यालय, मोरी, उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु ₹ 512.12 लाख के अनुमोदन के सापेक्ष प्रथम किस्त के रुप में ₹ 204.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- उच्च शिक्षा विभाग हेतु विद्या समीक्षा केन्द्र के निमार्ण कार्य हेतु ₹ 485.09 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में ₹ 194.036 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्फोसिस, बैंगलुरु के साथ MoU समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।

20.3.2 वित्तीय वर्ष 2023–2024 के अन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापों का प्रगति विवरणः–

- राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकिया को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 19 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट ग्रेड लाने पर ₹1.02 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है।

- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजनाः–** विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कुल 2610 को सात करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।

- **आर्म्ड फोर्स में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना** :–इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे युवा जो एन0डी0ए0/आई0एम0ए0 व अन्य सैन्य सेवाओं में अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं, उनको ₹ 50000/– मात्र की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2023–24 में कुल 141 चयनित अभ्यर्थियों को सत्तर लाख पचास हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।

- **संघ/राज्य लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता योजना** :– संघ लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं (NDA, CDS, OTA, Indian Naval Academy, Indian air Force Academy etc) की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹ 1,00,000/– तथा राज्य लोक सेवा आयोग समूह 'क' एवं 'ख' संवर्ग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹ 50,000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023–24 में कुल 113 चयनित अभ्यर्थियों को छप्पन लाख पचास हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।

- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना** :– उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से राज्य के शोध हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा ₹15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल ₹ 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है। वर्ष 2023–24 में कुल 44 प्राध्यापकों को ₹ 02 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी।

- **अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण योजनाः–** राज्य के प्रत्येक जनपद के महाविद्यालय को अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में छात्र–छात्राओं को अठ्ठाइस लाख पचास हजार रूपये की धनराशि निर्गत की गयी।

- **देवभूमि उद्यमिता योजनाः**–महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को ई0डी0आ0ई0आई0 (Entrepreneurship Development Institute of India) अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इंटर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता

कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु देवभूति उद्यमिता योजना संचालित की गयी है। वर्ष 2023–24 में छात्र–छात्राओं हेतु ई0डी0आ0ई0आई0, अहमदाबाद को ₹ 711.95 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। कुल 12500 छात्रों का पंजीकरण करते हुए प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

20.4 तकनीकी शिक्षा (Technical Education)

राज्य के आर्थिक विकास में पिछले कुछ दशकों में प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण प्रगति कर न केवल कौशल विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया है। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राज्य के गठन (2000) से पूर्व मात्र 15 प्राविधिक संस्थानों के सापेक्ष वर्तमान में 71 प्राविधिक संस्थानों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस और फार्मेसी में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत नये पाठ्यक्रमों और क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही कई निजी प्राविधिक संस्थान भी स्थापित हुए, जो राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

वर्तमान में प्राविधिक संस्थानों को एन0बी0ए0 (National Board of Accreditation) मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है साथ ही शिक्षकों को उन्नत तकनीकी विषयों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करने हेतु उच्च स्तरीय संस्थानों जैसे भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली, सी–डेक मोहाली, एनआईटी, टीटीआर चंडीगढ़, इनफोसिस, ईएसटीसी कानिया आदि के सहयोग से नवीनतम प्रशिक्षण उन्नत कौशल तकनीकी, आधुनिक शिक्षण विधियों और उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इससे न केवल अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि छात्रों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

चार्ट 20.3

विभिन्न जनपदों में संचालित राजकीय प्राविधिक संस्थाओं का विवरण

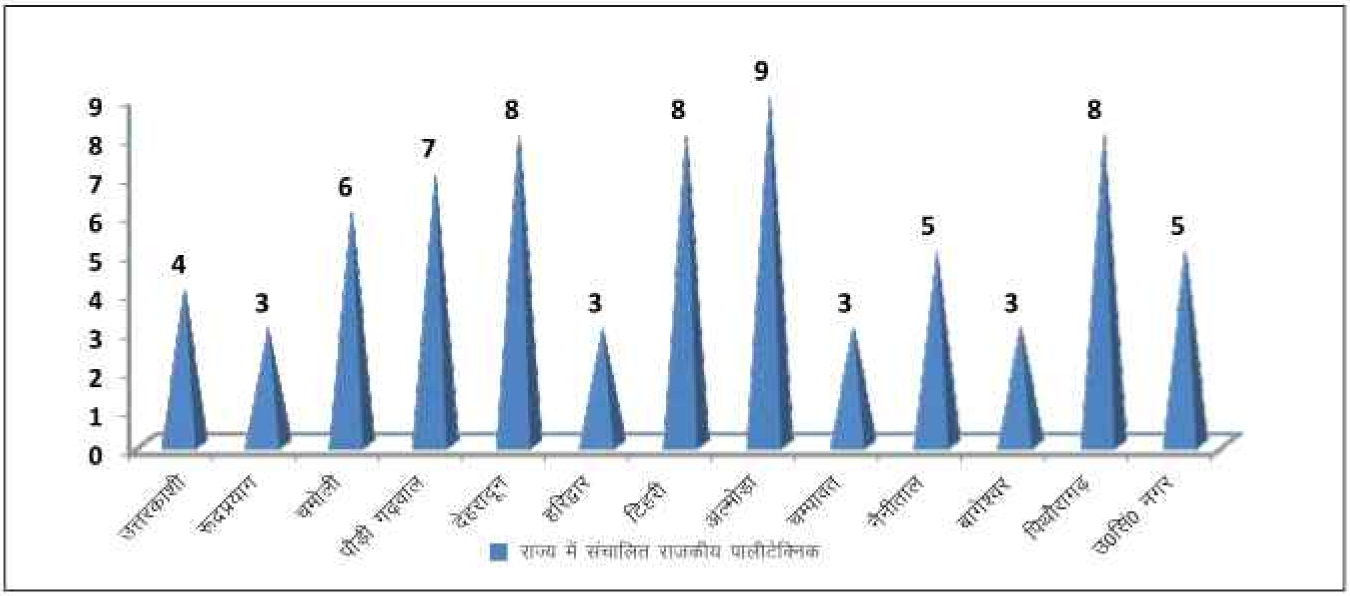

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

चार्ट 20.4
प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित जनपदवार प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति 2023–24

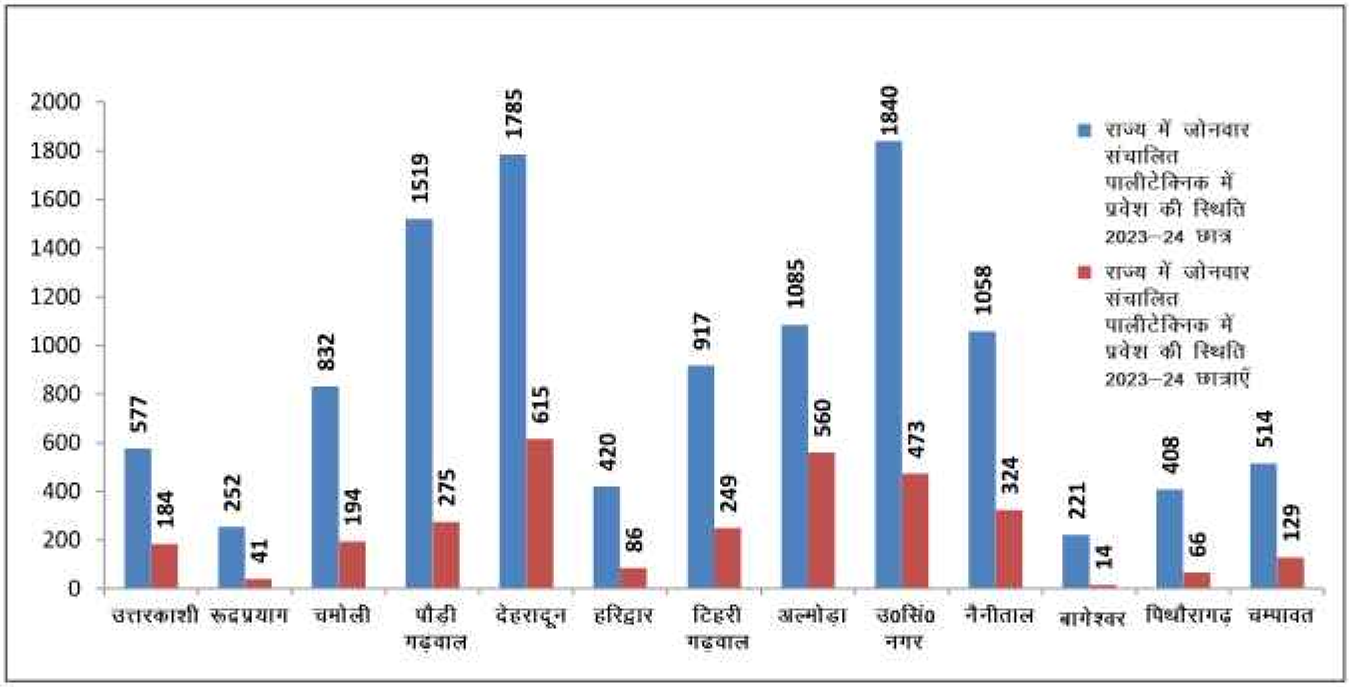

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

चार्ट 20.5
उत्तराखण्ड में संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति 2023–24

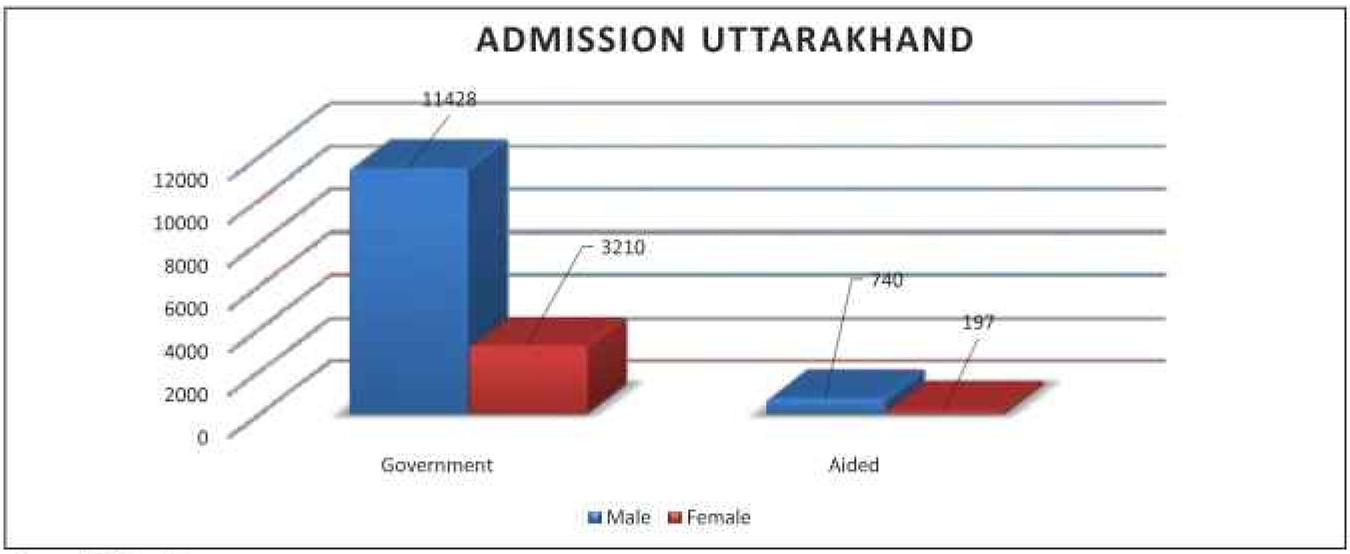

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

वर्ष 2023–24 में विभिन्न सेक्टर (Agriculture, Automobile, Cement, Construction, Electrical, Electronics, Fire Safety, Health,Heavy Machinary, Home Appliances ,Information Technology, Heavy Machinary,Outsourcing, Paper Industry, Pharmaceuticals, Pipe Industry, Rubber Industry, Skill Development) के अर्न्तगत रोजगार के लिये चयन किया गया।

20.4.1 विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाये:– नाबार्ड योजना/अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 संस्थाओं में ₹ 2507.86 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है:–

तालिका–20.7

क्र0 सं0	कार्यों का विवरण	(धनराशि लाख में)
1	रा0पा0 नरेन्द्रनगर, में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	270.24
2	रा0पा0 श्रीनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	275.84
3	रा0पा0 उत्तरकाशी में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	235.03
4	रा0म0पा0 देहरादून में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	255.00
5	रा0पा0 द्वाराहाट में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	232.27
6	रा0पा0 गौचर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	269.10
7	रा0पा0 लोहाघाट में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	188.65
8	रा0पा0 काशीपुर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	307.26
9	रा0पा0 नैनीताल में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	274.58
10	अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत रा0पा0 खटीमा में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य	199.89
	कुल योग	2507.86

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.4.2 नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 (Rural Infrastructure Development Fund)योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर में ए0आई0सी0टी0ई0 (All India Council for Technical Education)के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 3272.72 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

नाबार्ड की आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत ही राजकीय पालीटेक्निक, बछेलीखाल में ए0 आई0 सी0 टी0 ई0 के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 477.10 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड की आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना में निम्नलिखित 02 संस्थाओं में ₹ 1135.09 लाख की लागत से छात्रावासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है:–

तालिका–20.8

क्र0 सं0	कार्यों का विवरण	स्वीकृत लागत (धनराशि लाख में)
1	रा0पा0 नरेन्द्रनगर, में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	**710.49**
2	रा0पा0 श्रीनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	**424.60**
कुल योग		**1135.09**

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.4.3 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना – योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, काशीपुर तथा राजकीय पालीटेक्निक पन्तनगर में पी0सी0आई / ए0 आई0 सी0 टी0 ई0 के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 1363.22 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2022–23 से राजकीय पॉलीटेक्निक, आमवाला, देहरादून / आई0आर0डी0टी0 देहरादून में Aircraft Maintenance Engineering में डिप्लोमा कोर्स का संचालन।

20.4.4 उत्तराखण्ड तकनीकी उद्यम–कॉंति अभियानः– युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्ट–अप नीति 2023 का उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं के रूप में अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड में 71 राजकीय एवं 01 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक हैं जहां से हर साल कई छात्र डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। इन संस्थानों को छात्र तकनीकी–उद्यम के केंद्र के रूप में मजबूत किया जा सकता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ किये जाने वाले करार में मुख्यतः निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित है–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत उद्यमिता को एक नियमित विषय के रूप रखना।
- तकनीकी–सक्षम व्यावसायिक अवसरों पर परियोजना प्रोफाइल तैयार करना।
- जागरूकता निर्माण और संवेदीकरण।
- राज्य में टेक–वेंचर समिट, हैकथॉन, प्रदर्शनियों और इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन।
- उद्यम क्रांति केंद्र की स्थापना।
- प्रमुख पॉलिटेक्निक में माइक्रो–बिजनेस इनक्यूबेशन हेतु पहल।
- टेक–आधारित स्केलेबल उद्यमों का चयन करने के लिए समर्थन।

• 20.4.5 भारत सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित):–

- वर्ष 2023–24 में 14 पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु ₹155.00 लाख की धनराशि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
- वर्ष 2009 से वर्तमान तक 52302 युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया, जिनमें से लगभग 7638 लाभर्थियो को स्वरोजगार एवं 9340 प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

20.5 संस्कृत शिक्षा (Sanskrit Education)

विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है, इसका महत्व भाषा के रूप में नहीं अपितु इसमें वर्णित तथ्यात्मक ज्ञान से है। भारत की अमूल्य धरोहर संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्‌देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी क्रियाशील है।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 104 संस्कृत विद्यालय संचालित है।

20.5.10 राजकीय संस्कृत विद्यालयों का सुदृढ़ीकरणः–

वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका(कक्षा 1) से उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर तक के पाठ्‌यक्रम परम्परागत विषयों हेतु सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा पाठ्‌यक्रम एवं आधुनिक विषयों हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया पाठयक्रम संचालित है। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक के लाभार्थियों को पाठ्‌य पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने की योजना संचालित है।

20.5.2 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः–

प्रदेश में विश्वविद्यालय से 43 संस्कृत महाविद्यालय (शास्त्री/आचार्य) एवं अन्य 38 संस्थायें सम्बद्ध हैं जिन्हें व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों के साथ–साथ परम्परागत विषयों जैसे हिन्दी, इतिहास आदि

पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता दी गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम रोजगारपरक है।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.):– विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएच.डी. पाठ्यक्रम) एवं विशिष्टाचार्य (एम0फिल0) पाठ्यक्रम संचालित है।

उपलब्ध सुविधायें:– विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय/ई–लाईब्रेरी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0), कम्प्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास, शोध (पीएच.डी.) छात्रावास, परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ, परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ, शोध छात्रवृत्ति की सुविधांए उपलब्ध हैं।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रमुख उपलब्धियां वर्ष 2024–25

1– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹495.28 लाख की लागत से अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

अतिथि गृह की हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

2– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹274.96 लाख की लागत से कुलपति आवास का निर्माण कार्य हो रहा है।

प्रथम किश्त के रूप में ₹ 109.984 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹1657.38 लाख की लागत से 150 क्षमता का बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 500.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

20.6 नर्सिग संस्थान

20.6.1 संचालित पाठ्यकम:–

• **एन0पी0एम0(Nurse Practitioner in Midwifery) प्रोग्राम:–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिग देहरादून में एन0पी0एम0 पाठ्यक्रम की 30 सीटें संचालित है, जिसमें नर्सिग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्त्री रोग विषेशज्ञ के साथ ओपीडी एवं प्रसूति करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले अधिकतर विद्यार्थी देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान जैसे एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कोर तथा विभिन्न चिकित्सालयों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होकर अपनी सेवायें दे रहे है। कुछ विद्यार्थी सीएचओ (Community Health Officer) के माध्यम से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है। विगत तीन वर्षो में केवल एम्स में ही 70 से 80 प्रतिशत छात्र–छात्रों का नर्सिग आफिसर के पद पर चयन हुआ है जो कि संस्थान की बडी उपलब्धि है।

20.6.2 बेसिक बी0एस–सी0 (नर्सिग):– बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को कक्षा 11 व 12 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व

राजकीय मेडिकल कॉलेजों मे यूजी0/पी0जी की सीटों का विवरणः–

तालिका–20.9

क0स0	संस्थान का नाम	पाठयक्रम का नाम	यू0जी0 सीट/प्रति वर्ष	पी0जी0 सीट/प्रति वर्ष
01	राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	एम0बी0बी0एस0	150	एम0डी0/एम0एस0–24 डिप्लोमा पोस्ट(NBS)– 09 पोस्ट डिप्लोमा, (DNB) – 03 पोस्ट(MBBS)डिप्लोमा–14
02	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	एम0बी0बी0एस0	125	69
03	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	एम0बी0बी0एस0	150	53
04	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा	एम0बी0बी0एस0	100	–
05	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार	एम0बी0बी0एस0	100	–

स्रोतः चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड

अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है एवं प्रत्येक विषय में 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्तमान तक स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के 07 बैचों में लगभग 473 छात्र–छात्रायें उत्तीर्ण हो चुके है। पूर्व में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में 60 सीट स्वीकृत थी, जो वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण 06 सीट एवं जम्मू कश्मीर हेतु Prime minister Special Scholarship scheme के अन्तर्गत 05 सीट कुल बढकर 71 सीट हो गयी।

20.6.3 पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग):– अभ्यर्थी को जी0एन0एम0(General Nursing and Midwifery) डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं आर0एन0 (Registered Nurse) और आर0एम0(Registered Midwife) के साथ राज्य नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए। उक्त कोर्स वर्ष 2010 से पो0बे0 बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम 30 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 10 सीट चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ नर्स के लिए आरक्षित है। वर्तमान में पोस्ट बेसिक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण 03 सीट कुल बढकर 33 सीट हो गयी है। पोस्ट बेसिक बी0एस–सी0 नर्सिंग के 10 बैच पास आउट हो चुके है। जिनमे लगभग 256 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो कर विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवायें दे रहे है।

20.6.4 एम0एस0सी0 नर्सिंग:– राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चन्दर नगर, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2013–14 से एम0एस0सी0 नर्सिंग, पाठ्यक्रम 18 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण– 02 सीट, कुल 20 सीट हो गयी है। वर्तमान तक एम0एस–सी0 नर्सिंग के कुल 07 बैच पास आउट हो चुके है, जिनमे कुल 130 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो कर विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवायें दे रहे है। वर्ष 2024 में एम0एस–सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चमोली में 25 सीट, पौडी में 25 सीट, हल्द्वानी में 25 सीट,

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण
तालिका–20.10

01 02	राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज–04 निजी पैरामेडिकल कॉलेज–72	क्र0 सं0	पाठ्यक्रमों का नाम	अवधि (वर्ष में)	राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटें	निजी पैरामेडिकल संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटें	कुल स्वीकृत सीटें
		01	BMLT	03	105	229 9	2404
		02	BMRIT	03	105	1915	2020
		03	BOTT	03	105	800	905
		04	BPT	04	...	1747	1747
		05	B.Sc. MM	03	...	785	785
		06	B.Sc.Optometry	03	...	915	915
		07	M.Sc. MLT	02	...	245	245
		08	MPT	02	...	700	700
		09	M.Sc. MM	02	...	112	112
		10	BASLP	01	...	70	70
		Total			315	9588	9903

स्रोतः चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा में 25 सीट एवं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 10 सीट की वृद्धि की गयी है।

20.6.5 एन0 पी0 सी0 सी0 (Nurse Practitioners in Critical Care):– संस्थान 2021–22 से एन0पी0सी0सी0 नर्सिंग पाठयक्रम 20 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण– 02 सीट कुल 22 सीट हो गयी है। राजकीय अस्पतालो में क्रिटीकल केयर नर्सिंग प्रेक्टिस नर्स के रूप में उक्त विद्यार्थियों के द्वारा अपनी सेवायें दी जायेंगी।